खण्ड-195, अंक-4
गुरूवार, 2 श्रावण, शक संवत् 1880
(24 जुलाई, 1958 ई0)

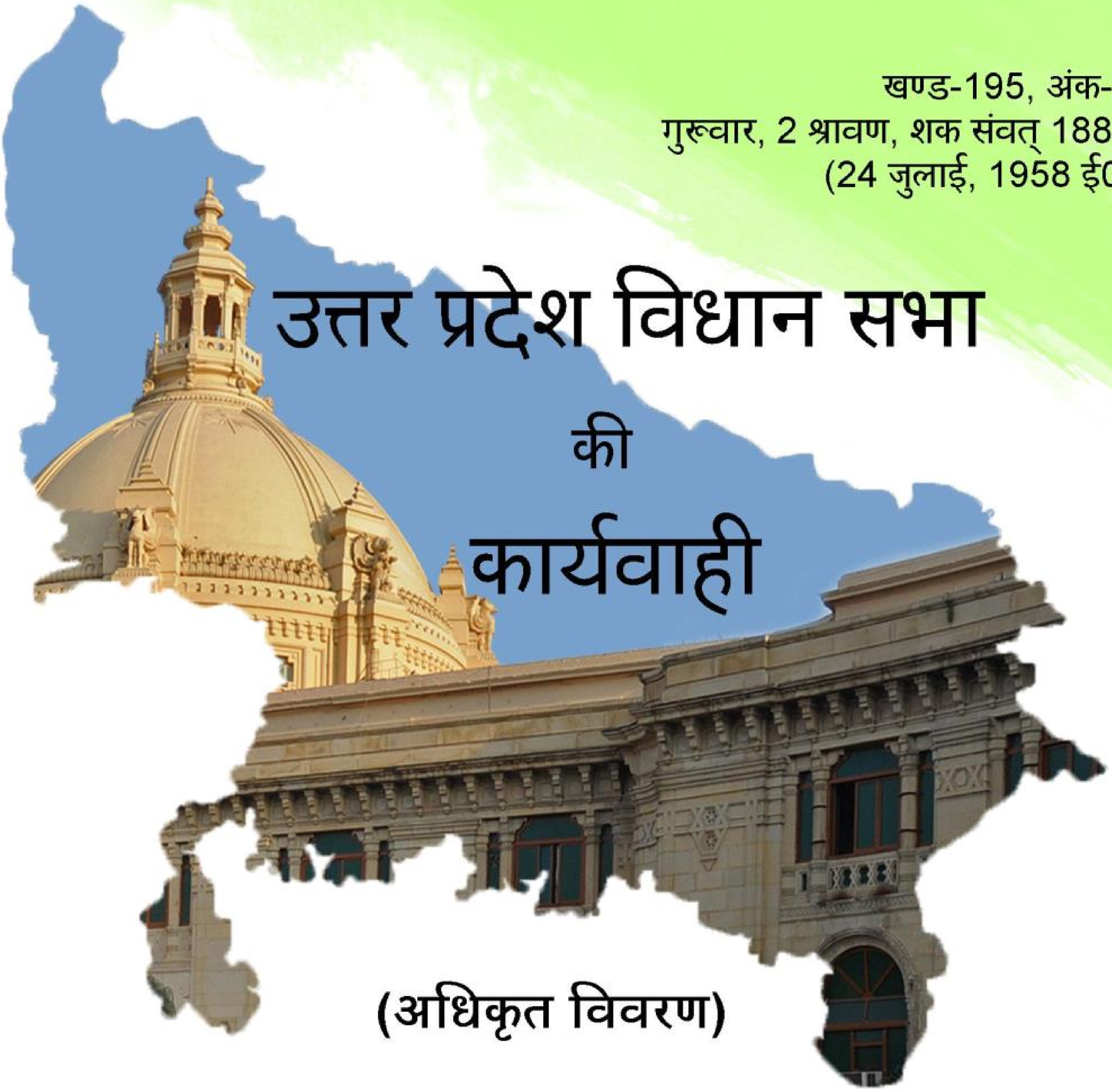

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 195 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	२३३–२३७
प्रश्नोत्तर	२३७–२६०
प्रश्नों के उत्तर में दी जाने वाली सूचियों को मेज पर रखने की प्रणाली पर आपत्ति	२६०–२६१
छः कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना	२६१
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (विवाद जारी) ..	२६१–२७६
विभिन्न समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम ..	२७७
उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापित किया गया)	२७७
सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८ (पुरःस्थापित किया गया)	२७७
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	२७७–३०८
अधिष्ठाता मण्डल के सदस्यों के नामों की घोषणा	३०८
कार्य परामर्शदात्री समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा ..	३०८
नस्थियां	३०९–३३५

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २४ जुलाई, १९५८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३६९)

अक्षयवरासह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफरी, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
असलम खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंधल, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिल, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
झारखंडेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री

बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुल नबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलिखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथ सहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री

रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकुनुद्दीन खां, श्री
रूर्मासिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम , श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी , श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह , श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत , श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल , श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय , श्री
शिवशंकरसिंह , श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल , श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत , श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर

सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २४ जुलाई, १९५८

तारांकित प्रश्न

[वित्त मन्त्री द्वारा २३ जुलाई, १९५८ का स्थगित प्रश्न]

बलिया जिले में गंगा के कटाव में आये हुये गांवों के लोगों की पुनर्वासन-व्यवस्था

*३१—**श्री गौरीशंकार राय** (जिला बलिया)—क्या सरकार कृपया यह बतायगी कि बलिया जिले में सन् १९५७ में सरकार की ओर से कितने ऐसे परिवारों को बसाने की व्यवस्था की गई है जिनके घर गंगा के कटाव से कट गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)—सन् १९५७ में बलिया जिले में गंगा की कटान से विस्थापित १२ परिवारों के पुनर्वास के लिये भूमि की व्यवस्था की गई।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कितने परिवार ऐसे अभी हैं जिनकी व्यवस्था करनी है ?

श्री चरणसिंह—परिवार २९४ थे, जिनमें से कल जो तार हमारे पास आया है उससे मालूम होता है कि १५५ का और इन्तजाम हो गया है, तो १६७ का हो गया है और १२७ परिवारों का इन्तजाम करना बाकी है। जिलाधीश की तरफ से जमीन हस्तगत करने की कार्यवाही फौरन कर दी गयी थी, लेकिन जिन लोगों की जमीन ली जा रही थी उन्होंने अदालतों में रिट वगैरह फाइल करके एतराज किया, उसकी वजह से जमीन नहीं ली जा सकी।

श्री गौरीशंकर राय—क्या सरकार को मालूम है कि गंगा के किनारे शिवपुर दियर में टेकारि, पांडे डेरा और ओझा डेरा के २०० परिवार गंगा की रेत पर बसे हुए हैं, जो थोड़ा पानी पड़ने पर बह सकते हैं ?

श्री चरणसिंह—इसकी मुझको इत्तला नहीं है।

श्री गौरीशंकर राय—क्या मंत्री जी बता सकते हैं कि जिन लोगों की जमीन ली जा रही है उन्होंने अगर अदालत में कार्यवाही की है तो १६७ आदमियों को बसाने की कहां व्यवस्था हुई ?

श्री चरणसिंह—१६७ आदमियों की व्यवस्था अलग-अलग कहां हुई, इसकी तफसील मेरे पास नहीं है। १२ आदमियों की तफसील तो है। १५५ के सिलसिले में जो तार बलिया से आया है उसमें लिखा है कि उनका इन्तजाम हो गया, डिटेल्स बाद को भेजेंगे। एक चीज आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि बलिया शायद हमारे सूबे में सब से ज्यादा हैवीली पापुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। वहां जमीन देना आसान नहीं है। किसानों की यह ख्वाहिश होती है कि हम अमुक स्थान पर बसेंगे और वह जमीन उनके लिये देना मुश्किल होता है। इसलिये बावजूद इच्छा के उसमें लोगों को बसाने में बहुत कठिनाई आती है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन परिवारों को बसाने की व्यवस्था अभी सरकार द्वारा करायी जा रही है, उन्हें कोई विश्वास ऐसा दिया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—कोई विश्वास ऐसा और नहीं दिया जा रहा है ; केवल जमीन हस्तगत कराने की कोशिश की जा रही है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)—क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों के निवास की व्यवस्था नहीं हो पायी है, वे कहां बसे हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन परिवारों के गंगा के कटाव से आगामी वर्ष में कट जाने की आशंका है उनके पहले से बचाव के लिये कोई प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं।

[२४ जुलाई, १९५८ के लिये रखे गये प्रश्न]

रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति व पदोन्नति के लिये आदेश

*१—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या १९५७ में प्रदेशीय सरकार की तरफ से रोडवेज विभाग के कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिये इस प्रकार का कोई आदेश प्रसारित हुआ है कि ५० प्रतिशत नियुक्ति एवं पदोन्नति बाहरी उम्मीदवारों और पचास प्रतिशत विभागीय कर्मचारियों से होगी ?

परिवहन राज्य मंत्री (डाक्टर सीताराम)—कुछ श्रेणी के पदों को ५० प्रतिशत बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति से तथा ५० प्रतिशत विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति से भरने के आदेश १९५७ में जारी किये गये थे। आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३०९–३१० पर)

*२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस आदेश को निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा क्या वे उस आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—प्रारम्भ में प्रायः बाहर के व्यक्तियों को न लेकर विभागीय कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा ही जगहें भरी जाती थीं। इस प्रकार बहुत से कर्मचारियों की पदोन्नति हुई, और विभाग में नवीन रक्त संचार करने की आवश्यकता प्रतीत हुई तथा इस आशय से यह आदेश जारी किये गये।

रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में रोडवेज का विश्रामालय बनाने का विचार

*३—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सरकार को ज्ञात है कि रानीखेत, जिला अल्मोड़ा में यात्रियों के लिये रोडवेज का विश्रामालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार भविष्य में उसको बनाने जा रही है?

डाक्टर सीताराम—जी हां, वहां विश्रामालय बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार कब तक कार्यरूप में परिणत हो जायगा?

डाक्टर सीताराम—जब वहां भूमि मिल जायगी और साथ ही साथ धन की व्यवस्था हो जायगी तभी इस समस्या पर विचार किया जा सकेगा।

श्री उग्रसेन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो नये तरीके के विश्रामालय रोजवेज बस स्टेशन्स पर बनते हैं उनमें कुछ खामी है इसलिये जो आगे विश्रामालय बनेंगे वे कुछ तब्दीली करके बनेंगे?

डाक्टर सीताराम—इन सब प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है।

श्री प्रतापसिंह—मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की ओर से भूमि लेने की कोई व्यवस्था की जा रही है?

डाक्टर सीताराम—इस संबंध में पत्र-व्यवहार चल रहा है।

रोडवेज बसों का क्रय तथा सरकारी आय

*४—श्री गज्जूराम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि रोडवेज विभाग में नयी बसें मंगाई जा रही हैं? यदि हां, तो कब और कहां से और कितनी और प्रत्येक बस की कितनी कीमत होगी?

डाक्टर सीताराम—जी हां, पुरानी बसों को बदलने के लिये नई बसें हर साल ही मंगाई जाती हैं। १९५७-५८ में ३३५ चैसिस अशोक लेलैंड, मद्रास से तथा टाटा मर्सीडीज, टाटा लोकोमोटिव तथा इंजीनियरिंग कम्पनी, जमशेदपुर से खरीदी गई हैं। १९०" व्हील बेस की १५२ मर्सीडीज २७,१२२ रु० प्रति के हिसाब से, १९०" व्हील बेस की ९८ मर्सीडीज २७, ५३८ रु० प्रति के हिसाब से, १६५" व्हील बेस की २० मर्सीडीज २५,४५६ रु० प्रति के हिसाब से तथा २०३" व्हील बेस की ६५ लेलैन्ड ३४,३०० रु० प्रति के हिसाब से खरीदी गईं।

*५—श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रोडवेज बसों से ट्रान्सपोर्ट की आमदनी सन् १९५५ से १९५७ तक प्रत्येक वर्ष में कुल व्यय निकाल कर सरकार को कितनी हुई?

डाक्टर सीताराम—सरकार को रोडवेज की बसों से सन् १९५५ से १९५७ तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल व्यय निकाल कर निम्नलिखित आमदनी हुई :—

वर्ष			रु०
१९५४-५५ में	..	..	३३,०६,१२०
१९५५-५६ में	..	..	५२,५३,३९८
१९५६-५७ में	..	..	७७,८६,६२८

डिस्ट्रिक्ट कम्पलेन्ट आफिसर्स की जीपों की वापसी के सम्बन्ध में जानकारी

*६—श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—सरकारी अधिकारियों से सरकारी मोटर गाड़ियां वापस लेने का सरकार का नियम क्या District Complaint Officers को दी गई जीप गाड़ियों पर भी लागू है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

कानपुर रीजन में बसों की संख्या निश्चित करने की प्रार्थना

*७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर रीजन में पुराने रूटों पर बसों के परमिट जारी करने के पहले क्या यह भी जांच की जाती है कि वहां इतना ट्रैफिक भी है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर नये नये परमिट दिये जा रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*८—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री हर एक रूट पर सवारियों के अनुपात से बसों की संख्या निश्चित कर देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—यह कार्य रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटीज का है और मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ की धारा ४७ (३) के अनुसार वह गाड़ियों की संख्या हर एक रूट पर निर्धारित करती है।

रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय के हेड क्लर्कों का ग्रेड बढ़ाने की प्रार्थना

*९—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय के हेड क्लर्कों का ग्रेड सिविल सर्जन के कार्यालय तथा पुलिस सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय के क्लर्कों के ग्रेड से कम है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां।

*१०—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार रीजनल ट्रांसपोर्ट कार्यालय के हेड क्लर्कों के ग्रेड को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सिविल सर्जन के कार्यालय में, पुलिस सुपरिंटेंडेंट के कार्यालय में और रोडवेज (ट्रांसपोर्ट) के कार्यालय में हेड क्लर्कों के ग्रेड क्या-क्या हैं ?

डाक्टर सीताराम—और डिपार्टमेंट्स के हेड क्लर्क्स के वेतन-क्रम के बारे में तो मुझे सूचना नहीं है, लेकिन जहां तक इस डिपार्टमेंट के हेड क्लर्क की बात है उनका वेतन ग्रेड ८० रुपये से १३० रुपये तक है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार इन हेड क्लर्कों को एक समान वेतन देने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सीताराम—इस पर विचार किया जा रहा है।

*११—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—[हटा दिया गया]

राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड की ओर से हैदरगढ़, जिला बाराबंकी में इमारत बनने पर आपत्ति

*१२—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत हैदरगढ़ में जो नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक की ओर से बिल्डिंग बनाई जा रही है वह कितनी कीमत की है और वह ब्लाक के क्षेत्रफल के बीच में है या किनारे ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)—उक्त खंड में भवन निर्माण ५७,९०० रु० की लागत का होगा तथा उसका निर्माण खंड के क्षेत्र के एक किनारे हो रहा है।

*१३—श्री जंगबहादुर वर्मा—१९५७ में उक्त ब्लाक के अफसर कितने बार गांवों में गये और कितने गांवों का दौरा किया ?

श्री सुल्तान आलम खां—सन् १९५७ ई० में खंड के विभिन्न अधिकारियों ने कितनी बार दौरा किया और कितने गांव देखे, इसका ब्योरा माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३११ पर)

*१४—श्री जंगबहादुर वर्मा—जब से ब्लाक खुला है कितने रुपयों का पेट्रोल खर्च हुआ और कितने मील का दौरा किया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां—खंड के खुलने की तिथि से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक १,४६८ रुपये ९६ नये पैसों की लागत का पेट्रोल खर्च हुआ तथा ८,४०० मील का दौरा किया गया।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बिल्डिंग ब्लाक के किनारे क्यों बनायी गयी है और किसकी आज्ञा से बनायी गयी है ?

श्री सुल्तान आलम खां—इसके बनाने की वजह यह है कि वहां पर बनाने से तहसील का हेडक्वार्टर बिल्कुल नजदीक रहेगा और दूसरी वजह यह है कि वहां जो जमीन हमें मिली है उसकी कोई कीमत भी नहीं देनी पड़ी है। इन दो वजहों की बिना पर उसका वहां बनाना तय किया गया।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पेट्रोल के खर्चे की अधिकता को देखते हुये यह स्थान बिल्कुल किनारे पर क्यों रखा गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां—जैसा मैंने अभी सवाल के जवाब में बताया, यह स्थान तहसील हेडक्वार्टर के करीब है इसलिये लोगों को तहसील और ब्लाक के हेडक्वार्टर पर आने सहूलियत है और दूसरे यह कि वह जमीन भी मुफ्त में मिल गयी है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि य बिल्डिंग ब्लाक के किनारे होने के कारण वहां की बैठकों में लोग पहुंच नहीं पाते हैं औ कोरम तक पूरा नहीं होता है ?

श्री सुल्तान आलम खां—माननीय सदस्य को यह भी खयाल रखना चाहिये कि जमीन मुफ्त में मिल जाने की वजह से खर्च में काफी बचत हो गई है।

श्री अध्यक्ष—आप सुझाव न दें, जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब दें।

श्री सुल्तान आलम खां—मैंने अर्ज किया कि मेरी समझ में पेट्रोल के खर्चे में कोई खास इजाफा नहीं हुआ है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि हैदरगढ़ ब्लाक में जीप का एक गैलन पैट्रोल का एवरेज ८ मील क्यों आया है ?

श्री सुल्तान आलम खां--अगर माननीय सदस्य नोटिस देंगे तो मैं जांच कराके जवाब दे सकता हूं।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक की बिल्डिंग एक सिरे पर होने के कारण कोरम पूरा होता है या नहीं ?

श्री सुल्तान आलम खां--इसके लिये सूचना की जरूरत है।

*१५--श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)--[हटा दिया गया]

गोंडा जिले में नलकूपों का लगना

*१६--श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में पिछले तीन वर्षों में कितने बड़े और कितने छोटे नलकूप प्रतिवर्ष बने और क्या निजी छोटे नलकूपों के प्रति सरकार ने सहायता व अनुदान देने के प्रश्न पर कोई फैसला किया ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--उक्त जिले में पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष बने बड़े तथा छोटे नलकूपों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	बड़े नलकूप	छोटे नलकूप
१९५५-५६	६७	५१
१९५६-५७	३	५४
१९५७-५८	-	७७
कुल ..	७०	१८२

जहां तक निजी छोटे नलकूपों पर सहायता व अनुदान देने का प्रश्न है, सरकार द्वारा गन्ने वाले क्षेत्रों में अनुदान दिया ही जा रहा है परन्तु अन्य क्षेत्रों के लिये अभी ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है।

पुनस्संगठन योजनान्तर्गत बचत

*१७--श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में 'रिआर्गेनाईजेशन स्कीम' के अन्तर्गत कितने आदमियों को तथा किस-किस पद से हटाया गया और उससे सरकार को अब तक कितने धन की बचत हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--पुनस्संगठन योजना के अन्तर्गत कोई आदमी नौकरी से नहीं निकाला गया। कुछ पदों की समाप्ति हुई और उन पदधारियों को अन्य पदों में नियुक्त कर दिया गया।

पुनस्संगठन योजना कलक्ट्रियों, राजस्व परिषद् और सचिवालय में लागू की गई। इनमें जो पद समाप्त किये उनकी सूचियां मेज पर रक्खी हैं। उनमें पदों की समाप्ति के कारण जो बचत हुई वह भी दिखलाई गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३१२-३१३ पर)

श्रीमती चन्द्रावती--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो ओ० एस० डी० हिन्दी के कार्य के लिये रखे गये थे उनके पद रिआर्गेनाईजेशन स्कीम में खत्म हुये या नहीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो पद खत्म किये गये हैं उनकी सूची दी गई है। यदि उनका नाम उसमें नहीं है तो उनका काम चल रहा है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलों में सिवाय चपरासियों के और दूसरे कोई पद कम नहीं किये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जो सूची है उसमें चपरासी भी हैं, दफ्तरी भी हैं, कम्पायलर भी हैं, रेवेन्यू असिस्टेंट भी हैं, पेशकार भी हैं, ट्रेजरी क्लर्क भी हैं और मुहाफिजखाने के क्लर्क भी हैं, और भी बहुत से लोग हैं। तो यह सब चपरासी नहीं हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब तक रिआर्गेनाईजेशन स्कीम के अनुसार जो कुछ हुआ है वह सफल हुआ है या असफल ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप राय पूछ रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। वह तो सफल ही समझते होंगे, असफल क्यों समझेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मुख्य मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि जिन विभागों में रिआर्गेनाईजेशन स्कीम जारी की गयी है वहां पर कार्य-शैली में क्या असर पड़ा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--यदि माननीय सदस्य का तात्पर्य सेक्रेटेरिएट से हो तो अभी तो प्रयोग की अवस्था में है और हम ऐसा समझते हैं कि प्रयोग सफल हो रहा है। लेकिन जब तक प्रयोग का दर्जा पार न हो तब तक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यदि उनका तात्पर्य कलेक्टरी वगैरह से हो तो उसमें हम समझते हैं कि जरूर सफलता हुई है।

श्री देवनारायण भारतीय--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पेशकार, मुंसरिम आदि जो भी अपने पद से इस रिआर्गेनाईजेशन स्कीम के मातहत हटाये गये उनको दूसरी जगह स्थान दे दिया गया है, लेकिन चपरासी जो अलहदा किये गये उनको दूसरी जगह स्थान नहीं मिला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--माननीय सदस्य ने शायद मेरे उत्तर का पहला वाक्य नहीं सुना। उसमें लिखा हुआ है कि कोई आदमी नौकरी से अलग नहीं किया गया है। इसलिये अगर कोई आदमी एक जगह से हटाया गया तो दूसरी जगह दी गयी। दूसरी जगह अगर नहीं दी गयी तो मानना चाहिये कि अपनी जगह पर है।

अधिकारियों से सरकारी गाड़ियां वापस लेना

*१८--श्रीमती चन्द्रावती--क्या सरकार कृपया यह सूचित करेगी कि प्रदेश में कुल कितनी गाड़ियां जिलेवार वापिस ली गई हैं और इससे सरकार को कितने धन, प्रतिमाह की बचत हुई ?

डाक्टर सीताराम--सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती चन्द्रावती--क्या सरकार बतायेगी कि यह सूचना कब आ जायगी ?

डाक्टर सीताराम--यह कोशिश की जा रही है कि शीघ्रातिशीघ्र आ जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बतायेंगे कि अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार कितनी गाड़ियां वापस हो चुकी हैं ?

डाक्टर सीताराम--१५ जनवरी, १९५८ तक ५५२।

आजमगढ़ रोडवेज के कर्मचारियों की बहाली

*१९—श्री मुक्तिनाथ राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ रोडवेज में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो १८ जुलाई, सन् १९५६ से सेवा मुक्त किये गये और उन्हें पुनः डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने अप्रैल, सन् १९५७ से पूरे वेतन के साथ बहाल करने का आदेश दिया है? उनमें से कितने उस आदेशानुसार अपनी जगह पर बहाल किये गये और कितने नहीं? इसका क्या कारण है?

डाक्टर सीताराम—सात, बाद में डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के संशोधित आदेशानुसार चार कर्मचारी बिना वेतन के तथा तीन कर्मचारी १ रु० मासिक वेतन पर बहाल किये गये, क्योंकि इन्हें केवल वैधानिक त्रुटियों के कारण बहाल किये जाने का आदेश दिया गया था। पूरी तनख्वाह न देने का कारण यह है कि इन पर लगाये गये दोष पूर्णतया साबित हो चुके थे।

श्री मुक्तिनाथ राय—क्या परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का आदेश कब हुआ और उनके आदेशानुसार संबंधित व्यक्ति पुनः अपने पदों पर नियुक्त कर दिये गये हैं?

डाक्टर सीताराम—इस संबंध में नोटिस की आवश्यकता है।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १८ जुलाई, १९५६ से अप्रैल, १९५७ तक जो कर्मचारी अपने स्थान से अलहदा रहे और अब वह बहाल किये गये उनको उस मुअत्तली के जमाने की तनख्वाह दी गयी?

डाक्टर सीताराम—यह प्रश्नोत्तर में बतला दिया गया है।

लग्जरी बसों से आय

*२०—श्री वीरेन्द्र वर्मा—(जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार के पास कितनी luxury buses हैं और प्रत्येक की अलग-अलग क्या कीमत है?

डाक्टर सीताराम—इस समय सरकार के पास कुल सात luxury buses हैं। हर एक की कीमत निम्नलिखित है:—

	रु० आ० पा०
१—लेलैण्ड लग्जरी बस	५९,६५०—१४—०
२—लेलैण्ड लग्जरी बस	५८,६०२— ५—०
३—लेलैण्ड लग्जरी बस	५९,६६३— ३—०
४—लेलैण्ड लग्जरी बस	५९,६७९— ८—०
५—मर्सीडीज लग्जरी बस	४६,३०३—१३—६
६—मर्सीडीज लग्जरी बस	४६,३०३—१३—६
७—मर्सीडीज लग्जरी बस	४६,३०३—१३—६

*२१—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त गाड़ियां सरकार ने किस स्थान पर रखीं हैं और १९५५—५६ तथा १९५६—५७ में अलग-अलग उनसे सरकार को क्या आय हुई?

डाक्टर सीताराम—चार बसें आगरे में, एक वाराणसी में, एक इलाहाबाद में और एक लखनऊ में रक्खी गई हैं। इनसे सरकार को निम्नलिखित आय हुई है:—

	रु०
१९५५—५६	३०,८१,२५०
१९५६—५७	२०,३९,०५०

*२२—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उक्त बसें कितनी seated हैं और उनका प्रयोग किस प्रकार हो रहा है ?

डाक्टर सीताराम—छः गाड़ियां २३-seater और एक २२-seater हैं। ये गाड़ियां विदेशी विजिटर्स, टुअरिस्ट्स और दर्शकों के इस्तेमाल के लिये हैं। आम जनता को भी ये गाड़ियां किराये पर दी जाती हैं।

महाराजगंज, जिला गोरखपुर में रोडवेज बस स्टेशन की इमारत न होना

*२३—श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को पता है कि गोरखपुर, जिलान्तर्गत महाराजगंज में राजकीय रोडवेज बस स्टेशन स्थानीय धर्मशाला में स्थिति है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि धर्मशाला कमेटी को उसके उपयोग के निमित्त कितनी रकम किराये के रूप में वार्षिक या मासिक दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, २० रु० मासिक किराया दिया जाता है।

*२४—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार गोरखपुर जिलान्तर्गत निचलौल बस स्टेशन के निमित्त 'वन-निर्माण तथा यात्री विश्राम-गृह निर्माण कराने पर विचार कर रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं।

श्री मदन पांडेय—क्या मनानीय मंत्री जी महाराजगंज जैसे महत्वपूर्ण स्थान को देखते हुए उस पर एक रोडवेज का निजी भवन बनवाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—लैंड ऐक्वीजीशन की प्रोसीडिंग्ज चल रही हैं। ज्यों ही भूमि प्राप्त हो जायगी उस पर विचार किया जायगा।

गोंडा-सादुल्लानगर-गौरा चौकी सड़क पर सरकारी बसें न चलने की शिकायत

*२५—श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसने गोंडा जिला में गोंडा से सादुल्लानगर तथा गौरा चौकी तक कितनी बसें चलाने की आज्ञा दी है ?

डाक्टर सीताराम—रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, गोरखपुर ने इस सड़क पर चार बसें चलाने के लिये परमिट दिये हैं, परन्तु इस समय केवल दो बसें चल रही हैं।

श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)—जब ४ बसों के परमिट दिये गये हैं तो दो ही क्यों चल रही हैं, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—दो अनफिट हैं इसलिये नहीं चल रही हैं।

श्री बलदेवसिंह—क्या यह सही है उस सड़क पर कोई बस इस समय नहीं चल रही है ? मंत्री जी को इसकी जानकारी है ?

श्री अध्यक्ष—पहले तो आप पूछ रहे थे कि दो चल रही हैं।

श्री बलदेवसिंह—कोई बस नहीं चल रही है।

डाक्टर सीताराम—यह बात सत्य प्रतीत नहीं होती क्योंकि प्रश्नोत्तर में बतला दिया गया है कि २ बसेज चल रही हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न २५ श्री बलदेव सिंह ने पूछा।

१९५६-५७ में रोडवेज बसों से आय

*२६--श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५६ में यू० पी० रोडवेज की बसों द्वारा कितने यात्रियों ने यात्रा की ?

डाक्टर सीताराम--वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में रोडवेज की बसों द्वारा ६,३२,५१,९९६ यात्रियों ने यात्रा की ।

*२७--श्री गनेशीलाल चौधरी (अनुपस्थित)--सरकार को इससे उक्त वर्ष में कितना लाभ हुआ ?

डाक्टर सीताराम--वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में रोडवेज की बसों द्वारा कुल ७७,८६,६२८ रु० का लाभ हुआ ।

बस्ती जिले में खलीलाबाद और मेंहदावल में बस स्टेशनों की आवश्यकता

*२८--श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या बस्ती जिले में खलीलाबाद और मेंहदावल में बस के स्टेशन सन् १९५८ के वित्तीय वर्ष में बनाये जायंगे ? यदि नहीं, तो मुसाफिरों के ठहरने और टिकट लेने की क्या व्यवस्था की जायगी ?

डाक्टर सीताराम--खलीलाबाद में वित्तीय वर्ष १९५८-५९ में बस स्टेशन बनाया जा रहा है। मेंहदावल में अभी भूमि हस्तगत न होने के कारण बस स्टेशन निर्माण का आयोजन नहीं है। इस स्थान पर यात्रियों के ठहरने तथा टिकट लेने के लिये एक अस्थायी टीन शेड की व्यवस्था की जायगी ।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार कर्मचारियों और यात्रियों की तकलीफ को देखते हुये इस वक्त दोनों जगह बस स्टेशन और मुसाफिरखाना शीघ्र बनायेगी ?

डाक्टर सीताराम--जब बस स्टेशन बनेगा तो मुसाफिरखाना तो अवश्य ही बनेगा ।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)--क्या माननीय परिवहन मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पूछताछ का स्टेशन भी उस पर कायम करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--अभी तो इसकी योजना नहीं है ।

टेहरी-गढ़वाल जिले के कैम्टी फाल जौनपुर विकास क्षेत्र में सड़कों की कमी

*२९--श्री सूरतचन्द रमोला (जिला टेहरी-गढ़वाल)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला टेहरी-गढ़वाल के कैम्टी फाल, जौनपुर विकास क्षेत्र में अब तक जब से यह विकास क्षेत्र शुरू हुआ श्रमदान द्वारा कौन-कौन सी और कितनी मील लम्बी सड़क बनी है ?

श्री सुल्तान आलम खां--सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री सूरतचन्द रमोला--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अभी तक उस योजना के अन्तर्गत कितनी सड़क वहां पर बन पाई है ?

श्री सुल्तान आलम खां--मैंने कहा कि सूचना इकट्ठी की जा रही है । पहले यह सवाल ३ अप्रैल, १९५८ के लिये था । उस वक्त सूचना नहीं आ सकी । इसलिये मुल्तवी

हो गया। उसके बाद असेम्बली प्रोरोग हो गई। उसके बाद सूचना आई तो वह इन्कम्पलीट थी। अब सूचना मंगाई है आने पर जल्द से जल्द मेम्बर साहब को बतला दी जायगी।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितनी अवधि के अन्दर वह सूचना एकत्रित कर लेंगे ?

श्री सुल्तान आलम खां---जल्द से जल्द सूचना मंगाने की कोशिश की जायगी।

अलीगढ़ जिले में हसायन सघन विकास खण्ड पर व्यय

*३०---श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हसायन सघन ब्लाक, अलीगढ़ में अब तक कुल कितना धन व्यय हुआ है और किस-किस कार्य पर और कितना धन वेतन एवं भत्तों में खर्च हुआ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सघन विकास खण्ड हसायन, जिला अलीगढ़ में, खण्ड के खुलने की तिथि, २६ जनवरी, १९५५ से ३१ जनवरी, १९५८ तक, कुल ६,२४,२३३ रुपया खर्च हुआ। यह खर्च किन-किन कार्यों पर किया गया---इस विषय की सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है। वेतन और भत्तों पर क्रमशः १,१०,१३५ और ४३,५०७ रुपया खर्च हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३१४-३१५ पर)

शिड्यूल्ड तथा बैकवर्ड क्लास के गजटेड अफसरों की नियुक्ति

*३१---डाक्टर खमानीसिंह (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में सन् १९५७ ई० में कितने गजटेड आफिसर मुकर्रर किये गये और उनमें कितने बैकवर्ड क्लास और कितने शिड्यूल्ड कास्ट के थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अब तक जो सूचना उपलब्ध हो सकी है, उसके अनुसार सन् १९५७ में उत्तर प्रदेश में कुल ८२० गजटेड आफिसर नियुक्त किये गये, जिनमें ४१ अनुसूचित जातियों के तथा ९ पिछड़े वर्ग के थे।

*३२---डाक्टर खमानीसिंह (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यू० पी० में कितने नान गजटेड आफिसर सन् १९५७ में भरती किये कये उनमें शिड्यूल्ड कास्ट के और बैकवर्ड क्लास के कितने थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उक्त वर्ष में कुल १८,६८४ नान गजटेड आफिसर नियुक्त किये गये जिनमें १,०८१ अनुसूचित जातियों के तथा १,१०२ पिछड़े वर्ग के लोग थे।

बरेली जिले में भोजीपुरा विकास क्षेत्र पर व्यय

*३३---श्री बाबूराम (जिला बरेली)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भोजीपुरा विकास क्षेत्र, जिला बरेली में १९५७ में कितना रुपया सरकारी कर्मचारियों पर और कितना निर्माण तथा और कार्यों पर खर्च हुआ ?

श्री सुल्तान आलम खां---सघन विकास खण्ड, भोजीपुरा, जिला बरेली में १९५७ में सरकारी कर्मचारियों पर ५६,११७ रु० तथा निर्माण एवं अन्य कार्यों पर ८४,०१६ रुपया खर्च हुआ ?

श्री बाबूराम---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इसमें कितना रुपया खेती की उन्नति के लिये व्यय किया गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां---इसमें सिंचाई कार्य पर ७६३ रुपया व्यय हुआ और इसके अलावा और भी बहुत से कामों में इसमें से रुपया खर्च किया गया है। इसकी ज्यादा तफसील मेम्बर साहब चाहेंगे तो मैं मंगा दूंगा।

श्री बाबूराम---क्या माननीय मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इतनी बड़ी रकम को देखते हुये खेती की तरक्की पर जो रुपया खर्च करना चाहिये उससे यह बहुत कम हुआ है ?

श्री सुल्तान आलम खां---इसमें से बहुत सी मदों पर रुपया खर्च हुआ है और अगर आप चाहेंगे तो मैं उनको पढ़ कर सुना दूंगा। कुल कितना रुपया खेती की तरक्की पर खर्च हुआ है इसकी संख्या भी मैं बता दूंगा।

मोटरों के परमिट देने के लिये रीजनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी गोरखपुर की मीटिंग

*३४---श्री रणबहादुरसिंह---क्या परिवहन राज्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि---

(क) रीजिनल ट्रांसपोर्ट अथारिटी, गोरखपुर की मीटिंग जनवरी सन् १९५८ में किस-किस तारीख को हुई ?

(ख) उसमें कौन-कौन से सदस्य उपस्थित थे ?

(ग) कितने प्रार्थना-पत्र किसके-किसके किस जिले से विचार के लिये थे ?

(घ) किन-किन लोगों को मोटर चलाने की किस-किस लाइन पर स्वीकृति दी गई ?

डाक्टर सीताराम---

(क) मीटिंग जनवरी, १९५८ में २८ और २९ तारीख को हुई।

(ख) निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे---

२८ जनवरी, १९५८	२९ जनवरी, १९५८
१---कमिश्नर, गोरखपुर डिवीजन।	१---कमिश्नर, गोरखपुर।
२---जिलाधीश, गोरखपुर।	२---इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०, गोरखपुर।
३---इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्ल्यू० डी०, गोरखपुर।	३---प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गोरखपुर।
४---श्री शिव वचन राय, एम० एल० ए०, देवरिया।	
५---प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, गोरखपुर।	

(ग) †सूचना अनुसूची 'क' में प्रस्तुत है।

(घ) †सूचना अनुसूची 'ख' में प्रस्तुत है।

श्री रणबहादुरसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन लोगों को परमिट दिया गया है उन लोगों ने स्वीकृत लाइन पर मोटरें चलाना प्रारम्भ कर दिया है ?

---

†अनुसूची छापी नहीं गई।

डाक्टर सीताराम—इसकी सूचना तो नहीं है, लेकिन ज्यों ही परमिट दिये जाते हैं उसके एक महीने के अन्दर बस चला देना जरूरी है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन में गोरखपुर जिले को या अन्य जिलों को, किन-किन को लाइसेंस दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—यह आप फेहरिस्त में देख सकते हैं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या माननीय परिवहन मंत्री जी जिन कठिनाइयों का जिक्र अभी रणबहादुर जी ने किया है उन्हें पत्र द्वारा जान लेने का कष्ट करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—किसी भी कठिनाई को मेरे समक्ष उपस्थित करने का प्रयास ही नहीं किया गया।

आजमगढ़ जिले में तेल मिलों के मजदूर

*३५—श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में किस-किस स्थान पर कितने-कितने तेल मिल (Oil Mills) स्थापित हो चुके हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—आजमगढ़ जिले में कोई तेल मिल नहीं है, लेकिन १६४ तेल के कोल्हू बिजली से चलते हैं जहां आटा चक्की व धान से चावल निकालने की मशीनें भी चलाई जाती हैं।

*३६—श्री झारखंडेराय (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रत्येक तेल मिल में कितने मजदूर काम करते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रत्येक स्थान पर चलने वाले कोल्हुओं की संख्या तथा उनमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या संलग्न सूची में दी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३१६-३१७ पर)

यू०पी० फाइनेंशियल कारपोरेशन से मेरठ जिले के उद्योगपतियों को ऋण

*३७—श्री तेजासिंह (जिला मेरठ)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ में किस-किस उद्योगपति ने १०,००० रुपये से ऊपर ऋण सरकार से या State Financial Corporation से ले रखा है और किस-किस ने कितना-कितना ?

उद्योग उपमंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—यू०पी०फाइनेन्शियल कारपोरेशन ने जून, १९५८ तक सर्वश्री आर० के० जिलेटिन एन्ड बोन मिल्स, हापड़ को ५०,००० रुपया तथा सर्वश्री गुरूनानक इन्जीनियरिंग कम्पनी, गाजियाबाद को २०,००० रुपया सरकारी धन में से ऋण दिया है।

कारपोरेशन ने अपने धन में से जून, १९५८ तक मेरठ जिले की दो कम्पनियों को कुल २,३५,००० रुपये ऋण के रूप में दिये हैं। सार्वजनिक हित में कम्पनियों का नाम बताना उचित नहीं है क्योंकि, जहां तक इन ऋणों का सम्बन्ध है, कारपोरेशन अन्य बैंकों की प्रथा के अनुसार काम करता है।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जून, १९५८ तक कितने प्रार्थना-पत्र ऋण के लिये आये और कितनों को धन मिला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस वक्त सूचना नहीं है कि कितनों को दिया गया, मगर जून, १९५८ तक ३६,८४,००० हजार का है, १९५७-५८ में।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ऋण दिया गया है कम्पनियों को उस पर ब्याज की दर क्या है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री तेजासिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि साधारण तौर पर जो प्रार्थना-पत्र दिये जाते हैं, तो उसके बाद कितने दिनों में उस आदमी को धन मिल जाता है और इस गुड़गांव इंजीनियरिंग कम्पनी ने कब प्रार्थना-पत्र दिया था और कितने दिनों के बाद उनको धन मिला ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसके लिये कोई निश्चित नियम नहीं है मगर ज्यों ही प्रार्थना-पत्र आते हैं और मीटिंग होती है तो उसमें विचार करके ऋण दिया जाता है। मगर इस बैंक की योजना १९५१ में बनी और १९५५ में यह चालू हुआ तो यह सब १, २ साल की ही बातें हैं ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी रुपया जो दिया जाता है उस पर ब्याज की दर क्या है ?

श्री अध्यक्ष—उन्होंने बता दिया है कि इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

बरेली में नकली रबड़ का कारखाना खोलने का विचार तथा बाबिन फैक्टरी का बन्द होना

*३८—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बरेली में नकली रबड़ एवं रेलवे की बोगियां बनाने के कारखाने खोलने का वह विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी हां, बरेली में नकली रबड़ (Synthetic Rubber) फैक्टरी खोलने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है तथा रेल के डिब्बे बनाने के कारखाने खोलने का लाइसेन्स केन्द्रीय सरकार द्वारा सर्वश्री धीमान कैरेज एन्ड वैगन वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता को दिया जा चुका है ।

*३९—श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बरेली की बाबिन फैक्टरी के बन्द हो जाने पर वहां की मशीनों का क्या किया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—बाबिन फैक्टरी के बन्द हो जाने पर उन मशीनों को बेचने का प्रयत्न किया जा रहा है जिनकी भविष्य में कम्पनी को आवश्यकता न होगी । कुछ मशीनें किराये पर भी दी गई हैं ।

*४०—श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाबिन फैक्टरी की बिल्डिंग एवं मशीनों आदि को किसी अन्य कारखाना खोलकर कार्य में लाने का विचार कर रही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इस समय कुछ बिल्डिंग किराये पर उठा दी गई है और मशीनें भी किराये पर हैं । कुछ योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं । इनमें से आरा मशीन जनवरी, १९५८ से चालू कर दी गयी है और लकड़ी का चिरान हो रहा है ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सिन्थेटिक रबर फैक्टरी के लिये स्थान चुन लिया गया है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यथार्थ में यह इलाहाबाद के लिये तय हुआ था मगर वहां पर रा मेटिरियल और पावर एल्कोहल ज्यादा नहीं है, इसलिये वह बरेली में रखी गई । अब केन्द्रीय सरकार इस पर विचार कर रही है, २, ३ जगहें देखी गई हैं, उसके बाद निर्णय होगा ।

श्री धर्मदत्त वैद्य—कलकत्ते की जिस फर्म को वैगन बनाने का लाइसेंस दिया गया है वह किस सन् और महीने में दिया गया ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—सूचना की आवश्यकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—यह बाबिन फैक्टरी कब बन्द की गई और क्यों बन्द की गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—वह अनइकोनामिक साबित हुई, इसलिये बन्द की गई ।

श्री चन्द्रजीत यादव—जिस समय यह कम्पनी बन्द की गई उस समय इसमें कितना घाटा था ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—यह एक प्राइवेट कन्सर्न है, गवर्नमेंट की सीधी फैक्टरी नहीं है । गवर्नमेंट के तो शेयर्स हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि जो पिछले वर्ष सरकारी विज्ञप्ति निकाली गई कि सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रबर का कारखाना बरेली में खोलने का निश्चय कर लिया है, वह सही है या जो उन्होंने कहा है कि विचाराधीन है, वह सही है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—लाइसेंस वगैरह गवर्नमेंट आफ इंडिया देती है । जहां तक बरेली का सवाल है, अभी तक उसका डिनायल नहीं हुआ है मगर अभी पक्के तौर पर भी नहीं कहा जा सकता है । यह उम्मीद करना चाहिये कि मिलेगी ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—बाबिन फैक्टरी में सरकार के कितने शेयर हैं, क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—नोटिस की आवश्यकता है ।

वनस्पति तेल के कारखानों को सहायता देने के सम्बन्ध में जानकारी

*४१—श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में वनस्पति तेल की किसी फैक्टरी को सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—जी नहीं ।

श्री रामहेतसिंह—क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चलने वाली वनस्पति तेल की फैक्टरियों पर केन्द्रीय सरकार के अलावा हमारी प्रादेशिक सरकार का भी किसी प्रकार का नियंत्रण है ? यदि हां, तो किस प्रकार का ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—कोई नियंत्रण नहीं रहता ।

पर्चेजिंग सेंटरों पर गन्ने की कीमत कम देने की शिकायत

*४२—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश के पर्चेजिंग सेंटरों पर गन्ने की कीमत १ रु० ५ आ० से कम दी जा रही है ? यदि हां, तो इस का क्या कारण है और उन सेंटरों के नाम क्या हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—केन्द्रीय सरकार द्वारा गेट पर सप्लाई के लिये १ रु० ७आ० और रेल सेंटरों पर १ रु० ५ आ० प्रति मन के हिसाब से गन्ने का मूल्य निश्चित किया गया है परन्तु रोड सेंटरों पर कीमत ढुलाई व्यय को ध्यान में रखते हुए फासले के हिसाब से दी जाती है जिसके नियम भी केन्द्रीय सरकार ने बनाये हैं । ऐसे क्रय केन्द्रों के, जिन पर कीमत १ रु० ५ आ० से कम दी जा रही है, नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं ।

---

* सूची छापी नहीं गई ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो रोड सेंटरों पर फासले के हिसाब से गन्ने की कीमत कम दी जाती है, उसमें अन्तर क्यों है? जैसे बिलारी मिल के सेहर सेंटर में २४ मील की दूरी पर ३१ नये पैसे, ठाकुरद्वारा ४७ मील की दूरी पर २५ नये पैसे, खिरका ६२ मील की दूरी पर २५ नये पैसे, तो यह अन्तर क्यों हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—केन्द्रीय सरकार ने यह किया है। उन्होंने अपने अधिकारियों की जांच ठीक समझी होगी, उसके मुताबिक किया है।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या सरकार इस अन्तर के बारे में केन्द्रीय सरकार से कोई सिफारिश करने का विचार कर रही है?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—अगर आप लिखकर दें और गवर्नमेंट उचित समझेगी तो भेजेगी।

श्री उग्रसेन—क्या सरकार को मालूम है कि मिल मालिक यह ढुलाई कम कर देते हैं?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—इसकी हमें कोई इत्तला नहीं है।

सहकारी चीनी मिलों का संस्थापन

*४३—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सहकारी शुगर मिल स्थापित करने के लिये कितने और कहां-कहां लाइसेंस दिये गये हैं और कार्य में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस प्रदेश में निम्नांकित स्थानों पर सहकारी शुगर मिल स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं :—

बाजपुर, जिला नैनीताल।
बागपत, जिला मेरठ।
सरसावा, जिला सहारनपुर।

उक्त स्थानों पर मिलों के संस्थापन में अब तक जो प्रगति हुई है उसका ब्योरा निम्नलिखित है :

(१) बाजपुर मिल की स्थापना के लिये लगभग सारी मशीनरी आ गई है और मिल तथा गोदाम इत्यादि की इमारतें भी बन चुकी हैं। आशा है कि मिल अगले सीजन १९५८–५९ में पेराई का कार्य प्रारम्भ कर देगी।

(२) बागपत मिल के लिये जून, १९५८ में Import license प्राप्त हो गया है।

(३) सरसावा मिल के Bye-laws रजिस्टर्ड हो गये हैं और गन्ना उत्पादकों द्वारा अब तक लगभग ७,००,००० रुपया इकट्ठा किया जा चुका।

*४४—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एक सहकारी शुगर मिल में जितना धन लगता है उसमें अलग-अलग कितना किसानों का, कितना प्रदेशीय व केन्द्रीय सरकार का भाग होता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक सहकारी मिल में लगभग १,२५,००,००० रुपया लगता है। इस में अलग-अलग किसानों व प्रदेशीय व केन्द्रीय सरकार के भाग में कोई अनुपात निर्धारित नहीं है।

*४५—श्री वीरेन्द्र वर्मा (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बड़ौत, जिला मेरठ में शुगर मिल लगने की जो योजना थी उसका क्या रहा?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---खलीलाबाद शुगर फैक्टरी को शिफ्ट करके बड़ौत, जिला मेरठ ल जाने के विषय में केन्द्रीय सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है ।

रायबरेली जिले में खुलने वाली उद्योग संस्थायें

*४६---श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली में कुटीर उद्योग की संस्थायें कहाँ-कहां खुलने जा रही हैं ?

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)---इस समय रायबरेली में सरकार एक चर्म-शोधन केन्द्र तथा औद्योगिक शिक्षालय तथा उत्पादन केन्द्र खोलने पर विचार कर रही है । स्थानों का निर्णय अभी नहीं हो पाया है ।

श्री गुप्तारसिंह---क्या ये जो केन्द्र और शिक्षालय खुलेंगे उनमें कुछ लालगंज में जो कि जिले की सर्वोपरि व्यावसायिक मंडी है वहां भी खुलेंगे आगे ?

श्री रऊफ जाफरी---वहां की जिला परिषद् की इन्डस्ट्रीज कमेटी से सलाह ली जाती है । जो कुछ वह सिफारिश करती है अक्सर उसके हिसाब से खोला जाता है । अगर वहां से इस जगह की सिफारिश आई तो उस पर ध्यान दिया जायगा ।

गोरखपुर डिवीजन (आजमगढ़) डिपो से प्रशिक्षित कण्डक्टरों का स्थायित्व

*४७---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५४, १९५५, १९५६ तथा १९५७ ई० में गोरखपुर डिवीजन (आजमगढ़) डिपो से प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितने उम्मीदवार कन्डक्टरी की ट्रेनिंग में पास हुए हैं ?

डाक्टर सीताराम---१९५४ में ८, १९५५ में ५९, १९५६ में ४५ और १९५७ में ४ ।

*४८---श्री यमुनासिंह---उपर्युक्त ट्रेनिंग प्राप्त उम्मीदवारों में से उक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष अलग-अलग कितने उम्मीदवारों को मुस्तकिल स्थान प्राप्त हो चुके हैं ?

डाक्टर सीताराम---१९५६ में सात कण्डक्टरों को परमानेंट स्थान दिया गया ।

श्री यमुनासिंह---बाकी कन्डक्टर जो ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं उनमें से कितनों को स्थायी और कितनों को अस्थायी जगहों पर काम दिया गया है और कितने बैठे हैं ?

डाक्टर सीताराम---टोटल देखा जाय तो इससे स्पष्ट है कि करीब २१ आदमियों को सूचना भेजने के पश्चात् भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है । साथ ही साथ जो ज्वाइन किये उनमें से कुछ गबन के केस में निकाल दिये गये । बाकी शार्ट टर्म और लान्ग टर्म वैकेन्सीज में काम कर रहे हैं ।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि गोरखपुर डिवीजन में कितने कण्डक्टर अण्ट्रेन्ड और कितने कण्डक्टर ट्रेन्ड इस वक्त काम कर रहे हैं ?

डाक्टर सीताराम---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस डिवीजन के उम्मीदवार कन्डक्टरों को ट्रेनिंग कितने काल में दी गयी और क्या उस वक्त में कोई असाल्यू-मेंट्स भी दिये गये ?

डाक्टर सीताराम---उनकी ट्रेनिंग सिर्फ १५ दिन की होती है । उनको कुछ दिया नहीं जाता । इसके अलावा गोरखपुर डिवीजन में ८ जिले हैं । पूरे ८ जिलों की इत्तिला मेरे पास नहीं है । गोरखपुर जिले के बारे में ही पूछा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मन्त्री जी बचे हुए कण्डक्टरों को जो ट्रेनिंग पा चुके हैं, काम देने की सुविधा प्रदान करेंगे ?

डाक्टर सीताराम--ज्यों-ज्यों सड़कें ली जायंगी त्यों-त्यों आवश्यकतानुसार उनको भर्ती किया जायगा ।

एटा जिले में ग्राम सेना पुल पर व्यय

*४९--**श्री गंगाप्रसाद वर्मा** (जिला एटा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक जिला एटा के ग्राम सेना पुल में कितनी बोरी सीमेंट व कितनी हजार ईंट व कितना रुपया खर्च किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ग्राम सेना पुल पर कुल लागत ११,४७५ रुपये खर्च किया गया है (इसमें से ४,५०० रुपये सरकार का तथा ६,९७५ रुपये जनता का था) । इस पुल पर ३०० बोरी सीमेंट तथा ८०,००० ईंटें खर्च हुए ।

*५०--**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)--[स्थगित किया गया ।]

अधिकारियों से सरकारी गाड़ियों की वापसी

*५१--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने अपने अधिकारियों को सरकारी मोटरें जमा करने के लिये कब आदेश दिया था तथा अभी तक कितनी कारें जमा हो चुकी हैं और कितनी शेष हैं ?

डाक्टर सीताराम--मोटर जमा करने का आदेश ३० अगस्त, १९५७ को जारी किया गया था । ५६५ गाड़ियां जमा हुईं और लगभग ९०० गाड़ियां शेष रह गईं जिन पर कि यह आदेश लागू नहीं था ।

देवरिया जिले के बाढ़ केन्द्रों में चलाये गये उद्योग धंधे

*५२--**श्री उग्रसेन**--क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देवरिया जिले के प्रमुख बाढ़ केन्द्रों-बरहज, रुद्रपुर, लार भाटपार, तमकुही रोड, पडरौना, भागलपुर में गृह उद्योग धंधों को चालू करने का प्रबन्ध हो रहा है ? यदि हां, तो किन-किन उद्योगों का प्रबन्ध किया जा रहा है ?

श्री रऊफ जाफरी--देवरिया जिले में खादी, अम्बर खादी, गुड़, हथकरघा, चर्म विकास आदि योजनाओं के अन्तर्गत औद्योगिक विकास किया जा रहा है । ये योजनाएं कई बाढ़ क्षेत्रों तथा अन्य स्थानों में चालू हैं ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन केन्द्रों में किन-किन उद्योगों का काम चालू है ?

श्री रऊफ जाफरी--खादी केन्द्र बरहज, रुद्रपुर, तमकुही, पडरौना और भागलपुर में हैं । अम्बर चर्खा केन्द्र पडरौना में और गुड़ विकास केन्द्र पडरौना और सलेमपुर में हैं ।

श्री उग्रसेन--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इन उद्योगों को लगाने से कितने लोगों को रोजी प्रतिमाह मिल सकेगी ?

श्री रऊफ जाफरी--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उग्रसेन--क्या देवरिया की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन उद्योगों को बरहज और लार आदि स्थानों में जल्द से जल्द खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी--जैसा कि उत्तर में बताया गया है बाढ़ क्षेत्रों में भी और अन्य क्षेत्रों में भी, अपने साधनों के मुताबिक केन्द्र खोलने की कोशिश की जायगी ।

मझवारा सरकारी खादी केन्द्र में हुण्डियों का पूरा रिबेट न मिलने की शिकायत

*५३--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मझवारा खादी केन्द्र को सहायता कब दी गई है तथा ग्राम कार्यकर्त्ताओं को मासिक कितना-कितना वेतन मिलता है ?

श्री रऊफ जाफरी--

(क) सन् १९५६-५७ में ।

(ख) ३५ रुपया ।

*५४--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मझवारा सरकारी खादी केन्द्र पर प्रत्येक हुण्डी पर दो-दो आने की सरकारी सहायता का धन कब-कब और कितना-कितना दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी--सन् १९५६-५७ में ३,५६४ रुपया और १९५७-५८ में ९६८ रुपये २८ नये पैसे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७-५८ में ९९८ रुपये २८ नये पैसे जो २ आने हुण्डी के हिसाब से दिया गया है वह इतना कम क्यों दिया गया है ?

श्री रऊफ जाफरी--वहां सूत कम आया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--सरकार इसकी पुनः जांच करायेगी कि क्या यह सही है कि २ आने प्रति हुण्डी के हिसाब से पूरा पैसा अभी तक नहीं दिया जा सका है ?

श्री रऊफ जाफरी--जहां तक इस रिबेट के देने का ताल्लुक है, उसका तरीका यह है कि जो हुण्डी खादी भंडार में जाती है वह वे लोग लेते हैं और उसके बाद उनका रुपया वापस कर देते हैं । तो इसलिये बराहरास्त इस हुण्डी खरीदने से सरकार का कोई ताल्लुक होता नहीं है । जितना गया उसके हिसाब से उन्होंने वसूल कर लिया ।

हाथरस में नवीन उद्योग चलाने की प्रार्थना

*५५--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हाथरस में नवीन उद्योगों में कितने व्यक्तियों को काम देने की योजना है और वह किन-किन छोटे तथा किन-किन बड़े उद्योगों के द्वारा ?

श्री रऊफ जाफरी--

(क) ६३ व्यक्तियों को ।

(ख) कटलरी और हथकरघा उद्योग के द्वारा ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या सरकार वहां की आबादी को देखते हुए इन उद्योगों के अलावा और नये उद्योग खोलने की भी व्यवस्था करेगी जिससे कम से कम २ हजार आदमियों को काम मिल सके ?

श्री रऊफ जाफरी--माननीय सदस्यों को मालूम है कि तमाम जिले में एक इंडस्ट्रियल सर्वे किया जा रहा है कि कहां-कहां कौन-कौन उद्योग खुल सकते हैं । जब रिपोर्ट आ जायगी तो उस पर विचार किया जायगा और जिस कदर हमारे पास धन होगा, सामग्री होगी उस लिहाज से वे खोले जायंगे ।

पांच वर्ष से पुराने औद्योगिक ऋण

*५६—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या मुख्य मंत्री कृपया ऐसे दिये गये औद्योगिक ऋणों की सूची सदन की मेज पर रखेंगे जो ५ वर्ष से अधिक से पुराने हैं और जिनकी वसूलयाबी नहीं हो रही है ?

श्री रऊफ जाफरी—वांछित† सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जिन लोगों को ऋण दिया जाता है वे उस ऋण को उसी काम में लगाते हैं और उनको उस काम में सफलता मिलती है या नहीं, यह परख्यू किया जाता है या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी—जब उनकी दरख्वास्त आती है तो सबसे पहले हमारे अधिकारी इस बात की जांच कर लेते हैं कि वह कारोबार चल सकता है या नहीं, यह देखने के बाद ही उनको रुपया दिया जाता है । वक्तन फवक्तन यह भी देखते रहते हैं और उनको सलाह मशविरा भी देते रहते हैं, मगर बावजूद इसके भी लोगों को घाटा हो जाता है और कभी-कभी नुकसान भी हो जाता है जैसा कि और उद्योगों में होता है ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं । क्या मंत्री महोदय की सीट पर बैठ कर कोई सदस्य महोदय भाषण कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—वह बात यह है कि मंत्री जी न बैठे होंगे तभी वे बैठे होंगे, मंत्री जी के ऊपर नहीं बैठेंगे ।

श्री रामजी सहाय (जिला देवरिया)—क्या सरकार को ज्ञात है कि अधिकारी कभी-कभी सेक्योरिटी के सम्बन्ध में सम्पत्ति का ओवर कैलकुलेशन कर देते हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—ऐसी कोई शिकायत तो आई नहीं अन्दाज की बात होती है । जसी रिपोर्ट आ जाती है वैसा कर दिया जाता है ।

श्री गेंदा सिंह—सदन की आसानी के लिये क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कितनी रकम है जो अब तक बकाया पड़ी हुई है ?

श्री रऊफ जाफरी—सूची तो दी हुई है । ४,००,००० के ऊपर कुछ रकम है ।

चीनी का उत्पादन

*५७—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों का उत्पादन गत ५ वर्षों में कितना प्रतिवर्ष हुआ ? सरकार चीनी उत्पादन उद्योग में अधिक क्षमता उत्पन्न करने के लिये क्या प्रयास कर रही है ? गत ५ वर्षों में चीनी का और पेरे जाने वाले गन्ने का औसत अनुपात क्या था ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मांगी हुई सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३१८ पर)

*५८—श्री लक्ष्मणराव कदम (अनुपस्थित)—[७ अगस्त, १९५८ के लिये स्थगित किया गया ।]

---

†सूची छापी नहीं गई ।

रोडवेज कर्मचारियों के सेवा नियम की जानकारी

*५९--श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज कर्मचारियों की नियुक्ति, वेतन, तरक्की आदि किस मैनुअल के आधार पर किया जाता है ?

डाक्टर सीताराम--परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिये जिसमें रोडवेज के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं मैनुअल और सर्विस रूल्स बनाये जा रहे हैं, इस समय इन कर्मचारियों की नियुक्त इत्यादि सरकारी आदेशों एवं जनरल रूल्स के अनुसार होती है ।

श्री ब्रजनारायण तिवारी--क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि ये रूल्स कब तक तैयार हो जायंगे ?

डाक्टर सीताराम--अभी तो काम शुरू हुआ है । आशा है ६ महीने का समय लग जायगा ।

श्री उग्रसेन--क्या मंत्री जी यह बतलायेंगे कि सरकारी यातायात को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिये रोडवेज ऐक्ट कब तक बनाया जायगा ?

श्री अध्यक्ष--यह ऐक्ट का मूल सवाल नहीं है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से अल्प बचत योजनान्तर्गत धन की वसूली

*६०--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार को पता है प्रान्त के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से अल्पबचत योजना में रुपया लिया जा रहा है ?

श्री सुल्तान आलम खां--जी हां ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--क्या सरकार बतलायेगी कि ये विद्यालय जो अल्पबचत योजना में रुपया जमा करते हैं अपने फंड से करते हैं या विद्यार्थियों से फीस के रूप में वसूल करके जमा करते हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--अपने फंड से जमा करते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अल्प बचत योजना में कुल कितना रुपया लिये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

श्री सुल्तान आलम खां--इस वक्त मेरे पास कोई हिसाब तो मौजूद नहीं है कि उनसे कितना वसूल किया गया और कितना उनका जमा था । जो सवाल किया गया था उसका जवाब दिया गया ।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--अल्प बचत योजना में सरकार जो रुपया विद्यालयों से जमा करायेगी क्या वह उनकी ग्रान्ट मे काटा गया है जमा कराने के हेतु ?

श्री सुल्तान आलम खां--नहीं, ग्रान्ट से नहीं काटा गया है ।

इटावा जिले में नियोजन कार्यों पर व्यय

*६१--श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)--क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले को सन् १९५६-५७ तथा सन् १९५७-५८ में कितना रुपया प्लानिंग के कार्यों के लिये दिया गया तथा उसमें कितना खर्च हुआ ?

श्री सुल्तान आलम खां--इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३१९ पर)

*६२—श्री मिहरबानसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस रुपये में से किन-किन कार्यों में कितना-कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां—इस विषय का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३२०–३२१ पर)

*६३—श्री मिहरबानसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कच्ची सड़कों को पक्की बनाने में कितना रुपया खर्च किया गया तथा कौन-कौन सी कच्ची सड़कें पक्की बनाई गई ?

श्री सुल्तान आलम खां—कच्ची सड़कों को पक्की बनाने में कुल १,००,१६८·४२ रुपये का व्यय हुआ। उनके नाम तथा व्यय का विस्तृत विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३२२ पर)

श्री मिहरबानसिंह—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सदन को यह आश्वासन दिया गया था कि श्रम और प्लानिंग से जो कच्ची सड़कें पक्की बनायी जायंगी वे देख-रेख के लिये पी० डब्ल्यू० डी० को दी जायंगी जिससे वे आगे सुरक्षित रहें ?

श्री सुल्तान आलम खां—ऐसा तो कोई एश्योरेंस नहीं दिया गया था कि सब सड़कें दी जायंगी। रफ्ता रफ्ता जितना पैसा होगा और जितनी ज़रूरत होगी उसके एतबार से दी जायंगी, ऐसी बात कही गयी थी।

श्री मिहरबानसिंह—क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हमारे जिले में जो दो तीन बड़ी सड़कें हैं जो प्लानिंग से और श्रम से पक्की की गई हैं उन्हें पी० डब्ल्यू० डी० को देने की कृपा करेंगे जिससे उनका रख-रखाव उचित तरह से हो सके ?

श्री सुल्तान आलम खां—अगर इस किस्म की कोई सिफारिश सरकार के पास जिले की प्लानिंग कमेटी से आयेगी तो जरूर गौर किया जायगा।

गाजियाबाद की माडर्न इंडस्ट्री सहकारी समिति का आडिट

*६४—श्री तेजासिंह—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गाजियाबाद की हरिजन चर्म उद्योग और माडर्न इंडस्ट्री सहकारी समितियों का हिसाब अन्तिम बार कब आडिट हुआ था ?

श्री रऊफ जाफरी—माडर्न इन्डस्ट्री सहकारी समिति का हिसाब २९–४–५७ को आडिट किया गया था। दूसरी समिति का आडिट अभी तक नहीं हुआ है।

श्री तेजासिंह—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इन सोसाइटीज का अलग-अलग कितना शेयर कैपिटल है और यह क्या काम कर रही हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

बिजनौर जिले में चालू होने वाले उद्योग धंधे

*६५—श्रीमती चन्द्रावती—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वह जिला बिजनौर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किन-किन उद्योग धंधों को चालू करने का विचार रखती है ?

श्री रऊफ जाफरी—कम्बल उद्योग, गुड़ उद्योग, ताड़ गुड़ उद्योग तथा हथकरघा उद्योग।

श्रीमती चन्द्रावती---माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि आबनूस की लकड़ी के उद्योग के लिये भी कुछ प्रयत्न किया जायगा ?

श्री रऊफ जाफरी---एक सुझाव इस स्कीम के चलाने के सिलसिले में सरकार के पास आया था और सरकार ने उस सिलसिले में केन्द्रीय सरकार से सहायता के लिये लिखा था। अभी तक उनकी मंजूरी नहीं आयी है। जब सहायता मिल जायगी तो देखा जायगा।

श्री बलदेवसिंह (गोंडा)---केन्द्रीय सरकार को कब लिखा गया था ?

श्री रऊफ जाफरी---तारीख मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर---सरकार जिला बिजनौर में ऐसा कौन सा उद्योग स्थापित करने जा रही है जिसके लिये सबसे ज्यादा कच्चा माल बिजनौर में उपलब्ध है ?

श्री रऊफ जाफरी---आम तरीके पर तो यही होता है हथकरघा ज्यादा चलता है। लकड़ी का काम भी बहुत है। इसके अलावा कम्बल का काम नजीबाबाद में काफी हो रहा है।

प्रथम तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में झांसी कमिश्नरी में उद्योग धंधे

*६६---श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत झांसी कमिश्नरी में कौन-कौन सी इंडस्ट्री की योजना कहां-कहां कार्यान्वित की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत झांसी कमिश्नरी में निम्नलिखित औद्योगिक योजनाएं कार्यान्वित की गईं ---

योजना		स्थान
१---शिक्षा योजना	..	झांसी
२---खादी योजना	..	उरई जिला जालौन, कदौरा, चिरगांव, जिला झांसी।
३---औद्योगिक शिक्षालय योजना		कालपी, जालौन, ललितपुर, झांसी, उरई, जालौन।
४---ऋण व अनुदान योजना	..	भिन्न भिन्न जिलों में।
५---हस्तकर्घा योजना	..	सम्पूर्ण कमिश्नरी के भिन्न-भिन्न स्थानों में।
६---औद्योगिक सहकारिता योजना।		" "

*६७---श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी कमिश्नरी में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इंडस्ट्री विकास पर वह क्या ध्यान दे रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत झांसी कमिश्नरी में उद्योग विकास के लिये निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करने की योजना है--

१--औद्योगिक शिक्षालय योजना ।
२--गुड़ विकास योजना ।
३--प्रावैधिक एवं औद्योगिक शिक्षा योजना ।
४--ताड़ गुड़ विकास योजना ।
५--हाथ से कागज बनाने की योजना ।
६--सघन विकास योजना ।
७--औद्योगिक सहकारिता योजना ।
८--हाथ करघा योजना ।
९--पिछड़े एवं अविकसित क्षेत्र विकास योजना ।
१०--चर्म विकास एवं चर्मशोधन योजना ।

*६८--श्री गज्जूराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आज तक उपर्युक्त संबंध में सरकार ने झांसी कमिश्नरी के अन्तर्गत जिलों में पता लगाया है कि वहां कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज अधिक सफलता प्राप्त कर सकती हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार ने औद्योगिक सर्वेक्षण की एक योजना स्वीकार की है जिसके अन्तर्गत राज्य के कुटीर, लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का सर्वे कराया जा रहा है । इस योजना के अन्तर्गत झांसी कमिश्नरी के उद्योगों का भी पता लगाया जा रहा है ।

प्रश्नों के उत्तर में दी जाने वाली सूचियों को मेज पर रखने की प्रणाली पर आपत्ति

†श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्नों के सम्बन्ध में यह कहना है कि बहुत से प्रश्नों के उत्तर में यह कह दिया जाता है कि सूचना मेज पर रखी है। उस उत्तर में कुछ ऐसी सूचनाएं होती हैं जिनको बगैर देखे हुये प्रश्न नहीं किये जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप इस बात की व्यवस्था कर देंगे कि ऐसी सूचनाएं केवल यह कह कर के कि मेज पर प्रस्तुत हैं, न टाली जायं । उनके सम्बन्ध में संक्षेप में एक स्पष्टीकरण बता दिया जाया करे जिससे प्रश्न तत्काल किया जा सकें। वरना होता यह है कि बहुत से और जरूरी प्रश्न बिना सूचना के ही रह जाते हैं और सदन को उनके विषय में जानकारी नहीं हो पाती।

श्री अध्यक्ष--एक तो प्रश्न इतने अधिक होते हैं कि यदि ऐसा किया जाय, सब का ब्यौरा पढ़ा जाय तो थोड़े ही प्रश्नों का उत्तर सदन में दिया जा सकेगा । कुछ तो लम्बे प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादा मालूमात हासिल करने का प्रयत्न होता है। यदि किसी को खास दिलचस्पी होती है तो वह जानकारी हासिल कर लेते हैं। उनकी इच्छा पूरी करने के लिये लम्बे उत्तर उनको फेहरिस्त का संकेत करके दे दिये जाते हैं, लेकिन उस जानकारी में सब को तो दिलचस्पी होती नहीं है। अगर सबकी दिलचस्पी समझी जाय तो यह हो सकता है कि उस फेहरिस्त को पढ़ने की इजाजत दे दी जाय और ब्योरा सुना दिया जाय। लेकिन इस तरह से तो शायद एक ही सदस्य के सवाल सारा समय ले लेंगे क्योंकि समय तो केवल १ घंटे का ही है। यह सब सोच कर उचित समझा गया कि अगर किसी की किसी उत्तर में खास दिलचस्पी हो तो वह अपने साथी से फेहरिस्त ले कर देख लें और कोई पूरक प्रश्न वह पूंछना चाहें तो नया सवाल अगले वक्त प्रश्न भेज कर पूछ लें। यह नहीं हो सकता कि और तमाम सदस्यों के प्रश्न रह जायं और एक प्रश्न के उत्तर में जो ब्योरा फेहरिस्त में दिया हो उस में ही सबसमय लगाया जाय।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, मेरा मतलब केवल इन प्रश्नों से . . . . ।

श्री अध्यक्ष— मेरे कमरे में आकर आप मुझे बतायें, आप की बात वाजबी होगी तो मैं मान लूंगा।

छः कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास आज यह ६ कामरोको प्रस्ताव आये हैं। उनको मैं पढ़कर नहीं सुनाता हूं क्योंकि यह सब इस प्रकार के हैं कि जिनका जिक्र इस आम बहस में जो माननीय राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में हो रही है, हो सकता है और यह जो नये वाकयात होते चले जाते हैं उनसे सम्बन्धित हैं, वह तो रोज ही होते चले जांयगे। मैंने पहले तो तीन रोज काम रोको प्रस्तावों को पढ़कर इसलिये सुना दिया था क्योंकि वे पहले से छुट्टी के दिनों में सोचकर रखे होंगे। बहुत से पुराने मामले होंगे और छुट्टियों की वजह से वह पेश नहीं किये जा सके थे। परन्तु अब तो नये नये प्रश्न पैदा होते जाते हैं उनको इस आम बहस में लाया जा सकता है इसलिये उनको मैं पढ़ कर सुनाने की आवश्यकता नहीं समझता और अनावश्यक होने के कारण उनमें से किसी को भी मैं स्वीकार नहीं करता।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महादय, हमें यह बताया जाय कि. . . .

श्री अध्यक्ष—यह तो बताने के समय आप को बता दिया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष— अब श्री वीरेन्द्र वर्मा के प्रस्ताव पर बहस होगी। श्री हरीसिंह बोल रहे थे और अब उनके १० मिनट बाकी हैं, लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि यहां पर शान्ति का वातावरण बना रहे इस खयाल से यहां कोई चुनाव की चर्चा नहीं होना चाहिये। चनाव के विषय में ही गर्मागर्मी आ जाती है, उसका जिक्र किसी ने किया और गर्मागर्मी बढ़ी। इसलिये आप चुनाव का जिक्र न करें। दूसरी तरफ मैं वरोधी दल वालों से भी कहना चाहत हूं कि अगर माननीय हरी सिंह जी अपनी और सरकार की प्रशंसा करें तो जिस तरह से आप को सरकार के कार्यों की नुक्ताचीनी करने और उसकी बुराइयां बताने का अधिकार है तो दूसरों के द्वारा की हुई सरकार की तारीफ भी शांति से सुन लेनी चाहिये। यानी गवर्नमेंट बेंचेज की ओर से सरकार की तारीफ हो तो शान्ति से विरोधी पार्टियों को सुनना चाहिये। वे उसका जवाब दे सकते हैं अपने भाषण में, लेकिन वैसे हर सदस्य चिल्लाने लगे तो सदन में शांति नहीं रह सकती। शान्ति कायम रखना सदन में हमारा कर्त्तव्य है और मैं आशा करता हूं कि यहां का प्रत्येक सदस्य उस को कायम रखने में सहयोग देगा।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा शिरोधार्य है और मैं उस का पालन कने की कोशिश करूंगा, पालन ही करूंगा। कल मेरे ५ मिनट तो शोरगुल में ही समाप्त हो गये, मैं निवेदन करूंगा कि मुझे ५ मिनट और दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—आप के लिये अभी दस मिनट तो हैं ही।

श्री हरीसिंह—मैं श्रीमन्, आप के द्वारा कल बता रहा था कि हमारी सरकारने हरिजनवर्ग के लिये क्या क्या कार्य किये हैं। मैंने तो एक पानी पीने के कुएं बनवाने का जिक्र किया था और दूसरी बात यह है कि मेरी सरकार द्वारा इस वक्त १,४७,००,००० लाख के बजट में से शिक्षा पर, कुओं पर, मकानों के निर्माण के लिये और इंडस्ट्री पर खर्च किया जा रहा है। ८२,००,००० तो महज हरिजन विद्यार्थियों की शिक्षा दीक्षा पर, उनकी छात्रवृत्ति पर खर्च किया जा रहा है। साथ ही देश की किसी और सरकार का इतना बजट नहीं है, जहां तक मुझे

[श्री हरीसिंह]

मालूम है। हरिजनों के लिये कई जिलों में ऐसे इंडस्ट्रियल सेंटर खोले गये हैं जिनमें हरिजन बच्चों को छात्रवृत्ति दे कर दस्तकारी सिखाई जाती है और दस्तकारी सिखलाने के बाद उनको कुछ सामान के लिये भी सहायता दी जाती है। दूसरे ५०,००० रुपया लगा कर के उनके लिये चमड़े के और रंगाई के कारखाने खोले जाते हैं। तो जहां तक हरिजनों की सहायता का सम्बन्ध है उसके लिये हम अपनी सरकार के अति आभारी हैं।

जहां तक जमीन के बटवारे की बात है, उसके लिये जितनी हमारी सरकार कोशिश कर रही है उसकी तो हमें आशा भी नहीं थी कि हमारी सरकार ज्यादातर जमींदारी खत्म करने के बाद ऐसे वर्ग को जिसके पास बिल्कुल भूमि नहीं थी, भूमि देगी। फिर भी हमारी सरकार ने पिछले ही महीने में नैनीताल जिले में तहसील रामनगर में ३,००० एकड़ भूमि में भूमिहीन हरिजन शिल्पकारों को भूमि खेती करने के लिये बांटी है और उनको बसाया है। इसी तरह एक नियम बना था जिसमें पंचायतों के द्वारा जो परती भूमि है वह भूमिहीन मजदूरों को दी जायगी। भिन्न-भिन्न जगह ऐसी भूमि किसानों को दी गई है, परन्तु इसके साथ साथ मेरा सुझाव सरकार को यह है कि जो बंजर भूमि पड़ी हुई है उसको सरकार अपनी सहायता देकर के उन खेतिहर मजदूरों को जो असली खेती करने के अधिकारी हैं दे और उनके लिये पानी और खाद्य तथा बैलों का प्रबन्ध करे ताकि अन्न की समस्या शीघ्र से शीघ्र हल हो सके और अधिक से अधिक उत्पादन वह कर सके। आज हम देखते हैं कि बड़े-बड़े फार्मों में जिनमें खेतिहर मजदूर काम करते हैं, जो कई-कई सौ बीघे के हैं उनका नफा वह लोग उठाते हैं जो मेहनत करना नहीं जानते। अगर ऐसी जमीन का बटवारा आप नहीं कर सकते तो जो बंजर भूमि पड़ी हुई है वह १०—१० एकड़ के हिसाब से हर एक गांव में जहां भी हो वह उन खेतिहर मजदूरों को वितरण की जाय और साथ ही पानी, खाद और बैलों की सहायता दी जाय।

जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, जो बड़े-बड़े उद्योगपतियों और मिल वालों को सहायता दी जाती है उस के बजाय अगर छोटी-छोटी दस्तकारियां हरिजन वर्ग में खोली जायं तो यह जो हाहाकार है यह शीघ्रता से समाप्त हो जायगा। फिर भी हमारी कांग्रेस सरकार ने हरिजन सहायक समितियां बनायी हैं और कांग्रेस पार्टी के विधान में यह है, मुझे माफ करेंगे अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा फिर कहना चाहता हूं विरोधी दल के सदस्यों से कि उनके विधान में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हरिजनों के उद्धार के लिए हो, या जिससे हरिजनों का उत्थान हो। देखने में तो यह आया कि उनकी पार्टी द्वारा तो किसान और मजदूरों में झगड़े पैदा किये जाते हैं और आज भी कई केस चल रहे हैं। उन गरीबों को वह लुटवाते और उनके वकील और दलाल बन कर आते ह और वकीलों द्वारा उनकी सारी पूंजी लेकर उनको कमजोर कर दिया जाता है। तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि एसा गंदा न्याय न कर के वह उन गरीबों के उत्थान की बात सोचें और सरकार से सहयोग करें जिससे हरिजनों का उत्थान हो और वह पुन-र्जीवित हों।

दूसरे मेरा निवेदन यह है कि जो आप अन्न की दूकानें खोल रहे हैं, बजाय इसके कि व्यक्तिगत या एक दूसरे की सिफारिश से वह दुकानें सरमायेदारों या उन लोगों को दी जायं जो पैसे वाले हैं, वह उन गरीबों के मुहल्लों में कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर खोली जायं ताकि गरीबों को अनाज मिल सके। लेकिन जहां तक हमने देखा है हरिजनों के मुहल्लों में ऐसी दुकानें नहीं हैं।

एक सब से मुख्य बात जिसमें हमें अत्यन्त खुशी है वह यह कि सिंचाई विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग की जो लेबर की उसके सम्बन्ध में कार्य करने के लिये कोआपरेटिव सोसाइटियां बनी हैं। इसकी हमारी बहुत दिनों से मांग थी और इसके लिये हम सरकार के बहुत आभारी हैं। यदि और कामों में भी इसी प्रकार सहकारी सोसाइटियां बना कर और बीच के लोगों को खत्म कर उन लोगों को जिनकी सहकारी समितियां बनी हैं, दी जायं तो बहुत जल्दी हरिजनों की आर्थिक दशा सुधर सकती है।

दूसरे यह कि जो यहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके लिये जो सरकार ने एक हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में समिति बनाने की योजना रखी है इसके लिये मैं सरकार को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। वह समिति भ्रष्टाचार को दूर करने के उपायों पर विचार करेगी और अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

इसके अलावा शहरों में जो हरिजन लोग रहते हैं उनके मुहल्ले बहुत गन्दे होते हैं। हम लोगों के विचार में भी यह नहीं आया था कि सरकार इस ओर भी कोई ध्यान देगी। लेकिन महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि सरकार एक ऐसा बिल-ला रही है जिससे उनकी गन्दी बस्तियों का सुधार किया जा सकेगा। गांवों में तो फिर भी हम लोगों के पास छप्पर डालने को जगह है, लेकिन शहरों में उनके पास छोटी-छोटी कोठरियां हैं जिनमें उनके परिवार के कई-कई लोग रहते हैं और साथ में उन्हीं में जानवर भी रखते हैं। इस कार्य के लिये भी मैं सरकार को बधाई देता हूं।

जहां तक हरिजनों के लिये मकानों की बात है सरकार ने जगह जगह बस्तियां बसायी हैं जिनमें जो बेघरबार थे उनके रहने की व्यवस्था की गयी है। एक ऐसी कालोनी खीरी में बसायी गयी है और मेरठ में भी बसायी जा रही है।

विरोधी दल के नेता जी ने कल एक बात कही थी कि केवल १०० रुपये तक जिसकी आमदनी होगी उसके लड़कों की फीस माफ कर दी गयी है। मैं तो इससे अत्यन्त खुश हूं। लेकिन मेरा सरकार से यह सुझाव है कि हरिजनों के विद्यार्थियों पर फीस नहीं होनी चाहिए, यदि रखनी है तो २०० रुपये तक की आमदनी वालों के लड़कों की फीस माफ होनी चाहिये लेकिन हम भिखारी नहीं बनना चाहते। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। यह देश हमारा है और इस देश की स्वतंत्रता के लिये कुर्बानी और बलिदान दिया है। वैसे तो जब ५० रुपये पाने वाला चपरासी भी फीस देता है तो एक हरिजन जिसकी आमदनी १०० रु० है वह फीस क्यों न दे? आप हमको इतना भिखारी न बनायें। जब दूसरे भाई खर्च करते हैं तो हमें भी करना चाहिए।

इसके अलावा पूर्व पश्चिम का सवाल बार-बार उठता है। पूर्व में यह हुआ वह हुआ, इसको बार बार कहने का नतीजा यह हुआ कि आज हम भी तबाह हो चुके हैं। बजाय इसके कि सरकार को सहयोग दें और अधिक अन्न किस प्रकार उपजे इस बारे में अपने सुझाव दें वे पश्चिम और पूर्व के बारे में सोचते हैं। हमें इस दृष्टि से सोचना चाहिये कि हम सब एक ही घर के सदस्य हैं न कि यह कि सरकार में ये ये खामियां हैं। खामियां तो सभी सरकारों में रहती हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बने तो उसमें भी खामियां रहेंगी। केरल में देखिये तो वहां की सरकार में भी खामियां हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का तो पेशा ही यह हो गया है कि किसान, मजदूर और मिल मालिक में झगड़ा करायें और अपना प्रचार करें। तो मेरा उन नेताओं से निवेदन है कि वे बेचारे हरिजनों को माफ करें क्योंकि मजदूरों में हरिजन ही अधिक हैं। (लाल बत्ती जलने पर) दो मिनट और दीजिये।

श्री अध्यक्ष—वह तो आप को मिल ही गये।

श्री हरीसिंह—कल एक माननीय सदस्य ने देवताओं की भी बात कही। हम उस देश के निवासी हैं जहां देवता पूजे जाते रहे हैं। देवता कोई बाहर से थोड़े ही आते हैं, इसी देश में पैदा होते हैं और जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं वे ही देवता की तरह पूजे जाने लगते हैं। चाहे वे हनुमान जी हों, कृष्ण जी हों, स्वामी दयानन्द जी हों या कोई हों-हमें सबका समान रूप से आदर करना चाहिए। हमें किसी देवता की बुराई नहीं करनी चाहिये क्योंकि किसी की बुराई करने से हमें क्या मिलता है। अगर हम देवताओं की शिक्षा पर चलेंगे तो हम अपना उपकार कर सकते हैं। किसी की बुराई करने से हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि माननीय वर्मा जी ने जो प्रस्ताव उपस्थित किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय के भाषण पर बधाई के प्रस्ताव के ऊपर माननीय देवनारायण भारतीय जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। लगातार दो दिन से सदन में मुझे विवाद सुनने का मौका मिला। बहुत से माननीय सदस्यों ने कई प्रकार की शंकायें पैदा की हैं, लेकिन समय के कम होने के कारण उनका मैं समाधान नहीं कर सकूंगा। मगर प्रयत्न करूंगा और सरकार से यह निवेन करूंगा कि जो कुछ भी मैं सुझाव दूं उस पर वह विचार करे और दूसरे लोग जो उलझन में पड़े हुये हैं वह अपने दिमागों को यदि साफ कर सकें तो मैं अपने को धन्य समझूंगा।

श्रीमन्, हमारे माननीय मित्र हरीसिंह जी ने कुछ समस्याएं प्रस्तुत की हैं इसलिये मैं पहले उन्हीं को ले लूंगा। मैं यह समझता हूं कि वह हरिजन वर्ग से आते हैं और यह भी सही है कि वह एक गरीब खानदान से आते हैं। मैं उनको डाक्टर अम्बेदकर की बात की याद दिलाना चाहता हूं। जब उनसे प्रश्न किया गया कि रिजर्वेशन आफ सीट्स के बारे में उनका क्या खयाल है तो उन्होंने शंका पैदा की थी कि जिसे पोलिटिकल पैरासाइट कहते हैं यानी परावलम्बी होने की भावना पैदा न हो जाय, यह खतरा उन्होंने जाहिर किया था। लेकिन मुझे तो उनका भाषण सुन कर ऐसा लगता है कि शायद ऐसी बात सामने आ रही है जब कि मैं कहने नहीं जा रहा हूं कि रिजर्वेशन आफ सीट्स को खत्म कर दिया जाय। कौन कहता है कि हरिजन समुदाय को संरक्षण न हो?

श्रीमन्, मैं दो तीन बात कह कर अपने भाषण को समाप्त करूंगा। बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने रखी हुई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को आये १२ वर्ष हो चुके हैं, क्या इस रिपोर्ट में जो शूद्रों और हरिजनों के लिये सुझाव दिये गये हैं, उनको कार्यान्वित करने की तनिक भी चेष्टा की गई? पहला सुझाव तो यह दिया गया है कि यह कानून बना दिया जाय कि जो जमीन सरकार को प्राप्त हो वह भूमिहीनों को दी जायगी। इसमें अधिकांश हरिजन आ जाते हैं। लेकिन १२ वर्ष बीत गये और आज तक यह कानून नहीं बनाया गया है। जब हम कहते हैं कि भूमिहीनों को भूमि वितरित करने के लिये कानून बनाया जाय तो हरीसिंह जी कहते हैं कि हम हरिजनों के दुश्मन हैं। उनको बुद्धि विभ्रम हो गया है और वह बुद्धि विभ्रम जन्य भ्रान्ति में विचरण कर रहे हैं।

श्रीमन्, मैं शिक्षा के बारे में, नौकरियों के बारे में, पी० एस० सी० के बारे में तथा अन्य तमाम बातों के बारे में फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत है। जब मैं कानपुर जेल में था तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था और जेल से आने के बाद जो मेरी उन से पहली मुलाकात हुई थी उस समय मैंने उनसे निवेदन किया था कि बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट के आवश्यक अंग को लागू किया जाय। उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट की थी। मैं जानना चाहता हूं और सभी देहात के आदमी कहते हैं कि "१२ वर्ष का पुत्ता, हुआ तो हुआ नहीं तो हुआ कुत्ता।" यानी १२ वर्ष तक सरकार के कार्य कलापों को देखने के बाद भी यदि हरीसिंह जी मानते हों कि सरकार के इस कार्यक्रम के रहते हुये हरिजनों का भला होगा, शूद्रों का भला होगा तो मैं निवेदन करूंगा कि वह अपनी बुद्धि को परिष्कृत करें।

श्रीमन्, मैं फिर कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने बड़ी गलती की जो इस सरकार को उन्होंने हिदायत नहीं की कि यह सरकार बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को इस सूबे में लागू करे। उन्होंने जिस बात को छोड़ दिया था आज कहना चाहता हूं, बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट के वह अंग जो जमीन से सम्बन्धित हैं, पढ़ाई लिखाई से सम्बन्धित हैं, नौकरी से सम्बन्धित हैं उनको जरूर लागू होना चाहिए और अविलम्ब लागू होना चाहिए। बिना इस अंग को लागू किये हुए सही मानी में यह सरकार कहने का हक नहीं रखती है कि हरिजन और बैकवर्ड क्लासेज के लिये चिन्तित और लालायित है।

हमारे माननीय मित्र हरीसिंह जी अक्सर कहा करते हैं कि मैं तो हरिजन वर्ग से आता हूं। हम लोगों को जैसे समझ लेते हैं कि दूसरी जगह से आते हैं। अगर हरिजन कहने का किसी को हक है तो मैं अपने को कहता हूं कि उनसे ज्यादा हरिजन हूं। हरिजन के मानी क्या हैं? हरिजन के मानी यह नहीं हैं कि हरिजनों के हित के विरोध में सम्भाषण करे और केवल हरिजन खान्दान में पैदा होने के कारण अपने को हरिजन समझे। हरिजन वह है जो हरिजनों के उत्थान के लिये यत्न करे। महात्मा गांधी जी भी हरिजन थे। उन्होंने जो कुछ हरिजनों के लिये किया, जितना बलिदान किया, क्या उससे ज्यादा हरीसिंह हरिजन कर रहे हैं? इसलिये इस तरह का अनर्गल प्रलाप नहीं होना चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के विधान में, कांग्रेस सरकार के कार्यक्रम में आज हरिजनों के उत्थान के लिये कोई भी कार्यक्रम नहीं है जो बुनियादी तौर पर सारे हरिजन समुदाय का उत्थान करे। हां, गरीबी के कीचड़ में, कुछ हरिजन अमीरों के कमल खिल सकते हैं। लेकिन सामान्य हरिजन समुदाय की तरक्की नहीं हो सकती। इस कार्यक्रम को लेकर उनकी गरीबी का कीचड़ बढ़ता जायगा। अगर कमल खिलेंगे तो उनकी छाती पर बैठ कर उनकी हड्डी को पीस कर आगे बढ़ेंगे।

श्रीमन्, पंचवर्षीय योजना की बड़ी प्रशंसा माननीय राज्यपाल जी ने की है। मैं आप के द्वारा उनके पास अपना संदेश भेजना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल जी जरा अच्छी तरह से अध्ययन करें और बताएं--मैं उनकी इज्जत करता हूं। जब जब उनसे मिलने का मौका हुआ तब तब वह एक वाक्य बराबर कहते रहे हैं। तुम भी पोलिटिकल एगीटेटर हो, हम भी रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि उनकी प्राइवेट बातों से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री राजनारायण--कानपुर में भी उन्होंने कहा था। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह बतायें कि योजना के माना क्या हैं। अगर यह मान लिया जाय कि यह कांग्रेस सरकार का कार्यक्रम गरीबी को बढ़ाने वाला है, बेकारी को बढ़ाने वाला है, तो मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं। मगर यदि इसको योजना नाम दिया जाय तो हम उसको योजना तभी कह सकते हैं, जब प्रदेश में हमारे साधन कितने हैं, पहले उनको देखें और फिर आवश्यकताओं को देखें। जब तक साधन और आवश्यकताओं का समन्वय करके सर्वांगीण योजना नहीं बनायेंगे तब तक हमारे यहां कोई भी योजना कारगर नहीं हो सकती है। उसको योजना नहीं कहना चाहिये। उसको सरकार का गरीबी को बढ़ाने वाला कार्यक्रम कहना चाहिये। आज मैं पढ़ रहा था तो डाक्टर अदार्कर लिखते हैं—

"The central problem of public finance is the complete and comprehensive utilization of the available human and material resources for the maximum production of wealth and for the utilization of maximum social welfare."

कितने हमारे साधन हैं और उन साधनों को हम अधिक से अधिक उत्पादन के कार्य में सामाजिक कल्याण की दृष्टि से हम कहां तक खर्च कर सकते हैं यह होना चाहिये। उन्होंने एक फागर दी है कि अगर हिन्दुस्तान में देखा जाय तो १,००,००,००,०००, हम इसको बहुत कम मानते हैं ह्यूमन लेबर वेस्ट हो रहा है (श्रम शक्ति नष्ट हो रही है) मैं जानना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो यहां पर श्रम शक्ति है उसको खपाने की कोई योजना इस सरकार ने क्या प्रस्तुत की, श्रम शक्ति कहां लगी? इसके लिये मुझे बहुत अफसोस है। माननीय राज्यपाल के सम्बोधन में जब सोशलिस्ट पार्टी ने उचित मांगों को लेकर सारे प्रदेश में सत्याग्रह किया था और जिसमें ५,००० सत्याग्रही पकड़े गये थे उसकी कोई चर्चा मांगों के विषय में नहीं है। मेरा विश्वास है कि उसकी अगर इसमें चर्चा होती और इस सरकार को यह हिदायत होती कि यह सरकार उन मांगों को पढ़े और उनका अध्ययन करे और उनके मुताबिक अपने घर को तलाशे तो यह सरकार कुछ छोटे-मोटे अच्छे काम जरूर कर पाती। हमने कहा था कि भूमि सेना बनाइये। भूमि सेना के लिये हमने यह कहा था कि हमारे देहातों में

[श्री राजनारायण]

जो मेहनत करने वाले हैं हट्टे कट्टे लोग हैं उनकी एक सेना बना लें। उसका नाम चाहे कुछ भी आप दें और उसके जिम्मे यह काम कर दें कि जो बंजर जमीन है, जो ऊसर जमीन है और परती पड़ी हुई है, जो भी जमीन खेती के काम में लाई जा सकती है, उस जमीन को वह तोड़ें। उस जमीन के लिये सरकार पानी, बीज और खाद का इन्तजाम करे। सरकार उनके लिये खाने और पहनने का भी इंतजाम करे। जब उस जमीन पर अन्न पैदा होने लगे तो वे अपने परिवारों को लेकर उस जमीन पर बसना चाहें तो उनको बसने दें।

इससे दो लाभ होते हैं। एक तो देश में धन पैदा हो और दूसरे उनको काम भी मिलता और बेकारी दूर होती। लेकिन यह सरकार इन बातों को सुनने के लिये तैयार नहीं है। इस सरकार की आंखें अन्धी हो गई हैं जो सही बात को भी कार्यान्वित करने के लिये अपने को कटिबद्ध नहीं करती। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार के पास इसका क्या औचित्य है कि जो इस प्रकार के परम आवश्यक श्रम शक्ति की योजनाओं के विषय में भी कोई कार्य हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करती है। हरसिंह जी, गिरधारीलाल जी या डाक्टर सीताराम जी ने उन हरिजन....

श्री अध्यक्ष --आप कृपा कर किसी का नाम न लें।

श्री राजनारायण --श्रीमन्, एक दूसरी बात मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि इस सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई है। आज करीब सवा करोड़ व्यक्तियों की श्रम शक्ति का ह्रास हमारे प्रदेश में हो रहा है। मैं माननीय सम्पूर्णानन्द जी के चरणों में नतमस्तक होकर भी इस संबंध में योजना रखने को तैयार हूं लेकिन वह हमसे कहां सहयोग करते हैं? पिछले ७ वर्ष में मैं सरकार के किसी कार्यक्रम में नैनीताल में सम्मिलित नहीं हुआ केवल सिद्धांत की बुनियाद पर। मैं तो यह समझता था कि उस शीतल सुगन्ध समीर से परिष्कृत वायु में बैठकर कोई अच्छी बात वहां से आयेगी। मगर अखबारों में पढ़ने से मालूम हुआ कि कोई इस तरह की बात नहीं आई। उसको अखबारों में पढ़कर मैंने जवाब भी दिया था। मगर माननीय सम्पूर्णानन्द जी इन कामों में हमारा सहयोग लेने के लिये तैयार नहीं हैं। माननीय सम्पूर्णानन्द जी हमारा सहयोग कहां लेना चाहते हैं? जमीन के बंटवारे में सहयोग लें तो हम देने के लिये तैयार हैं। बेकारी दूर करने के लिये हमारा सहयोग लें तो हम देने के लिये तैयार हैं। अनुचित टैक्सेशन के खत्म करने में और बड़े-बड़े पूंजीपतियों की पूंजी लेने के बारे में और उन पर भारी टैक्स लगाने के संबंध में और उनकी छिपी हुई आमदनी को बाहर निकालने के संबंध में हमारा सहयोग अगर वह चाहते हैं तो हम देने के लिये तैयार हैं।

मगर यह हमसे सहयोग चाहते हैं किसानों पर डंडे चलाने के लिये, विद्यार्थियों पर गोली चलाने के लिये। हमसे सहयोग मांगते हैं मजदूरों के आन्दोलन पर गोली चलाने के लिये, मजदूरों को घरों से निकाल कर पिटवाने के लिये और उनसे जबरदस्ती काम लेने के लिये। क्यों नहीं हमसे सहयोग मांगते, मिल मालिकों के पास जो ७ करोड़ रुपया दबा पड़ा है उसको निकालने के लिये। देवरिया के गरीब किसानों का जो १,५०,००,००० रुपया मिलमालिकों के पास है उसको छीनने में हमारा सहयोग सरकार नहीं मांगती। सरकार चाहे तो मिलमालिकों को भी जेल भेजकर और उनके साथ सख्ती करके उनसे रुपया वसूल करा सकती है, लेकिन यह सरकार की हिम्मत नहीं है। आज यह सरकार पूंजीपतियों की चेरी बन रही है। उनके साथ बैठना, उनके साथ रहना आदि कार्य आज इस हुकूमत के कर्त्तव्य हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस हुकूमत के प्रति हमारे यह उद्गार आप कृपया माननीय राज्यपाल के पास पहुंचा दें कि उनकी यह सरकार बिलकुल निकम्मी हो चुकी है और कोई कार्य जनहित के लिये नहीं कर सकती है।

बैलों की हमारे यहां आवश्यकता है। हमारे प्रदेश में कितने बैल हैं? क्या उन बैलों का उपयोग हो रहा है? हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम उन बैलों का उपयोग करके खेती बढ़ा सकते हैं या बड़े-बड़े ट्रैक्टरों के जरिये छोटे-छोटे किसानों को जमीन में छोटे-मोटे तरीके को छोड़कर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। मैं यह समझता हूं कि ट्रैक्टरों से कभी भी उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। हमने अभी तक उन बैलों का सदुपयोग नहीं किया है। एक बैल को लेकर कितना उपयोग हो सकता है इसका हमने अभी तक पता नहीं लगाया है। हमारा दिमाग तो मशीनी युग में चला गया है।

सस्ते औजार बनाने के लिये इस सरकार ने कौन सी योजना बनाई है। हम यह मानने के लिये तैयार हैं कि यह पंचवर्षीय योजना पूंजीपतियों के लाभ के लिये है, छोटे-छोटे ग्रामीण भाइयों के लाभ के लिये नहीं है। उनके लिये इसमें कोई योजना नहीं है। यह योजना ऊंचे-ऊंचे अधिकारियों के कल्याण के लिये हो सकती है। उन करोड़पतियों के लिये यह योजना हो सकती है जिनके पास मोटर है, जिनके पास रेडियो और टेलिफोन लगे हुये हैं जो तमाम मारकेट पर कब्जा करके ब्लैक मारकेट कर सकते हैं। गरीबों की यह योजना नहीं कही जा सकती है। फिर सीमेंट और तारकोल की सड़कें बन रही हैं, चौड़ी हो रही हैं। गरीब उजाड़ा जा रहा है, छोटे-छोटी दूकानें तोड़ी जा रही हैं, उनके जीवन निर्वाह के साधन छीने जा रहे हैं क्योंकि सड़कें चौड़ी हो रही हैं। मैं डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी से पूछना चाहता हूं कि कहां पर उनकी सवारी जाने से रोकी गई? क्यों बनारस की सड़कें तोड़ी गईं? क्यों वहां के छोटे-छोटे दूकानदारों का सहारा नष्ट किया जा रहा है? उस दिन रेल में एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक आदमी मर गया अगर मैं बनारस में होता तो चाहे मेरी जान क्यों न चली जाती लेकिन जिस बर्बरता और निरंकुशता के साथ उन छोटे-छोटे गरीब रिफ्यूजी दूकानदारों को हटाया गया, उनकी दूकानें तोड़ी गईं, उनको ढकेला गया, मैं उसको कभी बरदाश्त नहीं कर सकता था। बनारस कैन्ट से विद्यापीठ रोड तक की सड़क चौड़ी हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इंसान सड़क के लिये बना है या सड़क इंसान के लिये बनी है? कानून इंसान के लिये है या इंसान कानून के लिये? अगर इंसाफ इंसान के लिये है तो सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन लाना चाहिये।

प्रदेश में भूमि कितनी पड़ी हुई है, चौधरी चरणसिंह जी इसकी ताईद करेंगे। करीब ९० लाख एकड़ भूमि ऐसी है कि जो खेती के काम में नहीं आ सकती। कुल १ करोड़ २२ लाख एकड़ भूमि ऐसी है जो ऊसर, परती, बंजर, पानी से हुआ है। यह भूमि क्यों खाली पड़ी हुई है? आपने बताया कि १२ लाख एकड़ जमीन अभी खेती के काम में ज्यादा आयी है, लेकिन पैदावार क्यों घट गयी? यह योजना की खामी है या कुछ और? श्रीमन् १२ लाख एकड़ जमीन खेती में बढ़ी लेकिन खाद्यान्न का सूचनांक १२२ से घट कर ११५ हो गया। किस बात में खराबी है? मंत्रीगण कहेंगे कि दैवी प्रकोप रहे, सूखा पड़ा, वर्षा कम हुई। मैंने गांधी जी का वाक्य १९५७ में सुना दिया था कि बाढ़ से सुरक्षा करना भी सरकारों का काम है। और इसलिये सोचता हूं कि इस असेम्बली में हमारे रहने की कुछ उपयोगिता भी है क्या? श्रीमन्, मैं प्रार्थना करूंगा कि कुछ समय मुझे और दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं। आपके दो मिनट बाकी हैं सब विरोधी दलों के नेताओं को २० मिनट दिये गये हैं, आप के लिये भी यही है।

श्री राजनारायण—श्रीमन, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार देखे कि उत्पादन क्यों घटा। सरकार पानी नहीं दे सकती, पानी बढ़ाने का इंतजाम नहीं कर सकती, सूखा पड़ जाता है, उसके लिये कुछ नहीं कर सकती। पहले जितने पानी में एक एकड़ की सिंचाई होती थी आज उतने पानी में २ और २ १/२ एकड़ जमीन की सिंचाई होती है। मैं सहारनपुर गया था, वहां एक सरकारी विज्ञप्ति से मालूम हुआ कि अब की गरमी नहीं

[श्री राजनारायण]

पड़ी. इसलिये बर्फ नहीं पिघली और इस कारण नहरों में पानी कम आ रहा है। न मालूम कितने आदमी गर्मी की विकरालता से मर गये, लेकिन इस] सरकार के लिये गर्मी नहीं पड़ी।

मैं बताना चाहता हूं कि डाके, कत्ल और चोरियों में कितनी वृद्धि हुई है। मैं एक साल के आंकड़े देना चाहता हूं। १९५५-५६ में डाके पड़े ८४४ और १९५६ ५७ में पड़े ९३२। करीब १०० की संख्या डाकों की बढ़ गई। कत्ल १९५५-५६ में हुये १,४४८ और १९५६-५७ में हुये १,५९९। चोरियों की तादाद १९५५-५६ में थी १६,५०९ और यह १९५६-५७ में बढ़कर १९,४२० हो गई।

श्रीमन्, गोरखपुर रीजन के १४ जिले ऐसे हैं कि जो काल के गाल में जा रहे हैं। वहां की भुखमरी की कुछ रिपोर्ट मेरे पास है, अगर आपकी आज्ञा हो तो संक्षेप में सुना दूं। कुछ जल्दी में बताने का प्रयास करता हूं। गोरखपुर में १९०१ से १९५१ तक खेती पर आश्रित आबादी का प्रतिशत था ६२·३ जो बढ़कर ८५.७ हो गया। देवरिया में जो ७१.१० था सो बढ़कर ९३.५ हो गया है। खेती पर इस प्रकार बोझ बढ़ता चला जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये सरकार क्या कर रही है? मैं टैक्सेशन की पालिसी का जिक्र भी दो मिनट में करना चाहता हूं। डाक्टर डाल्टन ने पब्लिक फाइनेंस नामक पुस्तक में कहा है– माननीय चरणसिंह जी ने चैलेंज किया था हम को इस सदन में तो मैंने उसको फिर से पढ़ा। मैं उसका एक ही वाक्य आपकी इजाजत से पढ़ना चाहूंगा—

"If the terms of the tenancy are the same, it makes no substantial difference for a tenant whether his landlord is a public authority or a private person."

अगर किसानों और सरकार का संबंध लगान के संबंध में वही रह जाता है जो पुराने उसके मालिक में था तो किसान के लिये कोई फायदा नहीं होता। माननीय मंत्री जी इसको समझ लें। पहले सरकार की आमदनी सात करोड़ थी, अब इक्कीस-बाईस करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आता है। असहाय किसान को क्या फायदा हुआ? उनके लगान या मालगुजारी में कितनी छूट हुई? हमने कहा था कि अलाभकर जोतों पर से लगान हटा दिया जाय, उस पर सरकार ने क्या किया? किसान से तो वही लगान वसूल किया जाता है। गरीबों पर टैक्स बढ़ता है, अमीरों पर घटता है।

श्री अध्यक्ष---(श्री चरणसिंह से) आपको ज्यादा से ज्यादा ३० मिनट मिल सकते हैं। अगर आप २५ मिनट में खत्म कर दें तो अच्छा है।

वित्त मंत्री (श्री चरणसिंह)---अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फरमाया मैं २५ मिनट से ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करूंगा अगरचे एक दिक्कत मेरे सामने है, यद्यपि मैं इसमें कोई रिआयत नहीं चाहता लेकिन अपनी मुश्किलात आपके और सदन के सामने रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---यह २५ मिनट नियमानुसार नहीं है, बल्कि रिआयतन ही है। नियमानुसार तो १५ मिनट ही हैं।

श्री चरणसिंह---आपने कृपा कर के जो १० मिनट अधिक दिये हैं, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अर्ज करता हूं कि एतराज कर देना नुक्स निकाल देना, नुक्ताचीनी कर देना १ मिनट के अन्दर भी आसान है लेकिन उसका जवाब आधा घंटे में भी देना मुश्किल है। जितनी आपत्तियां कल और परसों से यहां उठायी जाती रहीं हैं, इस थोड़े से समय में

सब का उत्तर देने का अवसर तो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसरन, जितने नुक्ते रेवन्यू डिपार्टमेंट के सिलसिले में उठाये गये हैं, उनका जवाब दूं।

कोआपरेटिव फार्मिग के बारे में कहा गया। उसके सिलसिले में मुझे ज्यादा नहीं कहना है। सिर्फ २–३ फिकरे अर्ज करना है। आज और कल के अखबारों में इसके बारे में मैंने पढ़ा। माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने कोआपरेटिव फार्मिग पर बहुत ज्यादा जोर दिया। माननीय झारखंडेराय जी ने तो इस साल इनायत की लेकिन माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने इसका जिक्र किया। कोआपरेटिव फार्मिग यानी रजामन्दी की खेती। यानी रजामन्दी से कुछ लोगों ने अपने खेतों को इकट्ठा कर लिया और उसको इकाई मान कर वे खेती करने लगें। श्रम एक, प्रापर्टी एक और यह उन्होंने किया रजामन्दी से। कलेक्टिव फार्मिग नहीं, जैसा कि रूस में हुआ है और प्रायः चीन में भी हो चुका है। यह तो रजामन्दी का सवाल है। इसके बारे में गवर्नमेंट की नीति यह है कि अगर कोई रजामन्दी से कोआपरेटिव फार्मिग करते हैं तो वेल एंन्ड गुड, सरकार उसका स्वागत करेगी। पिछली बार माननीय झारखंडेराय जी ने इस बारे में प्रतिक्रियावादी आदि बताते हुये कहा था तो मैंने उनसे कहा था कि अपने हल्के में १० कोआपरेटिव फार्म बना कर तो देखो, गवर्नमेंट भी उसमें पूरी मदद देगी लेकिन आज तक उन्होंने एक भी कोआपरेटिव फार्म बनाने की कोशिश नहीं की। इसके बारे में मेरा अपना निजी खयाल यह है कि जब लोग मिल कर खेती करते हैं तो उससे पैदावार नहीं बढ़ती जमीन के ज्यादा इकट्ठा होने से पैदावार नहीं बढ़ती। पैदावार फैसिलिटीज को यानी पानी, खाद और बीज की फैसिलिटीज को बढ़ाने से बढ़ती है और इन चीजों को कोआपरेटिव्ज के जरिये से मुहैया किया जा सकता है और किसान स्वतंत्र रहें और उससे इंसेन्टिव बना रहे, इससे पैदावार बढ़ती है। इस बारे में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी भी १०–१५ साल पहले वही राय थी जो आज माननीय त्रिलोकीसिंह जी की है लेकिन उनकी मौजूदा राय जो साहबान जानना चाहें वे नेशनल हेराल्ड के दूसरे सफे पर जो आर्टिकिल है उसको पढ़ने की तकलीफ गवारा करें। पंडित नेकराम जी शर्मा यूगोस्लेविया से होकर आये हैं। कोआपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिग के बारे में उनसे भी बातें करने की कोशिश करें। तो मैं समझता हूं कि अगर पैदावार बढ़ायी जाय तो किसान खुद करे। खैर, वह करे या न करे लकिन पालिसी यह है कि रजामन्दी से करे। कभी किसी बात को सुन लेने से और केवल अखबार पढ़ लेने से, किताबें पढ़ लेने से, किसी का लेक्चर सुन लेने से कोआपरेटिव फार्मिग पर राय कायम कर लेना, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि वह नातजुर्बेकारी दिमाग की है। दूसरी बात यह है कि इन सीजन एंड आउट आफ सीजन, मौके बे मौके यह बात सुनने को मिलती है, श्री चन्द्रजीत यादव की बात कम से कम मैंने अपने कानों से सुनी कि भूमि का वितरण किया जाय तो समस्या हल हो जायगी। मैं अनेक बार कह चुका हूं कि साढ़े चार लाख एकड़ जमीन पर हमारे यहां खेती हो रही है और प्लानिंग कमीशन की तजवीज के अनुसार पांच लाख एकड़ जमीन यहां सरप्लस है। यह ३ साल पहले की बात है कि इतनी जमीन एवेलेबिल है, आज की बात नहीं है। सारे उत्तर प्रदेश में जमीन के पुनर्वितरण का प्रश्न है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जमीन के वितरण के साथ साथ जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनकी ओर भी देखने की जरूरत है कि जिनकी जमीनें ली जायं उनको मुआवजा कहां से दिया जाय। जमींदारी के लिये हमने मुआवजा दिया केवल टाइटिल का, पजेशन का नहीं। जब आप किसी आदमी की जमीन लेंगे तो उसे पजेशन प्लस टाइटिल दोनों का मुआवजा देना होगा। पजेशन का मुआवजा ज्यादा होता है, बनिस्बत टाइटिल के।

दूसरी बात यह हो सकती है कि जहां जमीन एवेलेबिल हो वहां कोई रहने वाला न हो, तो या तो हम दूसरी जगह से लोगों को लाकर वहां बसायें और फिर मुआवजा दें। इसके अलावा उनके रहने के लिये मकान बनवावें, उनके लिये खेती के और साधन जुटायें, उनके लिये बैल खरीदें और इन तमाम चीजों के लिये उनको सारी सुविधाएं दें।

[श्री चरण सिंह]

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, हमारे सूबे के अन्दर कम से कम ८ ००,००० भूमिहीन हैं और ५,७० ००० एकड़ जमीन मुहय्या है। तो क्या उनको २, २ एकड़ दिया जाय या कम से कम ६ १/४ ६ १/४ एकड़ दिया जाय और साढ़े बारह-बारह एकड़ बुन्देलखंड के इलाके में दिया जाय। इस तरह से मुश्किल से ६०,००० आदमियों को ही जमीन मिल पायेगी, फिर उन ८,००,००० आदमियों का क्या होगा? इसके अलावा भूमिहीन किसानों के परिवार में ९०,००,००० आदमी हैं कम से कम ६०,००,००० आदमी ऐसे हैं जिनके पास इकनामिक होल्डिंग्स नहीं हैं, अनइकनामिक होल्डिंग्स हैं यानी ६ १/४ एकड़ से कम हैं। यह मैं अनुमान से कह रहा हूं, हो सकता है कि ६० का ५५ या ६५,००,००० हो। ५,००, ०० एकड़ जमीन अवेलेबिल है, तो क्या जिनके पास एक-एक एकड़ जमीन है उनको ५ १/४ एकड़ दे कर ६ १/४ एकड़ किया जाय या जिनके पास बिलकुल जमीन नहीं है उनको सवा ६ एकड़ दे दी जाय। जैसा कि मैंने अर्ज किया ४,५०,००० एकड़ जमीन के पुनर्वितरण से जमीन की समस्या हल नहीं होगी। जैसा कि सबको मालूम है कि लार्ज लैंड होल्डिंग्स पर इसका असर यह हो रहा है कि जो बड़े-बड़े फार्म्स हैं वे आज बिकते जा रहे हैं। चन्द्रजीत यादव जी किसी जिले में चले जायं सभी बड़े फार्म वाले अपनी जमीन को कौड़ियों के दाम बेचने के लिये तैयार हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम सेल्फ रेगुलेटिंग हो जायं लेकिन उधर हम नहीं जाते। ३० एकड़ जो हमने एक मुस्तकिल खानदान के लिये लिमिट कर दिये हैं कि इससे ज्यादा वे नहीं खरीद सकते, मैं समझता हूं कि इस तरह से अपने आप वह जमीन तकसीम हो जायगी।

श्री राजनारायण—उनकी जमीन लेकर गरीबों में बांट दीजिये।

श्री चरणसिंह—इसके अलावा एक सवाल यह है कि हमारे राजनारायण जी ने कहा कि हमारे यहां जमीन पर बराबर प्रेसर बढ़ता जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमारे यहां जमीन पर प्रेसर नहीं बढ़ता जा रहा है। हमारे सूबे में ही नहीं बल्कि शायद पंजाब को छोड़ कर मुमकिन है एकाध सूबा और हो, पर कैपिटा लैंड हर सूबे में और मेरे सूबे के प्रत्येक जिले में पर कैपिटा लैंड कम होती जा रही है। तो नतीजा क्या निकला, नतीजा यह निकलता है कि औद्योगीकरण हो, नानएग्रीकल्चरल रिसोर्सेज को डेवलप करें। तजकिरा है, जैसा कि माननीय राजनारायण जी ने कहा कि गरीबों में बांट दीजिये, तो आज हमारे देश में गरीबी दूसरे देशों के मुकाबले में, और हमारा सूबा सिर्फ दो तीन सूबों को छोड़ कर हिन्दुस्तान में गरीब है और उसका बड़ा कारण यह है कि हमारे प्रदेश के अन्दर सब से ज्यादा खेतिहरों की तादाद है। ६७ १/२ प्रतिशत इस उत्तर प्रदेश में खेतिहरों की तादाद है। किसी सूबे में इतनी बड़ी तादाद नहीं है, मुमकिन है एकाध सूबे में हो भी। लेकिन हमारे सूबे में ६७ १/२ प्रतिशत आदमी बतौर कल्टीवेटर्स के काम करते हैं। अब एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो और दूसरी तरफ यह कि ६७ १/२ फीसदी के बजाय ७० फीसदी आदमी खेती पर लगें, इस से सूबा मालदार नहीं होगा।

एक सवाल यह कि ५० एकड़ से ज्यादा जमीन ले ली जाय, तो फिर ३०, २० या १० एकड़ क्यों नहीं? कहीं लिमिट है, कहीं नहीं है। इससे ज्यादा राजनीतिक दृष्टि से कोई बड़ी गलती नहीं होगी। अगर भूमि वितरण का बीड़ा उठाया जाता है तो अपने आप आग प्रज्वलित करना होगा।

अध्यक्ष महोदय, अभी जोनल कौंसिल में ३ मिनिस्टर्स मध्य प्रदेश से नैनीताल तशरीफ लाये थे, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा हमारे पास भूमि वितरण का सवाल नहीं है। जमीन तो पड़ी हुई है, उसको रिक्लेम करने का बिल काश्त बनाने के लिये जितने धन की जरूरत पड़ेगी वह हमारे पास नहीं है।

बहरहाल जब कोई और बात कहने को नहीं रहती है तो सिर्फ तीन चीजें रह जाती हैं, भूमि वितरण, कोआपरेटिव फार्मिंग और मालगुजारी। मेरे दोस्तों के लिये ये तीनों मजमून बड़े प्रिय हैं।

मालगुजारी का जिक्र करने के पहले मैं तकावी के सिलसिले में कुछ कहना चाहूंगा। माननीय त्रिलोकीसिंह ने अपनी स्पीच में यह कहा था कि हैसियत देख कर तकावी दी जाती है और ९० फीसदी आदमी तकावी से महरूम रह जाते हैं। पहली बात यह है कि हम यह समझ लें कि तकावी किसको कहते हैं? जब कोई आदमी दूसरे को कर्जा देता है तो उसकी हैसियत देखेगा ही इस गरज से कि यह इससे रियलाइज होगा या नहीं होगा। अगर किसी आदमी की हैसियत ५०० रुपये की है और उसे ५,००० का कर्जा सरकार ने एडवान्स कर दिया तो क्या वह वसूल हो सकेगा? माननीय त्रिलोकीसिंह जी आयेंगे और कहेंगे कि कुर्की हो रही है, जमीन नीलाम हो रही है। इसलिये उसे कर्जा न कह कर अनुदान या सबसिडी कहिये। सबसिडी हमारे पास हो तो जरूर दीजिये। उसके लिये हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं। तो लोन दिया जायगा इस बात को नजर रख कर कि अगर डिफाल्टर हुआ तो रियलाइज इससे हो सकता है या नहीं हो सकता है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—एग्रिकल्चरल लोन के बारे में आपकी क्या राय है?

श्री चरणसिंह—मैंने इस सिलसिले में कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि बुनियादी तौर पर एग्रिकल्चरल लोन इज आलसो ए लोन। तो जिस आदमी से रियलाइज हो सकता है उसकी हैसियत देख कर ही उसे लोन दिया जायगा। लैंडलेस या १ एकड़ वाले को २ हजार का लोन नहीं दे दिया जायगा, यह नहीं कि मंशा नहीं है बल्कि इस लिये नहीं कि रिसोर्सेज नहीं हैं।

एक बात टेस्ट वर्क्स के सिलसिले में कही जाती है। पी० एस० पी० के लीडरान की रिपोर्ट निकली कि वेजेज वीकल दिये जाते हैं, मजदूरों को बड़ी तकलीफ होती है। पता नहीं उनका अपनी तरफ से सुझाव था या यहां कुछ लोगों को मशविरा दिया गया था। मैं यह तो मान सकता हूं कि पहले हफ्ते में मान लीजिये २३ जुलाई को मजदूर काम करने जाता है और बजाय २३ की शाम को मजदूरी देने के ३० तारीख को मजदूरी दी जाती है। तो बेशक ७, ८ दिन तकलीफ होगी। लेकिन ३० जुलाई को जो तनख्वाह देंगे वह एक हफ्ते तक उसके काम आ सकती है और जो ७ अगस्त को देंगे वह १४ तक काम दे सकती है। इतनी मोटी सी बात, बड़ा भारी जोर है कि अन्याय हो रहा है कि रोजाना वेजेज नहीं मिलते। अगर रोजाना दें तो काम बढ़ जाय, अहलकार बढ़ जायं और फायदा किसी का होता नहीं।

टेस्ट वर्क के सिलसिले में यह कहा जाता है कि मजदूरी बढ़ा दीजिये। यह भी एक रेकरिंग डिमान्ड है कि २ रुपये या १ रुपया या १२ आने मजदूरी कर दीजिये। अगर गवर्नमेंट के पास रुपया होता तो फिर बाकायदा पी० डब्ल्यू० डी० के जरिये वह स्कीम्स क्यों न बनती, जिसमें १ रु० मजदूरी दे कर काम कराया जाता? तो ८ आने तो इसलिये दिये जाते हैं कि जो आयडिल टाइम है एक मनुष्य का उसकी जितनी कीमत हुई वह दी जाती है। यह सवाल तो दूसरा रहा कि आप ऐसी चीजें पैदा कीजिये जिससे घर पर खाली बैठा न रहे। लेकिन अगर घर पर खाली बैठा है तो घर पर खाली बैठे रहने के बजाय क्या यह अच्छा नहीं है कि ८ आने या ६ आने कमाये?

माननीय गेंदासिंह जी ने बयान दिया था कि ४ आने मजदूरी दी जाती है, लेकिन अगर आप यह कहते कि ८ आने एडल्ट को, ६ आने स्त्रियों को और ४ आने बच्चों को मजदूरी दी जाती है तब तो ठीक था। लेकिन जब आप ४ आने कहते हैं तो पढ़ने वाले पर यह असर पड़ता है कि एडल्ट को ४ आने ही मिलते हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर हम वेजेज को बढ़ा दें तो फिर हर आदमी टेस्ट वर्क पर ही जायगा। अगर उसको एक रुपया या डेढ़ रुपया शोलापुर में या और प्रदेश के बाहर कहीं मिल सकता है तो बजाय वहां जाकर डेढ़ रुपया कमाने के अगर हमारे यहां १२ आने ही कमाता है तो जरूर उसके साथ अन्याय होगा। लाखों आदमी हमारे प्रदेश के बाहर जाकर कमाते हैं।

[श्री चरण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, जितने भी टेस्ट वर्क हैं उन सब में स्त्रियों की तादाद ज्यादा आती है बनिस्पत पुरुषों के। क्या कारण है ? इसका कारण यह है कि उनके लिये कोई न कोई एम्प्लायमेंट जरूर है और जितना अनएम्पलायमेंट का प्रोपेगेन्डा किया जाता है वह बात सही नहीं है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—टेस्ट वर्क बन्द क्यों कर दिये जाते हैं ?

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—टेस्ट वर्क कितने हैं ?

श्री चरणसिंह—माननीय सदस्य देवरिया से आते हैं। वहां सालों चले लेकिन टेस्ट वर्क सालों चलाने के लिये नहीं हैं। जब और कोई रोजगार नहीं होगा तो चालू किया जायगा यह परमानेंट फीचर नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये अपने माननीय मित्रों से दरख्वास्त करूंगा कि सब्र के साथ सुनें।

मालगुजारी के मुताल्लिक कहा जाता है कि छूट हो। छूट होती है, नियमों के मुताबिक छूट होती है। मैं केवल १६ जिलों में जो तीन साल में छूट दी है नियमों के मुताबिक मालगुजारी में, जिसको कहा जाता है कि नाकाफी है, उसकी फीगर्स सदन को बताना चाहता हूं। १९५४–५५ में खरीफ में ३८ लाख ५५ हजार छूट दी गई और ३ लाख ५३ हजार रबी में। १९५५–५६ में खरीफ में ८० लाख १६ जिलों में और २८ हजार रबी में। १९५६–५७ में १ करोड़ ४ लाख ९२ हजार की छूट दी गई खरीफ में और ८० लाख ४९ हजार की रबी में और इस साल १३६५ फसली में १ करोड़ ३० लाख के करीब छूट दी गई। यह जो छूट दी गई वह उन्हीं गरीब लेखपालों की रिकमेन्डेशन्स पर दी गई है जिनके बारे में न मालूम यहां क्या-क्या कहा जाता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे पी० एस० पी० के जो लीडरान थे, जिनके बयान निकले उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि बम्बई में एक यह तरीका है कि नान-आफिशियल लोगों को भी एस्टीमेट्स बनाते वक्त शामिल किया जाता है—क्राप सर्वे, एस्टीमेट्स और डैमेज आदि के सम्बन्ध में। हमने इस सम्बन्ध में बम्बई को लिखा कि अगर उनके यहां ऐसा कोई कायदा है तो हम उसे एडाप्ट करेंगे। उनका जवाब आया तो मालूम हुआ कि उनके यहां क्या हो रहा है। वहां आज से नहीं २८–२९ से एक तरीका चला आता है, पुराना तरीका है, यह उस वक्त का है जब वही अंग्रेज यू० पी० में था और वही बम्बई में था। मैं बताऊं कि बम्बई में वह नान-आफिशियल एसोसियेशन कैसा है। जब वहां पर ऐसा मौका आता है तो कानूनगो, लेखपाल और कलेक्शन अमीन ३ तो यह और २ गांव के प्रतिनिधि होते हैं, वह सारे गांव का एस्टीमेट बनाते हैं, खातेवार नहीं बनाते जबकि हमारे यहां डेमेज रिपोर्ट होती है तो खातेवार एस्टीमेट बनता है। वहां पर सारे गांव का औसत निकाला जाता है और वह सब निकालने के बाद जो राय होती है वह तहसीलदार को भेज दी जाती है और उस पर उनका फैसला फाइनल होता है—सबजेक्ट टु रिवीजन बाई दि कलेक्टर। देखना यह है कि उसमें ३ अहलकार होते हैं और २ गांव के प्रतिनिधि होते हैं तो वहां किस तरह से इख्तिलाफ होने पर किसकी राय प्रिवेल करती होगी। पंचायतें वहां हैं नहीं, वैसे ही मुखिया वगैरह कान पकड़ कर बुला लिये जातें होंगे। आप खुद ही सोच सकते हैं कि उनकी क्या इम्पार्टेन्स होती होगी। अगर २ की राय प्रिवेल करती है ३ के ऊपर तो ऊपर तहसील-वार की राय है। तो यह तो आफिशियल ही हुआ। इसमें नान-आफिशियल तो कहने के लिये ही हुआ। दूसरे हमारे यहां एक एक किसान का खाता देखा जाता है कि कितना नुकसान हुआ जब कि वहां सारे गांव का एक एस्टीमेट बनता है और औसत निकाला जाता है। एक किसान चाहे बरबाद हो जाय लेकिन जो औसत आयेगा उसी हिसाब से निकाला जायगा।

दूसरे हमारे यहां ८ आना नुकसान होता है तो ६ आने की छूट दी जाती है जबकि उनके यहां दस आने तक नुकसान होगा तो कोई छूट नहीं, लेकिन अगर दस आने से ऊपर नुकसान होगा तो छूट दी जायगी। तो यह जो हवा पैदा करने की कोशिश की जाती है कि यह सरकार बड़ी रिएक्शनरी है और दूसरे सूबे बड़े प्रग्रेसिव हैं। यह सब इससे साफ हो गया जो वहां की सच्चाई मैंने सदन के सामने रखी।

कहा जाता है कि जो एरियर्स हैं वह माफ कर दिये जायं। एरियर्स हैं क्या? यह दो तरह के हैं। एक तो सस्पेंशन है, रबी में तो ससपेंड नहीं होते। वहां एक बात और अर्ज कर दूं कि वहां रेमिशन्स तो होते ही नहीं। दस आने से ऊपर नुकसान होता है तो सस्पेंशन होता है, ३ साल तक देखते हैं कि वसूल हो सकता है तो कर लेते हैं। शुरू में छूट नहीं होती जब कि हमारे यहां ज्यादातर रेमिशन्स ही होते हैं। रबी में भी होते हैं और खरीफ में भी होते हैं। कलेक्टर को अधिकार है कि वह सस्पेंशन करे या रेमिशन दे। इधर चार-पांच साल से यहां बराबर यह हो रहा है कि ९० प्रतिशत रेमिशन्स होते हैं और केवल दस प्रतिशत सस्पेंशन होते हैं। बकाया माफ करने के माने तो यह होंगे कि जिन्होंने वक्त से दे दिया वह तो बेवकूफ रहे और जो डिफाल्टर्स थे आनन्द में रहे। इस से तो मालगुजारी की वसूली हो चुकी।

किसी साहब ने यह भी कहा कि बरसात में मालगुजारी वसूल न की जाया करे। तो उनका मतलब यह हुआ कि १५ अप्रैल से १५ जून तक के समय में ही तमाम कोअर्सिव प्रासेज खत्म हो जाने चाहिये, क्योंकि फिर बरसात आ जाती है। इससे तो मेरा खयाल है कि और भी दिक्कत बढ़ेगी बजाय आसानी के, क्योंकि इस डेढ़ महीने में बहुत परेशानी किसान को होगी। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि हम रियलाइजेशंस को कंसेंट्रेट कर दें ३ महीने के अन्दर या उसको ६ महीने में वसूली के लिए रख दें। पैसा जब उसके पास है तो मई के महीने में क्यों नहीं दे देता है। लेकिन वहां तो व्याख्यान होते हैं कि मालगुजारी हम माफ करायेंगे। कहा जाता है कि मालगुजारी की वसूलयाबी में बड़ा अन्याय हो रहा है। जहां तक कोअर्सिव प्रोसेज का सवाल है मेरे पास नकशा मौजूद है जिससे जाहिर है कि कोअर्सिव प्रोसेसेज ३-४ साल के अन्दर बढ़े नहीं हैं, लेकिन समय की कमी के कारण उसको मैं सुनाता नहीं हूं।

कोअर्सिव प्रोसेसेज के अलावा कहा जाता है कि खिलाफ कानून ज्यादतियां होती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह माने लेता हूं कि ज्यादतियां कुछ होती होंगी। हजारों अमीन देहात में काम करते हैं, वह इन्सान हैं। गवर्नर साहब की तरफ से यह एश्योरेंस नहीं हुआ होगा कि कोई गलती नहीं करेगा। गलती वह कर सकते हैं, उनकी तरफ से ज्यादती हो सकती है, खिलाफ कानून कार्रवाई हो सकती है। उसके लिए मेरी तो बराबर दरख्वास्त है और मैं उसका स्वागत करता हूं कि अगर आप मुझे कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पिल बतलावें तो जरूर तहकीकात होगी और गलती पाने पर सजा दी जायगी। लेकिन हो यह रहा है जिसके मेरे पास सबूत हैं कि इस बात का मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से प्रोपेगेन्डा होता है कि मालगुजारी मत दो, तहसीलदार आये तो उसको पीटो, अमीन आये उसको पीटो। बड़ी-बड़ी मीटिंग करके कहा जाता है।

विरोधी पक्ष के सदस्य—बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष—सावधान।

श्री चरण सिंह—मेरी रिपोर्ट्स ऐसी हैं, वह गलत हो सकती हैं, लेकिन उनके मुताबिक यह कहा गया कि मालगुजारी न देनी चाहिए।

श्री उग्रसेन—यह तो प्रचार है माननीय मंत्री जी का।

श्री चरणसिंह—आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आपकी तरफ से प्रोपेगेंडा होता है कि मालगुजारी मत दो, मैं यह बात कह रहा हूं, आप अपने को उसमें से निकाल दीजिये।

कुछ सदस्य—बिलकुल गलत बात है।

श्री अध्यक्ष—सावधान। आप शान्त रहें।

श्री त्रिलोकीसिंह—प्वाइंट आफ आर्डर, सर। माननीय माल मंत्री ने यह कहा कि इस तरफ के बैंच के वाले यह प्रचार करते हैं कि मालगुजारी मत अदा करो। क्या इस प्रकार का झूठा लांछन लगाने का उनको अधिकार है किसी माननीय सदस्य पर।

श्री अध्यक्ष—व्यक्तिगत किसी माननीय सदस्य के ऊपर कोई बात हो तो उसमें यह बात आ सकती है, लेकिन अगर वह आमतौर पर उनकी मालूमात के ऊपर हो—वह मालूमात गलत हो सकती हैं और मुमकिन है कि उनको गलत इत्तला मिल गयी हो—उसके ऊपर वह यह समझते हैं कि ऐसा विचार किया जाता है दूसरी तरफ से, विरोधी पार्टियों की तरफ से, किसी का नाम न लेते हुये कहें तो यह वह कह सकते हैं, कोई गैरवाजिब बात नहीं है।

श्री चरणसिंह—मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना चाहता हूं। जैसा आपने फरमाया, मैंने कहा कि आमतौर पर विरोधी पार्टियों की तरफ से यह प्रचार होता है, अपने आप को निकाल दीजिये। अब माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने एतराज उठाते हुये कहा है कि 'झूठा लांछन' लगाया जाता है अगर यह कहा जाता कि वह गलत है तो ठीक था, क्योंकि मैं तो आम बात कह रहा हूं, उसके ऊपर आपको इतनी चमक है और आप कहते हैं कि 'झूठा लांछन' है तो मैं प्वाइंट आफ आर्डर रेज करता हूं कि यह अनपार्लियामेंटरी है।

श्री अध्यक्ष—आप ने प्वाइंट आफ आर्डर रेज किया है कि 'झूठा लांछन लगाते हैं' यह अनपार्लियामेंटरी है, तो यह तो 'झूठे' शब्द के कंटेक्स्ट का सवाल है। 'झूठा' शब्द उस जगह अनपार्लियामेंटरी शब्द है जब किसी व्यक्ति को कहा जाय कि तुम झूठी बात कह रहे हो। लेकिन उनका मतलब यह था कि यह 'गलत लांछन' है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप जानबूझ कर झूठी बात कह रहे हैं, बल्कि लांछन झूठा है, यानी गलत है।

श्री चरणसिंह—अध्यक्ष महोदय, यह तो उनसे पूछने से मालूम होगा कि वह लांछन के लिये कह रहे हैं या मेरी नियत पर हमला कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के यह ध्यान में रखें कि जब अध्यक्ष बैठा हुआ हो तो वह भी अन्दाज लगाता है कि बोलने वाले का क्या मतलब है। मैंने अन्दाज लगाया, सही मतलब लगाया, आप कृपया उसको स्वीकार करेंगे। मुझे अगर शंका होती तो मैं उनसे पूछता। मुझे कोई शंका नहीं है इसमें।

अब आप ने अपना भाषण समाप्त कर दिया?

श्री चरणसिंह—दो मिनट तो इसमें लगे ही होंगे।

श्री अध्यक्ष—एक मिनट आप ले लें।

श्री चरणसिंह—मैंने यह कहा था कि गांव के अन्दर यह ऐटमासफियर पैदा करने की कोशिश की जाती है। जब वह अमीन, एक बहुत छोटा आफिशल गांव में जाता है तो एक होस्टिलिटी की दीवार पाता है। हर किसान जिसके पास वह जाता है कोई रजामन्दी से मालगुजारी देने के लिये तैयार नहीं। आप यह कहें कि मालगुजारी माफ हो, वसूल की न

जाय, उस को हम लोग तय करें, लेकिन जब तक वह वसूल होनी है तब तक किसी की तरफ से यह प्रोपेगेंडा होना कि न दो तो वह गेंहू रेशे पर आफ़ियल क्या करे ?

दूसरी बात यह है कि मालगुजारी बर्डेन नहीं है।

श्री अध्यक्ष--अब इतना समय नहीं है।

श्री चरणसिंह-- तो फिर ?

श्री अध्यक्ष --अब आप समाप्त कीजिये, समय हो गया।

श्री चरणसिंह---बहुत अच्छा।

श्री अध्यक्ष---श्री असलम खां।

श्री राजनारायण -- एक बात मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष --जी नहीं, अब उसको बढ़ाइये नहीं।

श्री राजनारायण---मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। मैंने माननीय असलम खां को पुकारा है, वह अपना भाषण शुरू करेंगे।

श्री असलम खां (जिला रामपुर)--- जनाब सदर, हमारे मोहतरिम गवर्नर साहब का एड्रेस इस ऐवान में जेर बहस है। मंजूर जेरे बहस तवील, वक्त महदूद, इशारों में ही बात मुमकिन है। वाकया तो यह है कि हालात के तकाजे के पेशे नजर, अवाम के मसलों के तकाजों के बमूजिब जी चाहता था कि बात जरा वजाहत से, मुंह खोल के और आंखों में आंखें डाल कर हो, लेकिन, जनाब सदर, इस ऐवान के रवायात, क़वायद, पाबन्दियों और मजबूरियों की वजह से यह मुमकिन नहीं। आं राजे कि दरसीनानिहां अस्त-निहां बह बरदार तवां गफ्त न मिम्बर व तवां गुफ्त। यानी वह राज, वह ईमान की बात जो सीने में और दिल में छिपी हुई है छिपी ही रहना बेहतर है। वह फांसी और दार के तख्ते पर कही जा सकती है न कि मस्जिद के मेम्बर से। इसलिये मसलहत का तकाजा भी यह है कि बात इशारे में हो।

जनाबवाला, दो दिन से गवर्नर साहब के एड्रेस पर मुतवातिर गुफ्तगू, बहस मुबाहसा हो रहा है। हमारे सामने ट्रेजरी बेंचेज की ओर से मेम्बरान गवर्नर साहब के एड्रेस, या बअल्फाज दीगर सरकार की कार्यवाहियों, को मुबारकबाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। बरखिलाफ इसके हम लोग इधर से गवर्नर साहब के एड्रेस के हर पैराग्राफ पर तनकीद कर रहे हैं, तब्सरा कर रहे हैं, नुक्ताचीनी कर रहे हैं। बड़ा अजीब बात है, गुफ्तगू बेहेलल रन कर रही है और हम कहीं मैच नहीं कर पाते। कहा जाता है उस जानिब से कि अपोजिशन के लोग फ्रस्टेशन के शिकार हैं, रिएक्शन से सफर कर रहे हैं। नारेबाजी की खातिर, अवामी हर दिल अजीजी, पापुलरिटी की खातिर या तनकीद बराय तनकीद, क्रिटिसिज्म फार क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। मेरी नाकिस राय में बात कुछ भी नहीं है। दोनों तरफ के मोअज्जिज मेम्बरान ईमानदारी की बिना पर तकरीरें कर रहे हैं। जरा सी फेरेंसी है जिसको दूर करने के बाद सही फैसला हो सकता है। आर्गूमेंटेशन और डिबेटिंग का फन्डामेंटल प्रिन्सिपिल यह है कि जब किसी मसले या किसी शख्स पर पार्लियामेंटरी जजमेंट या मारल जजमेंट पास किया जाय तो उसको जांचने के, परखने के, तौलने के, नापने के मियार और क्राइटेरियन वाजेह तौर से, पर कम से कम फरीकैन की जहनों में मुअय्यन होने चाहिये। मैं तसलीम करता हूं कि कांग्रेस और ट्रेजरी बेंचेज का कहना यह है कि हमारी सरकार की नीयत अच्छी है, नेक है इसलिये वह काबिले मुबारकबाद

[श्री असलम खां]

है। हमारे मोअज्जिज मेम्बरान जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं उनका कहना यह है कि मुबारकबाद देने की जरूरत नीयती और ईमानदारी के साथ उन्होंने एफर्ट्स किये हैं इसलिये उनको है। बरखिलाफ इसके हम लोगों का कहना यह है कि 'way to hell is paved with good intentions.'

यानी बावजूद नेकनीयती के नीयत के ईंटों से दोजख का रास्ता बना हुआ है और हम सिर्फ नेकनीयती की बिना पर मुबारकबाद देने के लिये तैयार नहीं हैं। हम हलके सिलसिले में सिर्फ नेकनीयती या एफर्ट्स की बिना पर मुबारकबाद देने के लिये तैयार नहीं हैं बल्कि नतायज से जांचेंगे। जनाबवाला, हम लोगों के मतालबात में जान भी है। हुजूरवाला, जैसे एक नाकिस और कमजोर इंसान हमारे लिये अच्छी नीयत रखता है, नेकनीयत रखता है तो हम उसके शुकगुजार होते हैं, अगर हमारे वास्ते वह थोड़ी-सी भी मदद करता है तो हम उसके शुकगुजार होते हैं, लेकिन जब कोई ताकतवर आदमी जिसके हाथ में खजाने की कुंजी हो, फौज हो, पुलिस हो, जब कोई हमारे साथ हमदर्दी करता है तो हम उसकी हमदर्दी को नतायज से जांच करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है।

अब मैं सरकार की खिदमत में यह मारूजा पेश करने में जरा भी ताम्मुल नहीं करूंगा कि न तो कांग्रेस के लोगों की बात सुनी जाय और न अपोजीशन पार्टियों के लोगों की बात सुनी जाय, बल्कि बाजारों में, रेलवे कम्पार्टमेंटस में चला जाय और वहां जा कर देखा जाय कि लोगों का क्या खयाल है और वह सरकार के कामों के मुताल्लिक क्या राय रखते हैं और किस तरह नतायज से जांचने के लिये कोशां हैं। उसको ही मयार माना जाए—

"सुन तो सही जहां में है तेरा फ़साना क्या।
कहती है तुझको खल्के खुदा गायबाना क्या।"

जनाबवाला, बहुत सी गुफ्तगू गवर्नमेंट की कारगुजारियों पर हो चुकी है जिसका तजकिरा गवर्नर साहब के ऐड्रेस में था। लेकिन मैं उन चन्द बातों को कहना चाहता हूं कि जिनका तजकिरा गवर्नर साहब के ऐड्रेस में नहीं था। हमारे इस ऐवान के हर मोअज्जिज मेम्बर को अच्छी तरह से मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले हमारे मुल्क के वजीरे आजम यानी प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने अपनी ख्वाहिश और इरादा जाहिर किया था कि उनको कुछ दिनों के लिये जिम्मेदारी से अलग किया, सकून दिया जाय। लेकिन वह चूंकि मुल्क की एक सिम्बौलिक परसोनेलिटी हैं इसलिये मुल्क के तमाम लोगों ने उनसे मिन्नत, आरजू और इल्तजा की कि अभी आप न जाइये। जो उन्होंने मान लिया इसको बिला खौफ तरदीद कहा जा सकता है कि यह उनके लिये वोट आफ कांफिडेंस था। इसके बाद जो उन्होंने पहला पालिसी स्टेटमेंट दिया वह सारे का सारा सिर्फ दो अहम चीजों पर ही मबनी था। एक तो उर्दू जबान से मुताल्लिक और दूसरे अकलियत को मुलाजमत देने के सिलसिले में। मुझे बड़ी हैरत हुई यह देख कर कि ऐसे अहम मसले पर हमारे गवर्नर साहब के ऐड्रेस में कोई तजकिरा नहीं है। मैंने जैसा कि अपनी स्पीच के इंट्रोडक्शन में वादा किया था मैं बात इशारों में करूंगा।

श्री अध्यक्ष—अब अपनी तकरीर आप बाद में जारी रखेंगे। हम उठते हैं और सवा दो बजे फिर बैठेंगे। आपके ८ मिनट बाकी हैं।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १६ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

विभिन्न समितियों के लिये सदस्यों के निर्वाचन का कार्य-क्रम

श्री उपाध्यक्ष—पहले कुछ सूचना देनी है।

२१ जुलाई, १९५८ के सदन के निश्चयानुसार लखनऊ यूनिवर्सिटी कोर्ट में कार्य करने के लिये पांच सदस्यों का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट में कार्य करने के लिए पांच सदस्यों का, हरकोर्ट बटलर टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट की परामर्शदात्री समिति में कार्य करने के लिये एक सदस्य का निर्वाचन होना है। इनके अतिरिक्त श्री सुल्तान आलम खां के त्यागपत्र देने से प्राक्कलन समिति में भी एक स्थान रिक्त है जिसके लिये निर्वाचन कराना है। इनके लिये निम्नलिखित कार्यक्रम निश्चित किया जाता है--

१—नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तथा समय	६ अगस्त, १९५८ दिन के ५ बजे तक।
२—नामांकन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय (सचिव विधान सभा के कमरे में)	सायंकाल ४ बजे तक।
३—नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि तथा समय	१३ अगस्त, १९५८ सायंकाल ४ बजे तक।
४—निर्वाचन, यदि आवश्यक हो . .	१४ अगस्त, १९५८ को विधान वाचनालय में २ बजे से ५ बजे तक।

उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८

स्वायत्त-शासन मंत्री के सभासचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश अंतरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ३२३-३३३ पर)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८

कृषि मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—श्रीमन्, मैं सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ३३४-३३५ पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव--(क्रमागत)

श्री असलम, खां—सदर मुहतरम, मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पं० जवाहर लाल नेहरू का पार्लीमेंटरी स्टेटमेंट एक ऐसे साइकालोजिकल मोमेंट पर जब कि उनकी मारल साइड निहायत स्ट्रांग थी, उसके होते हुये, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का वाजे रेजोल्यूशन होते हुये और इस बात के पेशे नजर की मुस्लिम माइनारिटी की अक्सरियत इस सूबे में आबाद है हम मुतवक्के थे कि मुहतरम गवर्नर साहब के ऐड्रेस में उन दोनों मजमूनों पर वाजे तब्सिरा होगा। कहा जा सकता है कि जहां तक उर्दू जबान का ताल्लुक है हमारे चीफ मिनिस्टर का ऐलान हो चुका है। मगर उन कांस्टीट्युशनल प्राविजन्स और उन इम्प्लीकेशंस के वाजे होते हुये फिर यह बात मैं दोहराऊंगा कि हमारे गवर्नर साहब के ऐड्रेस में उसकी ऐबसेंस काफी कांस्पीकुअस है जिस पर हम लोगों को मायूसी के साथ-साथ हैरत भी हुई। यह बात, जनाबवाला, मैंने दो बातों के पेशे नजर अर्ज की है मैं इस बात पर कि चूंकि सरकार उनके पूरे खुतबे को बनाती है सिर्फ उनकी सादा लौही पर महमूल करने को तैयार नहीं हूं। दो बातें हुईं, एक तो इस बात के पेशे नजर कि जब कोई हुकूमत या हाकिम वक्त अपने फरायजसे बेगाना हो या उनसे भाग रहा हो, उसके खिलाफ बगावत करना उतनी मजमूम चीज नहीं रहती जितना कि हमारे सरकारी मुअज्जिब मेम्बरान के तीसरे से जाहिर होता होगा। अगर मेरी गुफ्तगू में तलखी है तो इसको अपनात महमूल पर कीजिएगा—

"शिकायत तुम से की है, तुमको अपना जान कर मैंने।"

[श्री असलम खां]

दूसरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं उस को उसी पसेमंजर में कहूंगा। इस ऐवान में पूर्वी जिलों की बेरोजगारी, गुरबत और नादारी का तजकिरा इस बहस के दौरान म हुआ। उनके साथ जितनी हमदर्दी की जाय, गवर्नमेंट जिस तरह से भी मुतवज्जह हो वह कम है। वह हर तरह से मुस्तहक हैं। मैं उनसे अपने को मुत्तफिक पाता हूं। लेकिन साथ ही इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार और अजला की जो दुश्वारियां हैं उनकी तरफ से मुंह मोड़ लें। इस ऐवान को अच्छी तरह से याद होगा कि पिछले सेशन में हमारे ऐवान के एक होनहार मुअज्जिज मेम्बर श्री नारायणदत्त तिवारी ने हमारे पहाड़ी अजला की गुरबत, नादारी और बेरोजगारी पर जो तब्सिरा किया था उस पर भी तवज्जह करनी चाहिए। आज मैं एक और स्पेशल कैटेगरी का तजकिरा करने जा रहा हूं, जो अरसे से मुस्तहक़ है इस बात का कि सरकार की उस तरफ तवज्जह हो। मेरा इशारा उन अजला की तरफ है जो आजादी के पहले हमारे सूबे की देशी रियासतें रही हैं। मेरा मतलब रामपुर, टेहरी गढ़वाल और बनारस से है जिनके बारे में इस एवान के हर मुअज्जिज मेम्बर को मालूम है कि उन रियासतों ने अपने ही तरीके पर अपना डेवलपमेंट किया था। उनका एक मखसूस किस्म का आर्थिक ढांचा था। रियासतों को जिस वक्त मर्ज किया जा रहा था तो सूबे की सरकार ने और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने उनसे यह वादा किया था कि अब यह क़तरा समुन्दर से मिल रहा है। इनको भी वही सहूलियतें मिलेंगी जो बड़ी जगह पर लोगों को मिलती हैं लेकिन मुझे बड़ी मायूसी के साथ कहना पड़ता है कि जब वे सूबे का एक हिस्सा बनीं तो वहां पर भी वैसा ही ऐडमिनिस्ट्रेशन रह गया जो कि दूसरे अजला में था। वहां की एक पूरी हुकूमत थी। उसकी अपनी पुलिस थी, उसकी अपनी एक फौज थी और बहुत-सा अपना इन्तजाम था लेकिन उस इन्तजाम को एक जुम्बिशे कलम से खत्म कर दिया गया। रामपुर में १०, १५ हजार आदमी बेरोजगार हो गये लेकिन उनका कोई इन्तजाम नहीं किया गया। मेरी जनाबवाला से यह इल्तजा है कि वेलफेयर स्टेट होने के नाते इन्साफ का तकाजा है कि जो लोग वहां पर बेरोजगार हो गये हैं उनका कोई इन्तजाम किया जाय। वहां के उन मुलाजिमों का बुरा हाल है और वे आप की मदद के मुस्तहक़ हैं। जो वहां रियासत के जमाने में तिजारत थी उससे वहां पर लोगों को काफी फायदा होता था। अब वह उससे महरूम हो गये हैं। उसका नतीजा यह है कि वे लोग जो कभी काफी अमीर थे, जिनके पास घोड़े और मोटर भी थे वह आज रिक्शा चला रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे खानदानों से मुताल्लिक हैं जो हया अ.र शर्म की वजह से रात के १० बजे अपनी रिक्शा में बैठते हैं ताकि उनको कोई न देखे। वे दूर-दूर १०, १० मील से लकड़ी लाते हैं। उनकी आज वही हालत हो रही है जिसकी तरफ झारखंडे राय जी ने इशारा किया था कि मुल्क अब इन्कलाब की तरफ जा रहा है।

मैं आप की वसातत से आखिर में इतना और अर्ज करना चाहता हूं कि इस गुरबत और नादारी के आलम में रामपुर में जो वाटर टैक्स की स्कीम जारी हुई है उससे वहां की रियाया बहुत परेशान है। बहुत से लोगों के रहने के लायक ठीक म.ान भी नहीं हैं लेकिन उनकी मालियत बहुत ज्यादा लगा ली गयी है जब कि उनकी वेल्युएशन कुछ भी नहीं है। इस वाटर टैक्स स्कीम को वाटर चार्जेज में तबदील हो जाना चाहिये।

हमारे यहां मिनिस्टर साहब ने यह मेहरबानी की है कि वहां पर भी फेयर प्राइस शाप्स खुलवा दी हैं। लेकिन मेरी अर्ज यह है कि यह मसले का हल नहीं है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। खरीदने की कुवत पहले होनी चाहिये। १ हफ्ता या १० दिन के लिये अगर एक आदमी को २ रुपये का अनाज खरीदने के लिये पर्ची मिलती है और एक वक्त में वह २ रुपये का अनाज खरीद नहीं सकता तो उसका नतीजा यह होता है कि ४, ६ आने में उस पर्ची को बेच देता है। मैं अ.ब से अर्ज करूंगा कि अगर पूरा राशनिंग न भी हो तो पार्शियल राशनिंग का इन्तजाम होना चाहिये। इस तरह से यह मसला और भी उलझता चला जा रहा है।

रामपुर में जो ला ऐन्ड आर्डर का सवाल था वहां पर सरकार ने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रख दिये हैं। जब तक इन दोनों को जुडिशियरी और एक्जिक्यूटिव को अलग नहीं किया जायगा तब तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सही इन्साफ नहीं कर सकते हैं। खुद एक जुडिशियल

मैजिस्ट्रेट ने मुझ से यह कहा कि हमें इन्साफ नहीं करने दिया जाता। इस तरह के पुलिस के असरात उनके ऊपर रहते हैं कि जिससे वह इन्साफ नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर यह तोहमत है कि वह जुडीशल हैं, उनके ऊपर असरात होने के वजह से वह मजबूर हैं। जैसा उनके अफसरान कहते हैं वैसा ही वह करते हैं। तो फिर कहां तक गोविन्द सिंह (गोविन्द सहाय) जी की बात का ताल्लुक है? वह कहां तक चल सकते हैं जब कि वह जुडीशल मैजिस्ट्रेट अपनी मौजूदा पोजीशन पर खुद ही मुतमय्यन नहीं है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उधर से बोलने वालों के लिये कुछ मजबूरियां हैं, मैं जानता हूं कि उनके सबकांशस थाट्स क्या हैं और यह भी जानता हूं कि इन्सानी आरजूयें, तमन्नायें चोर दरवाजे से छिप-छिप कर दाखिल होती हैं। लेकिन होता यह है कि इंसान उनको मानने से गुरेज करता है। इस वास्ते जब उनको खुद यह कहना था तो कोई वजह नहीं है कि सरकार इस मसले पर अच्छी तरह से गौर क्यों न करे। क्या वजह है कि हमारी सरकार जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव को अलग नहीं करती है। मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि जब यही लोग रेलवे कंपार्टमेंट या क्लब में मिलते हैं तो हमारी बात को ताईद करते हैं। इससे ज्यादा बड़ा सबूत हमारी बात के सही होने का क्या होगा? और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार को भी इस बात का पता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय मित्र जो बोल रहे थे वह जल्दी में अपनी तकरीर में गोविन्दसिंह का नाम ले गये। शायद उनका मतलब गोविन्दसहाय जी से है। मेरे पर तो अभी तक आपकी कृपा दृष्टि नहीं हुई। कोई गलत न समझ जाय, इसलिये मैंने यह अर्ज किया।

श्री असलम खां--मैंने गोविन्दसहाय जी से ही अर्ज किया था। हो सकता है जल्दी में गोविन्दसिंह निकल गया हो तो माफ किया जाय।

श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस समय बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय महोदय, मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारी सरकार ने शासन की बागडोर उस समय अपने हाथ में ली थी जिस समय विघ्न-बाधाओं के बादल चारों ओर मंडरा रहे थे। लेकिन अनेक विघ्न-बाधाओं के होते हुए भी, अनेक उपद्रवों के होते हुए भी हमारी सरकार ने जिस योग्यता और अक्लमंदी से राज-काज चलाया है उसे अगर निष्पक्ष भाव से, शुद्ध हृदय से, ठंडे दिमाग से देखा जाय तो मैं समझता हूं कि वह काबिले तारीफ है। सरकार ने उस हालत में जितना काम किया वह हो नहीं सकता था। मैं आदरणीय सदन के दोनों ओर के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यदि आप इस विषय पर विचार करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हमारी सरकार ने जिस मुसीबत और कठिनाई में काम किया है उसके लिये वह वास्तव में धन्यवाद की पात्र है और यह धन्यवाद हमें उसे देना चाहिये। इस कठिन परिस्थिति में जिस तरह से काम करना चाहिये था वह सरकार ने किया है। स्वास्थ्य में, शिक्षा में, यातायात में, हर ओर उन्नति हुई है। अछूतों के साथ किस प्रकार का बर्ताव होता था उसे आप सब जानते हैं। मुझे समाज सुधार का काम करते हुए काफी समय हो गया है और मैं जानता हूं कि परिस्थिति उस समय बहुत खराब थी। हमारी सरकार ने उस हालत को सुधारने के लिये जो प्रयत्न किया है उसके लिये वह धन्यवाद की पात्र है। उस असमानता को दूर किया। उसके लिये कानून का लाना भी एक मामूली बात नहीं थी। खास तौर से जब कि हमारी अन्दरूनी हालत बहुत खराब थी। अछूत या हरिजन जो बिलकुल ही खराब हालत में थे और जिन्हें देश का पांचवां हिस्सा कहा जाता है उनके अन्दर जीवन डालना था। यद्यपि अभी बराबर का दरजा तो दूर है परन्तु काफी इस ओर प्रगति हुई है। उसमें इतना अधिक सुधार हुआ है जितनी कि आशा नहीं थी। अभी बहुत कुछ होना और बाकी है। सरकार की कठिनाइयां हैं।

[श्री खुशीराम]

हमारे विरोधी दल का कहना ठीक है कि यदि स्थिति ठीक होती तो हम बहुत आगे होते। लेकिन दिक्कत तो यह है कि बहुत से काम और भी करने हैं। सबको साथ-साथ उन्नति करनी है। ऐसी हालत में मैं दोनों दलों से निवेदन करता हूं कि सरकार ने बिलकुल ठीक काम किया है। हमारे राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है वह समय और स्थिति के अनुसार है। उसमें यह भी नहीं कहा गया है कि सब कुछ हो गया है और कुछ बाकी करने को नहीं है। कमियां भी उसमें बतलाई गई हैं जैसे कृषि इत्यादि का सुधार होना है। मेरी, सुझाव के रूप में, प्रार्थना है कि भूमि सुधार और अधिक होना चाहिये, जिससे भूमिहीनों को भूमि मिले। जमींदारी उन्मूलन इस तरह से किया गया है कि आंख बचे और खाल निकल जाय। इससे कोई अशान्ति पैदा नहीं हुई। इसके साथ ही साथ जो व्यवस्थाएं राज्य में बल लाने के लिये आवश्यक थीं वे की गईं। पहाड़ में जिन स्थानों में पहले भेड़-बकरी भी नहीं पहुंच सकती थीं वहां अब सड़कें बनकर मोटरें जा रही हैं। आगे आने वाली पंचवर्षीय योजनाओं में वहां और बहुत काम होने की उम्मीद है। पहले वहां सामान भी नहीं पहुंच सकता था, आज वह भी पहुंच रहा है। यह तो नहीं हो सकता कि जहां १०० मील सड़क बनानी है वह एकदम से २ दिन में ही बन जावे। जिस रफ्तार से काम चल सकता था उसे चलाया गया।

भ्रष्टाचार के लिये बहुत कुछ कहा गया। भ्रष्टाचार करने वाले भी हम में से ही हैं। वे कोई अमरीका या यूरोप से नहीं आये हैं। पहले हम इंग्लैंड वालों को दोष दिया करते थे कि उन्होंने यह कर दिया, वह कर दिया, इत्यादि। अब तो राजकाज हमारे हाथ में है। अगर सरकार भ्रष्टाचार मिटाने के लिये सख्ती करे तो विरोधी पक्ष वाले कहेंगे कि सख्ती हो रही है और वह नहीं होनी चाहिये। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार भी है और बहुत से लोगों को चेतावनी और सजा भी दी गई है। ये सारी बातें होते हुये भी राज्य का इस तरह से इन्तजाम किया जा रहा है कि कोई खराबी या अशान्ति न होने पावे। हमारी दशा बहुत पुराने समय से बिगड़ी हुई है। बहुत समय तक हम गुलाम रहे। हमारे अन्दर राष्ट्रीयता की कमी होने के कारण हम विदेशियों के गुलाम बने रहे। हमारे नेताओं ने बड़ी कठिनाइयों से आजादी अपने हाथ में ली, उनमें विरोधी दल के लोग भी शामिल हैं। सारे देश ने उस आजादी की लड़ाई में भाग लिया। यह तो सबको मालूम ही है कि विदेशियों के हाथ में जब शासन था तो २, ३ बार चुनाव हुये और राउन्ड टेबिल कान्फरेन्स होकर यह आजादी प्राप्त हुई। थोड़ी-बहुत भूलें तो सभी से हुआ करती हैं। रेल, मोटर, वायुयान इत्यादि बनाने में पहले कितनी दुर्घटनाएं हुईं और तब जाकर सफलता मिली। अन्त में सफलता मिल ही गई। पहले राजनीति से हम लोग अशिक्षित थे। इसलिये काम में मामूली गल्तियां हो सकती हैं।

कृषि सुधार के लिये मेरी प्रार्थना है कि उन लोगों को यह काम दिया जाय जो इसके करने वाले हैं। इससे अधिक अन्न पैदा होगा। उद्योगों के बारे में पहाड़ के लिये कह सकता हूं कि वहां खनिज-पदार्थ काफी हैं, लोहा और तांबा तथा दूसरी धातुएं हैं। इनके निकालने से वहां पर कल्याण हो सकता है। हमारे बुजुर्ग लोग पहले वहां लोहा, तांबा निकालते थे। उससे लोग बरतन बनाते थे और इससे उत्तरी भाग की मांग पूरी होती थी जब कि उस समय यातायात के कोई साधन प्राप्त नहीं थे। वहां तांबे और लोहे की खानें मौजूद हैं। अगर उनको निकालने की कोशिश की जाय तो लोहा और तांबा निकलने के अलावा हजारों लोगों को काम मिल सकता है। वहां ऐसा लोहा निकलता है जिसके बरतन में कोई चीज खराब नहीं होती है। अगर वहां लोहा और तांबा निकाला गया तो भूमि की जो मांग है वह कम हो जायगी। इस बारे में माननीय राज्यपाल महोदय ने जो कहा है, उसके लिये मैं उनका आभारी हूं।

कुमायूं में लोगों को ३ हजार एकड़ जमीन दी जा रही है यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको और भी अधिक मिलनी चाहिये। वहां पर वन मंत्री जी गये थे उन्होंने निरीक्षण किया था और भी मंत्री देख आये हैं। वहां पर १० हजार एकड़ जमीन की उनको आवश्यकता है। हम नहीं कहते कि जंगलों को काटकर उन लोगों को जमीन दे दी जाय। जंगलों को नुकसान न पहुंचा कर जो उनके आसपास जमीन है उसको दिया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ में प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी (जिला हमीरपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज यहां यह देखकर आश्चर्य हुआ है कि यहां कुछ लोग ऐसे हैं जो अखबार की बात पढ़कर उसके बारे में कहने लगते हैं। सुनना चाहिये तभी कहना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह पहला ही मौका है कि मैं यहां बोल रही हूं और उस बोलने का मौका देने के लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

पूर्वी जिलों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहती हूं। मैं कई रोज से सुन रही हूं और मुझे यह अनुभव भी हुआ कि पूर्वी जिलों की हालत बहुत ही खराब है। उस सम्बन्ध में मैं भी कहना चाहती हूं क्योंकि हमारे बहुत से भाइयों ने कहा है, हमारे बाबू गेंदा सिंह ने कहा है, लेकिन फिर भी हम इसलिये कहते हैं कि जिससे सरकार हमारा खयाल रखे। जनता के ऊपर अगर तकलीफ होती तो अगर हम सरकार से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बारे में जल्द ही सोचेगी और व्यवस्था करेगी। यह तो आपको मालूम ही है कि गतवर्ष सरकार ने अगहन की फसल में छूट दी थी ७६ लाख और रबी की फसल में भी २२ लाख रुपया छूट दी गयी थी जिस में तीन जिले बाकी हैं—जौनपुर, बलिया और आजमगढ़। आप सोचिये कि अगर वहां हालत ठीक होती तो छूट क्यों दी जाती? इसलिये मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि वहां की दशा पर विचार करके वह ठीक-ठीक व्यवस्था करे। उपाध्यक्ष महोदय, गृह उद्योगों के लिये भी मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इनको बढ़ाना चाहिये, क्योंकि खेती से ही काम नहीं चल सकता। जब तक कि गृह उद्योग धंधे नहीं बढ़ाये जायेंगे तब तक भारत का कैसे उद्धार हो सकता है? लेकिन मुझे यह मालूम है कि जो घरेलू कार्य हैं उनको भी पुरुषों के जिम्मे सौंपा गया है, लेकिन मैं सोचती हूं और कहती हूं कि पुरुषों को तो बड़े-बड़े कार्यों से ही फुर्सत नहीं मिलती, घरेलू कामों को वे कैसे कर सकते हैं? यह काम तो स्त्रियों के जिम्मे ही सौंपे जाने चाहिये, वे ही उनको अच्छे ढंग से चला सकती हैं, क्योंकि गृह उद्योग धंधे के काम में, घरेलू कामों में स्त्रियां ज्यादा योग्य होती हैं। इसलिये सरकार से मेरी यह विनम्र प्रार्थना है कि यह काम स्त्रियों के जिम्मे छोड़ देना चाहिये। पुरुष इनको नहीं कर सकते हैं। स्त्रियों के जिम्मे काम होने से उसमें सफलता भी मिलेगी, क्योंकि जहां तक सिलाई, बुनाई, कताई आदि का सम्बन्ध है, स्त्रियां इसमें ज्यादा भाग लेती हैं, और वे ज्यादा समझदार होती हैं। पुरुषों को तो फुर्सत ही नहीं मिलती। वे तो लोगों से मिलने-जुलने में ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं, फिर उनको इसके लिये फुर्सत नहीं मिलती कि वे गृह उद्योग धंधों के बारे में विचार करें।

तीसरी बात मुझे शासन और न्याय के सम्बन्ध में यह कहनी है कि शासन को न्याय विभाग से अलग होना चाहिये, क्योंकि जो शासन करता है वह अच्छा न्याय नहीं कर सकता, इसलिये कि अभी हाल ही में जब मौदहा में चुनाव हुआ था तो उसी के बारे में मैं थोड़ी सी बात बतलाना चाहती हूं। मौदहा क्षेत्र में एक पहाड़ी गांव हैं, जहां पर हमारे १७ भाई गिरफ्तार किये गये। वहां के डिप्टी कलेक्टर ने वारंट निकाला और वे गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार होने के बाद उन्हीं की अदालत में वे लाये गये। उन्होंने ही वारंट का हुक्म निकाला और गिरफ्तार होने के बाद वे उन्हीं की अदालत में लाये गये तो आप यह सोचें कि जो गिरफ्तारी का हुक्म निकालता है वही उसका न्याय करता है। एक कांग्रेसी भाई ने यह कहा कि यह तो छोटी सी बात है, लेकिन मैं कहती हूं कि यह छोटी बात नहीं है। जब कि हमारे महामना तिलक, लाला लाजपत राय और पूज्य बापू ने कहा कि इन दोनों विभागों को

[श्रीमती राजेन्द्र कुमारी]

अलग-अलग होना चाहिये, तो फिर यह छोटी बात कैसे हो सकती है ? इसकी सुनवाई सरकार तक नहीं हुई है इसलिये मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस तरफ जरूर ध्यान देगी कि दोनों विभाग अलग-अलग हो सकें ।

चौथी बात यह है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मौदहा को न जानता हो कि वहां पर मीठे पानी के कुंए बहुत कम हैं जिससे वहां की जनता को बड़ी मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है । उस क्षेत्र में कपास नाम का एक गांव है जहां मीठा कुआं नहीं है । वहां के लोगों को पानी पीने के लिये पहाड़ी से लाना पड़ता है, वे गाड़ियों पर लाद-लाद कर पानी लाते हैं । अपनी पैदल यात्रा के समय मैंने यह देखा कि वहां के लोग कुआं न होने से तालाब का पानी पीते थे । एक दिन मुझे भी वहां तालाब का ही पानी पीना पड़ा । मैंने वहां की स्त्रियों से पूछा कि आज तो पानी की यह हालत है, लेकिन बहन, बरसात के दिनों में आप लोग क्या करती हैं ? इस पर उन लोगों ने बतलाया कि बरसात के दिनों में हमको पानी मिलने में आसानी होती है । हम बाल्टी को लेकर पनाले के नीचे धर देते हैं और उसी पानी को कपड़े से छान कर पीते हैं । बरसात के दिनों में हम लोगों को पानी के लिये कहीं आना-जाना भी नहीं पड़ता । इसलिये मैं कहती हूं कि सरकार को चाहिये कि वहां पर मीठे पानी के कुएं का इन्तजाम जरूर ही कर दे । सरकार को हर तरह से जनता के आराम का खयाल रखना चाहिये और उसकी तकलीफों को दूर करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि मौदहा तहसील के हरिजन भाइयों पर हम लोग अत्याचार कर रहे हैं, यह बिलकुल गलत चीज है । मैं उनको अपना भाई ही समझती हूं । मैं जितना इस सम्बन्ध में जानती हूं उतना शायद ही कोई जानता हो, क्योंकि इस चुनाव के सिलसिले में मैं हर गांव में गयी घर-घर । जिस भाई ने यह बात उठाई है उसके साथ मैं जाने के लिये तैयार हूं और वे मेरे साथ चल कर जांच करें कि कौन सा वहां अत्याचार हो रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हरिजनों के बच्चों के लिये जो फीस अभी तक माफ रही है वह माफ ही रहनी चाहिये, क्योंकि अभी हरिजन भाइयों की हालत अच्छी नहीं है । मैंने सुना है कि केवल १०० रुपये तक के नौकरों के बच्चों की फीस माफ रहेगी और उसके ऊपर तनख्वाह पाने वाले नौकरों के बच्चों की फीस माफ नहीं रहेगी । मेरा कहना है कि हरिजन भाई अभी इस काबिल नहीं हैं कि वे अपने बच्चों का खर्चा बर्दाश्त कर सकें, अभी उनकी हालत सुधरी नहीं है और ईश्वर की कृपा से अगर उनकी हालत सुधर गयी तो वे फीस देने लगेंगे । इसलिये मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि अभी वह हमारे हरिजन बच्चों की फीस माफ ही रहने दे । जो हमारे बाबू त्रिलोकी सिंह ने कहा था उनकी बातों का भी मैं समर्थन करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय कल्याणचन्द मोहिले, आप को केवल १० मिनट का समय मिलेगा ।

***श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)--मान्यवर, माननीय त्रिलोकीसिंह जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । पिछले दो दिन से बहुत सी बातें महामहिम राज्यपाल के भाषण के सम्बन्ध में कही गयीं । जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं नगर से चुन कर आया हूं । सरकार जो दावा करती है जनतंत्र कायम करने का, आज उसी के युग में ५ कवाल टाउन्स और ७ म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव लगभग २० वर्ष या १५ वर्ष से नहीं हुआ । क्या यही प्रजातंत्र है ? ५ कवाल टाउन्स में प्रशासक का शासन है और हमारे यहां जब से प्रशासक का शासन हुआ है नगर की हालत दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जहां तक सफाई, शिक्षा और सड़कों का प्रबन्ध है सब बिलकुल पूरे तौर पर बिगड़ रहा है। हम लोगों ने बार-बार मांग की कि यहां पर प्रशासक का शासन हट जाय, परन्तु सरकार ने कोई बात नहीं सुनी और हमारे ऊपर उसका बोझ लदा रहा। आज नगरों की दशा यह हो गई है कि पता नहीं उसके सुधारने में कितने दिन लगेंगे। हमारे नगर में इस समय आप जानते हैं कि जब नगर निगम विधेयक सदन के सामने मौजूद है, हाउस टैक्स बढ़ा कर लगाया गया। उसके विरोध में नगर की सभी पार्टियों ने हड़ताल की, यहां तक कि भूख हड़ताल कांग्रेस वालों ने की। डेपुटेशन मिला। पर सरकार की ओर से उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और हमारे ऊपर वह टैक्स जबरदस्ती लादा जा रहा है। हमने बहुत कोशिश की कि वह टैक्स न लगे। टैक्स लगाने का विरोध इस माने में नहीं करते जिस माने में और लोग करने के लिये तैयार हैं। हम जानते हैं कि जो टैक्स लगेगा उससे नगर का सुधार होगा, परन्तु जो टैक्स इस समय लगाया जा रहा है और रुपये का जिस प्रकार प्रशासक द्वारा अपव्यय हो रहा है उसको देखते हुए किसी प्रकार का टैक्स लगना हमारे नगर के लिये या कंबाल टाउन्स के लिये बुरा होगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि इन नगरों में जो टैक्स लगाया जा रहा है वह तब तक के लिये न लगाया जाय जब तक कि वहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि न आ जायं।

दूसरी बात मुझे खाद्य के सम्बन्ध में कहनी है। आप जानते हैं हमारे यहां ८ तहसीलें हैं उनमें किस प्रकार से भुखमरी है। भुखमरी के लिये हर तरफ से कहा गया। लेकिन मैं जानता हूं कि अखबारों में आने के बाद भी सरकार को इसकी सूचना तक नहीं। लोग भूखों मर रहे हैं। पानी का प्रबन्ध नहीं है। पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन लोगों को पानी ठीक नहीं पहुंच रहा है। जानवरों के लिये कोई पेड़ ऐसा नहीं है जिसमें पत्तियां हों। हम लोगों ने श्रद्धेय टन्डन जी को लेकर और उसी क्षेत्र से जो माननीया सदस्या आती हैं, उनको लेकर दौरा किया और उन्होंने स्वयं देखा कि इलाहाबाद किस प्रकार से नेगलेक्ट किया जा रहा है। सीधी सी बात है। आप जानते हैं, ८ तहसीलों में केवल २ तहसीलों में थोड़ी सी दूकानें तथा तकावी बांट दी गई। मैं जानता हूं क्यों? क्योंकि वहां हमारे मन्त्री महोदय रहते हैं। बाकी ६ तहसीलों में जिस प्रकार से लोग मर रहे हैं उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा कि जिन तहसीलों में तकावी नहीं बांटी गई है वहां भी बांटी जाय और सस्ते गल्ले की दूकानें खोली जायं। दूकानों पर जो गल्ला मिलता है उसको भी हमने मन्त्री जी को, जब दौरे पर गये थे, दिखाया था। परन्तु उनका कहना है कि यह सरकार नहीं दे रही है। मैं पूछूंगा कि फिर दूकानदारों के पास यह गल्ला कहां से आया? अगर ब्लैक मार्केटिंग करते हैं तो उनको क्या सजा दी गई। जितनी दूकानें खुली हैं वे बहुत कम हैं। मैं चाहूंगा हर क्षेत्र में जितनी ज्यादा से ज्यादा दूकानें खोली जायं उतना ही अच्छा है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सबसे पहले इलाहाबाद में खाद्य क्रान्ति पैदा होगी।

चकबन्दी के बारे में यह कहना है कि अभी केवल सोरांव तहसील में ही चकबन्दी शुरू हुई है। लेकिन वहां पर ९० फीसदी आदमी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो चक बनाये गये हैं वे बिलकुल काश्तकारों की इच्छा के विरुद्ध बनाये गये हैं और जो चक या प्लाट नीलाम हो रहे हैं उनके सम्बन्ध में भी सरकारी आदमी खुले तौर पर उल्टा आचरण और भ्रष्टाचार करते हैं और सरकारी पक्ष के लोगों को मनमाने तरीके पर दिलाते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी स्वयं जाकर चकबन्दी का निरीक्षण करें वर्ना वहां बहुत कुछ उपद्रव हो सकता है।

एक बात यह भी है कि इलाहाबाद नगर की चुंगी वापसी का मामला अब फिर खड़ा हो गया है। जब एलेक्शन चल रहा था तो वह मामला तय हो गया था, लेकिन अब सरकार ने उसको फिर दूसरे तरीके पर लगाया है। हम चाहते हैं कि जो पहले की व्यवस्था थी वही कायम रखी जाय वर्ना वहां का व्यापार नष्ट हो जायगा।

[श्री कल्याणचन्द मोहिले]

इलाहाबाद के लिये एक मेडिकल कालेज की मांग के बारे में सरकार से कई बार कहा गया है। जब श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित यहां मिनिस्टर थीं तो एक बार ५६ लाख रुपया उस मेडिकल कालेज के लिये रखा गया था, लेकिन वह पता नहीं कहां गया और उस दिशा में कुछ नहीं हो सका। मैं चाहूंगा कि सरकार इलाहाबाद में मेडिकल कालेज की स्थापना जल्द से जल्द कराये।

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—उपाध्यक्ष महोदय, जो मुख्तलिफ तकरीरें यहां हुईं उनके दौरान में खाद्य का तजकिरा, जैसा कि खयाल था बहुत काफी हुआ और जो कठिनाइयां इसकी वजह से प्रदेश में फैली हुई हैं उनका भी जिक्र किया गया। कब्ल इसके कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ बातें बतलाऊं, मुझे यह अर्ज करना है कि बहरहाल जो कीमतें इस वक्त अनाज की बाजार में चल रही हैं वह ऐसी हैं कि जिनसे हम किसी तरह से भी मुतमईन नहीं हो सकते। यह एक परेशानी है और उसको दूर करने के लिये हम हर इमकानी कोशिश कर रहे हैं जिसका मैं आपके सामने अभी तफसील से जिक्र करूंगा, लेकिन इस मसले को हल करने के लिये यह बहुत जरूरी है कि इस मामले को बजाय इसके कि किसी पार्टी के उसूल पर, या इसके ऊपर कि किस की हुकूमत है, कौन सरकार बनाये हुए है और कौन नहीं बनाये हुए है, एक ऐसी पालिसी को अपनाना चाहिये जिसके मुताबिक हम सब मिलकर कोशिश करें ताकि इस मामले में हमें कामयाबी हो। इस कठिनाई को आज हर शख्स महसूस कर रहा है और खास तौर से जो छोटी हैसियत के लोग हैं और गरीब हैं जिनकी तादाद हमारे सूबे में ८५–९० प्रतिशत से भी ज्यादा है, वह सब ऐसी कठिनाई उठा रहे हैं। इसलिये मेरी यह इस्तदुआ है कि इस मसले पर आप जैसे भी गौर करें आपके सजेशन कांस्ट्रक्टिव होने चाहिये और वह ऐसे होने चाहिये कि जिस पर हम अमल कर सकें और जिस से सही तरीके से हम इस मुसीबत का मुकाबिला कर सकें। आपको यह मालूम है कि शुरू साल में सिवा कुछ पूर्वी जिलों के और पहाड़ी इलाकों क जहां पहले से शार्टेज चल रही थी बाकी हालत गल्ले की अच्छी थी और कोई खास परशानी की बात नहीं थी और न इतना ज्यादा अनाज गिरा था और ऐसा खयाल था कि शायद जनवरी, फरवरी और मार्च में अच्छा गल्ला आये और जितनी हमें सम्भावना थी उससे ज्यादा अनाज बाजार में आया और उस जमाने में निर्ख भी इत्मीनान बख्श रहे, हमने फिर यह सोचा कि जो दुकानें बहुत ज्यादा खुली हुई हैं उनको जहां तक हो सके बन्द किया जाय। चुनांचे बाज–बाज जगहों के ऊपर जहां दूकानों की जरूरत नहीं महसूस हो रही थी और जहां से गल्ला नहीं उठ रहा था वहां पर दुकानें बन्द भी की गयीं और ३१ मई, १९५८ को तकरीबन २,३१८ दुकानें हमारे सूबे में सिर्फ रह गयी थीं जिनमें से अक्सर पूर्वी जिलों में थीं और पहाड़ी इलाकों में थीं। लेकिन उसी के बाद से एकदम से ऐसा मालूम हुआ कि कुछ तो खुश्की की वजह से, बारिश जो बहुत दिनों से नहीं हुई थी और उसके साथ-साथ कुछ इस वजह से कि बाजारों में जो अनाज आ रहा था उसकी मिकदार घट गयी थी, कुछ निर्ख बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन आखिर में जब निर्ख बढ़ा है वह इब्तदाई जून का जमाना है। शुरू जून में यकायक गेहूं का भाव ऊपर चढ़ गया और हमको फिक्र हुई कि इसका इलाज हमको जल्दी से जल्दी करना है। चुनांचे हमने और दूकानें खोलनी शुरू कर दीं और केन्द्रीय सरकार से हमने अनाज की मांग की और उन्होंने हमसे वादा किया कि वह हम को काफी मिकदार में अनाज देंगे।

इन फेयर प्राइस शाप्स में कहीं पर ३० मन और कहीं पर इससे भी ज्यादा मोटा अनाज और कहीं पर ३० मन के करीब गेहूं बराबर तकसीम होता रहता है और यह दुकानें चलती रहती हैं। जब हमने देखा कि बहुत ज्यादा निर्ख बढ़ रहा है तो उस वक्त केन्द्रीय सरकार के मन्त्री से हमने मशविरा किया और यह जरूरत महसूस हुई कि खाली फेयर प्राइस शाप्स से काम नहीं चलेगा बल्कि कुछ और तदारुक करना पड़ेगा। चुनांचे १८ जुलाई को फेयर प्राइस शाप्स की तादाद को २,३१८ से बढ़ा करके ३,२१८ कर दिया गया। अक्सर जिले ऐसे हैं सिवाय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

५–६ जिलों के जहाँ ये दुकानें खुली हुई हैं और बड़े-बड़े शहरों में तो काफी तादाद में दूकानें हैं। उसके अलावा छोटे-छोटे शहरों में भी फेयर प्राइस की दूकानें खोल दी गयी हैं। मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि यह जो दूकानें खोली गयी हैं उनसे हमारी यह गरज नहीं है और न हो सकती है और न सरकार का यह इमकान है कि जितने लोग हैं, जितनी जनता है सब के लिये हम अनाज इन दुकानों के जरिये से सप्लाई कर सकें। हमारी गरज तो यह है कि अनाज की कमी है और भाव में जो बढ़ोत्तरी हुई है उसको एक हद तक हम पूरा कर सकें और इनके जरिये से जो नीचे का तबका है उसको कुछ सहूलियतें हम मुहइया कर सकें।

कमी कितनी हुई है इसका अन्दाजा भी हमको मई में जा कर लगा कि जितना अनाज होना चाहिये था, गेहूं, बार्ली और ग्राम, इन चीजों में १४ फीसदी कमी १९५६–५७ के मुकाबिले में हो गयी है और १९५६–५७ में जितना अनाज हुआ था, १९५७–५८ में उसमें साढ़े आठ लाख टन की कमी हो गयी। इस कमी को पूरा करने के लिये हमने वह दुकानें जारी कीं और उनके जरिये से हम अनाज तकसीम कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार ने हमसे वादा किया कि जहां तक उनके इमकान में है वह हमारी जरूरियात को पूरा करेंगे और इसी लिहाज से उन्होंने अब तक हमको ३५,००० टन तो इस सूबे में एक तरफ दिया और १५,००० टन उसके अलावा हमको दिया है और उसके जरिये से तकसीम हुआ। यह जरूर है कि उनमें से करीब १८–१९ हजार टन अभी तक पहुंचा नहीं है, लेकिन आर्डर्स इश्यू हो चुके हैं और पोर्ट टाउंस, बम्बई से, मद्रास से, कलकत्ता से, ऐसी जगहों से अनाज हमारे यहां आ रहा है और वह अभी रास्ते में है, लेकिन उन्होंने वादा कर लिया है कि वह हमको ५०,००० टन देंगे जिसमें से १५,००० कवाल टाउन्स के लिये है। ३५ हजार टन बकाया सूबे में तकसीम करने के लिये उन्होंने हमको दिया है। इसके अलावा जब और गरानी बढ़ी और जरूरत हुई कि कुछ मोटा अनाज भी उनसे मांगा जाय तो उन्होंने ६ हजार टन चना भी देने का वादा किया है और १ हजार टन मोटा चावल हमको दे दिया है और यह भी वादा किया है कि महीने दो महीने में ४ हजार टन चावल और देंगे। यह तो उस स्टाक का मैंने जिक्र किया जो हमने केन्द्रीय सरकार से हासिल किया है। इसके अलावा हमने खुद भी जिस जमाने में अनाज सस्ता था तो अपने यहां से और आस पास के सूबों से कोई ५५ हजार टन मोटा अनाज, जिसमें चना, जौ, बेझर वगैरह शामिल है, खरीदा था और हमारे स्टाक में मौजूद था। जैसा कि मैंने बतलाया पूर्वी जिलों की दुकानें जो पहले से चल रही थीं उन पर हम मोटा अनाज भी बराबर दे रहे थे और ५ जुलाई तक कोई २७ हजार टन मोटा अनाज मौजूद था और वह अब भी बराबर तकसीम हो रहा है। केन्द्रीय सरकार ने अगस्त के लिये ५० हजार टन और सितम्बर के लिये ५० हजार टन गेहूं देने का वादा किया है जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि काफी मिकदार में, करीब दो, ढाई लाख टन अनाज हमारे पास आ जायगा।

जैसा मैंने कहा, यह तो एक तरीका था जिसके जरिये से हमने यह कोशिश की कि कीमतें नीचे हों। चुनांचे शायद आपको खयाल हो कि जिस वक्त यह एलान हुआ कि फेयर प्राइस शाप्स खुलने वाली हैं तो तकरीबन ४, ६ छटांक अनाज सस्ता हो गया। लेकिन इसके बाद फिर गरानी शुरू हो गयी और जिस हद तक हमारा खयाल था उस हद तक निर्ख नहीं गिरे। चुनांचे फिर इसके अलावा हमने यह कोशिश की कि जो और बड़े-बड़े खरीदार बाजार में हैं अगर उनको रोका जाय तो शायद कुछ और निर्ख सस्ता हो। मिनजुमला और लोगों के कोआपरेटिव सोसाइटीज थीं जो जेलों के लिये अनाज खरीद रही थीं और बीज के लिये खरीद रही थीं। बीज की खरीदारी तो शुरू जमाने में हुई थी, वह खत्म हो चुकी थी, लेकिन जेल के लिये खरीदारी जारी थी। वह हमने रोका और यह इन्तजाम किया कि जेल की जरूरियात सेंट्रल गोडाउन से पूरी की जायं।

एक और सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से निर्ख बढ़ रहा था वह थी रोलर मिल्स की परचेजेज, क्योंकि यह गेहूं खरीदती हैं और उसका मैदा, सूजी वगैरह बनाती हैं और बहुत काफी दाम पर बेच लेती हैं। उनको निर्ख की परवाह नहीं रहती है, चाहे जिस भाव पर उनको गेहूं

[श्री सैयद अली जहीर]

मिले। चुनांचे जून ही के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिखकर भेज दिया कि रोलर फ्लावर मिल्स को भी बाजार से अलग किया जाय। उसके ऊपर वहां गौर होता रहा और मुझे खुशी है कि अभी दो, तीन दिन हुए कि वहां से हुक्म आ गया है कि अब रोलर फ्लावर मिल्स बाजार से अनाज नहीं खरीद सकतीं। और खाली यही नहीं बल्कि उन्होंने यह वादा किया है कि रोलर फ्लावर मिल्स को तकरीबन ८ हजार टन गेहूं जो उनकी जरूरियात के लिये काफी होगा वह खुद महय्या करेंगे और उससे जो आटा बनेगा करीब ४, साढ़े ४ हजार टन वह हमारी फेयर प्राइस शाप्स के जरिये से बिकेगा। तो जो ५० हजार टन उन्होंने देने का वादा किया है उसमें इतना और इजाफा हो गया कि इतना गेहूं का आटा हमारी दुकानों से बेचा जायगा जिस को लोग खरीद सकेंगे। उसी के साथ फ्लावर मिलों को यह आदेश थे कि वह मैदा सूजी वगैरह बाहर भेज सकती थीं। गेहूं का जाना तो बन्द था। अब गवर्नमेंट आफ इंडिया ने पाबंदी लगा दी है और यह हुक्म है कि आटा, सूजी-मैदा वगैरह सूबे के बाहर नहीं जा सकेंगे।

एक और चीज जिसकी वजह से निर्ख पर असर पड़ रहा था वह सट्टा था यानी फ़ारवर्ड कांट्रैक्ट्स। गेहूं पर तो पहले से यह मना था लेकिन कोर्स अनाज पर यह चलता था। होता यह था कि अक्सर जो व्यापारी होते थे वह मार्केट को कौरनर करने के लिये रुपया तो लगाते नहीं थे, शायद १२ या १५ परसेंट रुपया लगाते थे और महज कागजी कांट्रेक्ट्स होते थे। वे बहुत बड़ी क्वांटिटीज में अनाज खरीद लेते थे और फिर निर्ख ऊंचा करने की कोशिश करते थे क्योंकि जितना ऊंचा निर्ख जाता था उतना ही फायदा उनको होता था। इस चीज की बाज-बाज शहरों में और खास कर आगरे में शिकायत सुनी गयी कि वहां पर बड़े-बड़े फारवर्ड कांट्रेक्ट्स हो रहे हैं और उनका असर मार्केट पर पड़ रहा है। चुनान्चे हमारे कहने से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बन्द कर दिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि थोड़े दिनों से अरहर वगैरह जो दालें हैं, जिनकी कीमत ऊंची जा रही थी उनकी रफ्तार ऊंची जाने से रुक गयी है और किसी कदर दाम सस्ते हुए हैं।

यह चीज कोई नयी तो नहीं हुई है। यह पहले से थी, लेकिन मैं जिक्र कर दूं। यू० पी० का अलग जोन बन गया है और जहां तक गेहूं का ताल्लुक है बाहर नहीं जा सकता है और जितना पैदा होता है वह सब सूबे के अन्दर ही रहता है। इसके सिवाय जो ऐसे जिले थे जहां चावल ज्यादा खाया जाता है वहां के लिये हमने केन्द्रीय सरकार से चावल मांगा। मसलन पूर्वी जिले हैं, जहां लोग काफी तादाद में चावल खाने के आदी हैं, उनके लिये हमने चावल मांगा लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया। फिर हमने कहा कि जितना चावल यहां पैदा हुआ है उसकी आमद-रफ्त को रोक दिया जाय, इसकी मांग की और १४ जिले जो पूर्वी हैं वहां से चावल बाहर जाना मना हो गया है। अभी जब दाम बढ़ने शुरू हुए तो हमने तजवीज पेश की कि सूबे से बाहर जाने के लिये चावल को रोक दिया जाय तो अच्छा हो, क्योंकि इसका अच्छा असर निर्ख पर पड़ेगा, लेकिन हमारे बावजूद कहने के यह चीज नहीं हुई। उनका कहना यह है कि जहां तक चावल का ताल्लुक है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जा चुका है, लेकिन उन्होंने यह वादा किया है कि अगर अगली फसल की सूरतेहाल बेहतर नहीं हुई तो उस समय वह बैन कर देंगे। जिस प्रकार से गेहूं का जोन बना दिया गया है उसका भी वह बनायेंगे।

इसी सिलसिले में एक चीज यह की गयी और मुझे भी ऐसा मालूम होता था कि इसमें कुछ फोर्स है। वह यह थी कि हमारे जो करीब के सूबे हैं मसलन पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि। इन जगहों पर निर्ख इतना ऊंचा नहीं है। मसलन पंजाब में और दिल्ली में गेहूं १४-१५ रुपये मन है। हमारे पश्चिमी जिले मेरठ और मुजफ्फरनगर वगैरह को बड़ा नागवार होता है कि नदी के दूसरी तरफ १४-१५ रुपये मन मिले और इधर २२-२३ रुपये मन तक पहुंच जाय और उनको वहां से हासिल न कर सकें। हमने इसके लिये केंद्रीय सरकार से कई दफा अनुरोध किया और उनसे कहा कि हमारे यहां इसका अहसास है और इस पर जोर दिया। लेकिन उन्होंने मजबूरी जाहिर की और कहा कि हमारे पूरे देश की जो

सूरते हाल है उसमें हम किसी तरह से मुनासिब नहीं समझते कि हम उस जोन को तोड़ें। कोई नया जोन अगर बनाना होता तो मुमकिन था कि हम इसके ऊपर गौर करते। लेकिन इस वक्त अगर हम इस जोन को तोड़ देते हैं और यू० पी० के साथ मिला देते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि इस वक्त हमको खाली यू० पी० की प्राबलम साल्व करनी है तो उस वक्त शायद पंजाब, राजस्थान और मध्यप्रदेश को भी प्राबलम हल करनी पड़े। उन्होंने कहा कि यह हमारे इमकान की शायद बात न हो। उन्होंने कहा कि इसके लिये हम तैयार नहीं है कि इस जोन को हम इस वक्त खत्म करें। लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी सहायता उनके इमकान में है उन्होंने वादा किया है कि हम बराबर देते रहेंगे और जैसे भी होगा इस संकट को जो हम पर से गुजर रहा है इसका मुकाबला करने में हमारी मदद करेंगे।

असली चीज जो है वह यही है कि किसी न किसी तरह से हमें कीमतों को, बाजार में निर्ख है, उसको घटाने की पूरी कोशिश करनी है। सरकार ने तहइया कर लिया है कि इस सिलसिले में जो कुछ भी कदम उठाना पड़े वह निर्खों को जो आज नाजायज तरीके से बढ़े हुए हैं, जिनके इतना बढ़ जाने की कोई खास वजह नहीं है, उसको कम किया जाय। हमको यह भी खयाल हुआ है कि मुमकिन है कि बहुत से बड़े-बड़े ताजिरों ने अपने पास बहुत बड़ा जखीरा जमा कर लिया हो और रोके हुए हों, बाजार में न आने देते हों, जिसको होर्डिंग कहा जाता है। मैं कई दफा ऐलान कर चुका हूं और अगर जरूरत हुई तो इसके ऊपर कदम भी उठाने के लिये तैयार है कि जहां कहीं भी मुझे इसकी इत्तला होगी कि अनाज का जखीरा जमा है जो कि इसलिये रोके हुए हैं कि उससे नाजायज फायदा उठायें या बाजार में तब लायें जब दाम गिरां हो जायं, उसके लिये हम हर इमकानी कोशिश करेंगे। हमारे पास ऐसी शक्ति भी है कि हम जब्त भी कर लेंगे और उनको वह कीमत जो गुजिश्ता तीन महीने में रायज हो उस कीमत पर हम दाम देंगे। चुनांचे, जैसा मैंने ऐलान किया, उसके लिये हमारे तमाम अफसरान उसकी बराबर तहकीकात में लगे हुए हैं। अभी मुझको इसकी इत्तला मिली है कि बाज-बाज फ्लोर मिल के पास बहुत बड़े जखीरे इस तरह के जमा थे। चुनांचे हमने अहकामात जारी कर दिये हैं कि उनके जखीरे उनसे ले लिये जायं और उनको उसकी कीमत दे दी जाय। हमें और जो इत्तला होगी हम यकीनन उसके लिये तैयार हो जायेंगे कि वह जखीरा हम ले लें और जनता के काम में वह लाया जाय। आप समझ सकते हैं कि इस तरह की सूरत पैदा करना कि एक तरफ तो लोग इतनी परेशानी में पड़ जायं और दूसरी तरफ कुछ लोग अपने मुनाफे के लिये अनाज को दबाये बैठे रहें। यह कितनी अनसोशल और गलत किस्म की बात है। इसमें कोई शक नहीं कि अनाज की पैदावार, चूंकि किसी कदर कम है, इसलिये उसकी वजह से थोड़ा सा निर्ख बढ़ जाना स्वाभाविक है। लेकिन उसीके साथ जितने निर्ख एक दम से बढ़ गये और जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं मेरे खयाल में उसके लिये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जो भी कदम इस सिलसिले में मुनासिब समझेंगे, हमको लेना पड़ेगा और मैं यह कहूंगा कि या तो यह निर्ख खुद अपनी तरफ से जो हमारे व्यापारी हैं नीचा करें और अगर नहीं करेंगे तो हमको जरूरी अकदाम इसके लिये लेने पड़ेंगे। हम किसी तरह से यह नहीं देख सकते कि भाव इतने बढ़ जायं जिनसे हमारे यहां की तमाम जनता में तकलीफ और परेशानी फैल जाय। बहरहाल जैसा मैंने आपसे कहा कि यह हमारे सामने एक मुश्किल का मसला है जिसका हमें और आपको मिलकर मुकाबला करना है।

मैं सिर्फ एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूं। यह भी देखने में आया है कि जो हमारे यहां दुकानें खुलती हैं उसमें यह होता है कि गलत आदमी वहां से अनाज खरीद लेते हैं और उसको लेजाकर बाजार में ऊंचे दाम पर बेंचते हैं और उससे नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह यह है कि जो हमारी दूकानें खुलती हैं उन पर २ सेर १० छटांक मिलता है और बाजार में अनाज दो सेर या इससे कम बिकता है। हर आदमी जो खरीदता है उसको लालच कुछ फायदा उठाने का होता है और जो इस किस्म के छोटे व्यापारी हैं वह भी इसमें शरीक हो जाते हैं। वह भी चाहते हैं कि इसके जरिये

[श्री सैयद अली जहीर]

से कुछ फायदा उठा लें। यह एक ऐसी समस्या है कि जैसे-जैसे फेयर प्राइस शाप्स खुलती जायंगी वैसे-वैसे उतना ही यह प्राबलम बढ़ता जायगा। बड़े-बड़े शहरों में तो हम आइडेंटिटी कार्ड या इस किस्म का और कोई इंतजाम कर लें। लेकिन इतने थोड़े वक्त में हम कोई और ऐसा इन्तजाम या सिस्टम नहीं बना सकते जिससे हम सब दुकानों पर इसको रोक सकें।

मैं मेम्बर साहबान से अपील करता हूं कि आप लोग हर जिले के नुमाइन्दे हैं, आप इस बात की कोशिश करें कि आपके जिले में ऐसी कमेटी बन जाय जो कि अपने सामने अनाज का वितरण अपनी निगरानी में दुकानों के ऊपर करावें ताकि जो गरीब हैं और जिनको मिलना चाहिये उनको मिल सके और जो अनाज को इस्तेमाल करने के लिये लेना चाहता है उसको ही वहां पर खरीदने की गुंजायश हो। जो इससे नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं या ले जाकर बाजार में बेंचना चाहते हैं या ले जाकर बनिये को देना चाहते हैं ऐसे लोग वहां से अनाज न पा सकें। यह काम ऐसा है कि जो जनता की मदद के बिना नहीं हो सकता है। मेरी आपसे अपील है कि बड़े शहरों में जो आपके यहां लोग हैं उनसे आप कहें कि गवर्नमेंट के साथ इसमें कोआपरेशन करें। आइडेंटिटी कार्ड में आप सहायता करेंगे तो यह काम चल सकता है वरना यह काम ऐसा है कि अकेले हमारे आफिसर्स के जरिये या सोसाइटी के जरिये से चलेगा तो इसमें काफी देर लगेगी और काफी वक्त सर्फ हो जायगा। अगर इसमें जनता की सहायता रहेगी और आप हमारी मदद करेंगे तो यह काम जल्दी हो सकता है। यह काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इस बेईमानी के तरीके को, जो नाजायज तरीके से अनाज को दूसरी जगह ले जाकर बेचते हैं, रोकने की कोशिश हो सकती है। जो अनाज गलत जगह पहुंचता है वह भी जाना रुकेगा। अगर वह रुक गया तो मेरा यकीन है कि उससे अनाज के दामों पर असर पड़ेगा। आज जो बाजार में अनाज का निर्ख ऊंचा है वह घटेगा मैंने आपके सामने जो सूरते हाल थी और जिस तरह से सूरते हाल पैदा है उसको बयान किया? मैं इससे गालबन यह समझता हूं कि जो कुछ इमकानी कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से हो सकती थी उसको करने की कोशिश की और उसको हम बराबर करते रहे हैं।

और भी कुछ कठिनाई आपने जो यहां पर बयान कीं वह ऐसी हैं जिनका हमारे माल मंत्री जी ने जवाब दिया होगा। करोड़ों रुपये की सहायता सरकार की तरफ से मुख्तलिफ तरीके से की गयी है। वह अलग-अलग चीजें हैं जिनका मैं इस वक्त तजकिरा करना मुनासिब नहीं समझता हूं। वह ज्यादातर मुझसे मुताल्लिक नहीं हैं। बहरहाल जहां तक अनाज की तकलीफ थी उसको मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया है। आप भी मुत्तफिक होंगे कि जो कुछ हो रहा है वह काफी है और आइंदा भी हम करेंगे। इस मामले में जो कुछ आपकी तजवीज होगी वह हमेशा हम सुनने के लिये तैयार हैं और उसमें जहां तक हो सकेगा उस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया तो क्या उसके मुताबिक सरकार ने अभी तक कोई जखीरा कब्जे में लिया है?

श्री सैयद अली जहीर---गालबन इसके मुताल्लिक अहकाम जारी हो गये हैं और शायद आपको कल तक मालूम हो जायगा।

श्री उग्रसेन---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस वर्ष भी वह क्या पिछले वर्ष की भांति पूर्वी जिलों में अपाहिजों के लिये मुफ्त राशन कार्ड जारी करने जा रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर---जहां तक मैं समझता हूं यह तो गालिबन हर जिले में है और खास तौर से वह जिले कि जहां पैदावार कम हुई है वहां पर यह व्यवस्था है और जारी हो रहे हैं और पूर्वी जिलों में भी हैं।

श्री उग्रसेन---देवरिया में नहीं है, गोरखपुर में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---बहुत से सदस्य प्रश्न करना चाहते हैं वे अपने शार्ट नोटिस प्रश्न दें। इस समय प्रश्नों के लिये मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री मलिखानसिंह (जिला मैनपुरी)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा और माननीय सदस्यों के जो भाषण इस सदन में हुए उनको सुना। माननीय राज्यपाल ने और सदस्यों ने दोनों ने ही यह कहा कि हम सहयोग चाहते हैं। प्रदेश संकट में है, प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है और जहां तक संभव था हमारी सरकार ने स्थिति ठीक करने की कोशिश की है यह राज्यपाल महोदय ने कहा। किन्तु मैं साथ में आप को यह बतलाऊंगा कि.....

श्री उपाध्यक्ष---आप इतना ध्यान करके बोलें कि समय १० मिनट ही मिलेगा।

श्री मलिखानसिंह---मुझे आप १५ मिनट दे दें और आगे के लिये यह व्यवस्था रखें।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने पहले से ही कमी करना शुरू कर दिया है।

श्री मलिखानसिंह---तो मैं यह कहना चाहता था कि कुछ सदस्य तो यहां यह भी मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि पूर्वी जिलों के लोग कंद के बीज खा कर जीते हैं। उन्होंने तो इस बात का उपहास उड़ाया और कहा कि हम लोग स्वयं उसे खाते हैं, बालकपन में हमने स्वयं कमल-गट्टा उखाड़ कर खाया है। इस तरह से उस बात का उपहास करना, मैं नहीं समझता कि उनका कहां तक योग्यता का काम है और क्या यह बात उन्होंने स्वयं देख कर कही है। मैं वहां की स्थिति के बारे में इतना तो अवश्य कहूंगा कि अभी २१ जुलाई को बस्ती जिले की नौगढ़ तहसील में ९,००० किसानों ने तहसील को इसलिये घेरा कि उनकी मांग यह थी कि हमारे क्षेत्र को अकालपीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय। कारण यह था कि उस क्षेत्र के लोग ७-७ और १५-१५ दिन के फाकों से मर रहे थे। कल इसके लिये कामरोको प्रस्ताव भी यहां आया था। उस समय माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह कहा गया कि आप उसको अपने भाषण में कह सकते हैं। यहां उपाध्यक्ष महोदय गृह मंत्री जी द्वारा बतलाया गया कि वहां कुल १५० व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया और किसी पर लाठी चार्ज नहीं हुआ तो उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि जिलों में जो नौकरशाही है उसने बड़ा घृणित कार्य किया है और ऐसा कार्य किया है कि जो ब्रिटिश जमाने में भी नहीं हुआ था और उस पर परदा डाल कर उस बात को यहां सदन में हमारे सामने रखा गया है कि वहां कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। हमारे जनसंघ के १० जिलों के जो कार्य देखते हैं, उनसे मुझ से बातचीत हुई और उनका एक तार भी मेरे पास आया है जिसे मैं सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूं। वह इस प्रकार है:---

"Serious Lathicharge by Police, Tahsildar and S. D. M. They snatched hairs of women. One woman and two men condition serious. Dhanushdhari Singh with 15 arrested."

तो १५ लोग गिरफ्तार हुए बाल पकड़-पकड़ कर खींचे गये, लाठी चार्ज हुआ और इसके लिये स्वतंत्र भारत में भी निकला है कि वहां पर नौकरशाहों ने कितना बड़ा अत्याचार किया है लेकिन सदन को यह दिखाया गया कि वहां कुछ नहीं हुआ। श्रीमन्, यह वहां की रिपोर्ट है। स्वयं हरिश्चन्द्र जी वहां मौके पर गये और देखा कि ७ दिन से लोग भूखे पड़े हैं। कितने ही लोग भूखे मर चुके हैं। ९ लोगों की लिस्ट मेरे पास आयी है। उन्होंने स्वयं डी० एम० से इसकी इंक्वायरी करायी। वह मान गये

[श्री मलिखानसिंह]

कि इनकी मृत्यु भुखमरी मे हुई है। लेकिन उस सब पर पर्दा डाल दिया, भुखमरी के बारे में कुछ नहीं कहा और अब यहां यह कह कर उपहास उड़ाया जाता है कि हम भी बचपन में कमल गट्टे खाया करते थे। जो लोग मर गये हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं:

ग्राम		नाम मरने वाले का
बंडपर ..	..	श्री गजायन तेली
,, ..	..	श्रीमती वंश गोपाल पांडे
टूडिया ..	..	मघई पुत्र नगेसर
,,	..	श्रीमती जयराम
रमजान नगर	..	श्रीमती अमिति देवी
,, ..	..	सीताराम पुत्र वंशराज
लोटन ..	..	किवी हरिजन
मदारीपुर	..	श्री ओरी
जगदीशपुर	..	श्री गौरी हरिजन

इतने लोग वहां भूखों मर गये। इसके बाद जो वहां सबसे बड़ी घटना हुई उसको मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं। एक लड़के ने अपने परिवार को, जो कि ७ दिन से भूखों मर रहा था बचाने के लिये २०० रुपयों में एक सेठ के यहां अपने को बेच दिया। यह लड़का चूड़ा गांव का रहने वाला है और उसका नाम राम प्यारे है। जिस तरह से पहले यहां पर गुलाम बनाये जाते थे उसी तरह से आज वह २०० रुपये में गुलाम बना है। तिस पर आज यहां इस प्रकार का उपहास किया जाता है। जिसको सुनकर हृदय को दुःख होता है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो लाठी चार्ज हुआ है इसके बारे में सदन की एक कमेटी बनायी जाय जो जाकर मौके की जांच करे जो वहां जाकर यह बताये कि इस नौकरशाही ने वहां पर भूखों मरने वालों पर किस प्रकार से अत्याचार किया है जिससे जनतंत्र से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। अगर ऐसा ही सरकार ने किया तो एक दिन वह आयगा जब लोगों का विश्वास इस जनतंत्र से उठ जायगा और लोग जनक्रांति के लिये तैयार हो जायेंगे। मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इस बारे में एक सही रिपोर्ट तैयार कराये और उससे इस सदन को अवगत कराये। उनकी कोई विशेष मांग भी नहीं थी जैसे कि लगान नहीं देंगे। उनकी मांग तो केवल यह थी कि इसको अकालपीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाय क्योंकि तहसील के एक-तिहाई से ज्यादा लोग भूखों मर रहे हैं। उनकी मांग थी कि वे तब तक नहीं जायेंगे जब तक कि उनकी उस दयनीय परिस्थिति को देख न लिया जाय और लगान वसूल करने के जो आदेश दिये गये हैं उनको रोका नहीं जायगा, इन चन्द मांगों के लिये वे अहिंसात्मक रूप से बैठे हुए थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ५ मिनट और दे दिये जायं क्योंकि अभी तो मैं एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर ही बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--आप दुहराइये नहीं, जल्दी-जल्दी कहिये, आपकी बातें पूरी हो जायंगी।

श्री मलिखानसिंह--डी०एस० पी० ने एक औरत के बाल खींचे। एक संवाददाता ने बाल खींचते समय उसका फोटो ले लिया। जब यह मालूम हुआ कि फोटो ले लिया गया है, उसका कैमरा छीन लिया गया। क्या यह नौकरशाही का नग्न नृत्य नहीं है? इसको अवश्य उनको सजा मिलनी चाहिये।

इसके अलावा इस सरकार का मैं एक और कारनामा बताना चहता हूं और उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यहां पालिसी बनायी जाती है और नहर विभाग यह दावा करता है कि हमने प्रदेश की सिंचाई मांग को बहुत हद्द तक पूरा कर दिया है और

ज्यादातर क्षेत्र में सिंचाई होने लगी है। उसके बारे में मैं आपको बताऊं। इस वर्ष पश्चिमी जिलों में एक माह में एक-एक हफ्ते पानी दिया। तमाम गन्ने की फसल खत्म हो गयी और धान की खेती करने पर मजबूर किया गया वह भी सूख गयी, कहा गया कि टैंकों में बर्फ न गलने से पानी नहीं है। उनकी बुद्धि की दूसरी बलिहारी यह है कि उसी क्षेत्र में खरीफ आन्दोलन खड़ा करा दिया गया और बी० डी० ओ०, वी० एल० डब्ल्यू० द्वारा जापानी ढंग से धान की खेती करने का प्रचार कराया जाने लगा। इधर तो पानी नहीं था और उधर जापानी ढंग से धान की खेती करने का प्रचार कर रहे हैं। जब मैंने वहां की प्लानिंग कमेटी में इस बात को कहा तो यह कहा गया कि यह तो सरकार की नीति है, यह तो पूरे प्राविंस की बात है, उस नीति के अनुसार ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है नीति के अनुसार ही काम होना चाहिये लेकिन जहां पानी की आवश्यकता होती है वहां क्या इसी नीति से काम चल सकता है। कहीं भूड़ पर धान बोया जाता है ? तो इस तरह का प्रचार इनकी तरफ से बराबर होता है। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक उपयुक्त जल नहीं मिलेगा, खाद काफी नहीं होगा तब तक खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी और तब तक गवर्नमेंट की खाद समस्या हल नहीं हो सकती। श्रीमन्, पश्चिमी और पूर्वी जिलों के लिये सरकार को एक पालिसी बनानी होगी और वह पालिसी यह है कि सब लोग मिल कर यह सोचें कि हम आगे खेती की उपज को कैसे बढ़ावें। आज खेती के उत्पादन को बढ़ाने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है।

आज यहां पर कोआपरेटिव फार्मिंग की काफी चर्चा हुई। मैं इस बात में माननीय मालमंत्री जी से बिलकुल सहमत हूं कि इस प्रदेश में कोआपरेटिव फार्मिंग सफल नहीं हो सकती क्योंकि हमारे समाज की रचना आज ऐसी है कि भाई भाई जो एक ही परिवार के हैं, इसलिये एक साथ नहीं रहना चाहते हैं कि एक कहता है कि वह कम काम करता है तो दूसरा कहता है कि वह कम काम करता है।

श्री उपाध्यक्ष—आपका समय समाप्त।

कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री (जिला मेरठ)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उन्हें धन्यवाद देने तथा कतिपय सुझाव प्रस्तुत करने के लिये खड़ी हुई हूं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के गत दो वर्षों में होने वाली प्रगति और कार्यान्वित होने वाली योजनाओं का सिंहावलोकन किया है। उपलब्ध सीमित साधनों के बावजूद प्रदेश में यातायात में, सिंचाई के साधनों में, बिजली के उत्पादन में, स्वास्थ्य और चिकित्सा व्यवस्था में और समाज कल्याण की दिशा में, जो वृद्धि हुई है उसपर हम संतोष प्रकट कर सकते हैं। मैं उसके पूरे विवरण में न जाकर मान्यवर केवल यह कहना चाहूंगी कि हमारे देश और प्रदेश की योजनाओं की प्रगति की गति पर हमने ही नहीं बल्कि विदेशी आगन्तुकों ने भी बड़ा संतोष और गौरव प्रकट किया है।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में स्वयं यह कहा है कि हमारी योजनायें कार्यान्वित करने में हमसे बहुत सी भूलें हुई होंगी। कौन ऐसा अभियान है जिसमें मानव से भूल न होती होगी। आज इस अभिभाषण पर विवाद के समय हम राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संकटकालीन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, आवश्यक चीजों के दामों में बढ़ती हुई तेजी और अन्न की कमी ने हमारे प्रदेश के प्रत्येक परिवार के बजट को डिस्टर्ब कर दिया है। दुर्भाग्यवश कई वर्षों से दैव भी हमारे प्रतिकूल रहा है। इस वर्ष रबी की फसल को भारी क्षति हुई है। हमारी सरकार के सतत सभी प्रयत्नों के बावजूद भी हमें विदेशी रोटी से मुक्ति नहीं मिली। इससे हमें शंका होती है कि कहीं हमारी राजनीतिक आजादी खतरे में न पड़ जाये। श्रीमन्, प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में १ करोड़ ८ लाख टन और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के गत दो वर्षों में लगभग २५ लाख टन अन्न और इस वर्ष लगभग २० लाख टन अन्न हमको बाहर से मांगना पड़ रहा है। तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूं कि हमें अपनी सभी योजनाओं में अन्न उत्पादन योजना को प्राथमिकता देनी

[कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री]

चाहिये। इस अन्न उत्पादन योजना हेतु सिंचाई के पर्याप्त साधनों को जुटाना और किसानों के अन्य साधनों के लिये पूंजी उपलब्ध करना इन दो चीजों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिये।

मान्यवर, १९६२ तक ३५ करोड़ रुपया खर्च करके २१ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई करने का संकल्प हमारी सरकार का है। परन्तु यह विदेशी मुद्रा पर बहुत कुछ आश्रित है। यदि वह न मिल सकी तो संकल्प की सफलता की कम आशा है।

मान्यवर, हमारी नहरें बढ़ती चली जा रही हैं, उनकी लम्बाई बढ़ती चली जा रही है और सिंचाई का क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है परन्तु अन्न उत्पादन में उतनी वृद्धि नहीं हो पायी। अतएव हमको सोचना ही पड़ेगा और मैं इस विषय में सरकार से अनुरोध करूंगी कि यदि सरकार दो वर्षों के अन्दर अपने प्रदेश को खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर और स्वावलम्बी बनाने की चेष्टा करे और उसके लिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि पश्चिमी जिलों में वह सिंचाई का सैचुरेशन करे? साथ ही इसके अतिरिक्त सरकार यह भी पता लगाये कि आने वाली फसल के अन्त तक पश्चिमी जिलों की सभी भूमि को सिंचाई में लाने के लिये कितने कुएं, रहट आदि की आवश्यकता है और उसके लिये सब्सिडी नहीं, बिना ब्याज सरकार खुले हाथ से रुपया दे।

श्रीमन्, उत्पादन वृद्धि का दूसरा पहलू है किसान के अन्य साधनों के लिये पूंजी मुहय्या करना। मान्यवर, हमारी पुरानी साहूकारी व्यवस्था तो खत्म हो गयी और अभी सहकारिता व्यवस्था सफलता प्राप्त नहीं कर सकी, श्रीमन्, मुझे सखेद कहना पड़ रहा है कि उद्योगों की वृद्धि के लिये हमारी केंद्रीय और प्रांतीय सरकार ने "फाइनेंशियल कारपोरेशन" कायम किये हैं परन्तु हमारे अन्नदाता किसान की सहायता के लिये या उसके अन्य साधनों की वृद्धि के लिये सरकार ने कौन से ऐसे संघ कायम किये हैं। क्या तकावी इन संघों का स्थान ले सकती है जबकि वह छोटे-छोटे किसानों को मिल ही नहीं पाती है?

श्रीमन्, यदि विदेशों से आने वाले अन्न पर अरबों रुपये के व्यय को हमें बचाना है तो किसानों के साधन मुहय्या करने के लिये करोड़ों रुपये सरकार को साहस के साथ बिना ब्याज के किसानों में वितरण करने का साहस करना ही चाहिये यदि इसमें रिस्क हो तो रिस्क भी लेना ही चाहिये तथा सरकार को "एग्रीकलचरिस्ट सप्लाई कोआपरेशन" खोलने चाहिये।

श्रीमन्, पूर्वी जिलों की दैवी आपत्ति और सतत दरिद्रता को देख कर कौन ऐसा सहृदय होगा जिसका मन दुखी न होता हो। वहां के असली प्रश्न का हल वहां की भूमि पर भार है। उसके लिये पूर्वी जिलों में केंद्रीय सरकार की सहायता से सघन क्षेत्र स्थापित करने चाहिये ताकि खेती, हैन्डलूम, चमड़े इत्यादि कामों में वहां के नर-नारी, बाल व वृद्ध लग सकें और उसकी बिक्री के लिये हमारी सरकार को समुचित प्रयत्न करना ही चाहिये। अन्त में मेरा निवेदन है कि हमारे विपदग्रस्त मानवों की हालत का बेजा फायदा उठाने के लिये राजनैतिक पार्टियां पोलिटिकल शोषण न करें।

श्रीमन्, सभी काम सरकार दल विशेष की जिम्मेदारी पर ही नहीं होते कुछ सामाजिक व्यक्तियों का भी कर्त्तव्य होता है कि जहां इस प्रदेश में १ करोड़ भिखारी दान पर रह सकते हैं तो उस कक्ष के बैठने वाले और उस कक्ष के बैठने वालों का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि ऐसे आपत्ति काल में हम विपदग्रस्त व्यक्तियों की सहायता करें। झोली लेकर दर-दर उनकी सहायतार्थ भीख मांगें और रिलीफ सोसाइटियां कायम करें। केवल सदन में आकर विद्रोहात्मक और घृणात्मक भाषण देने से तथा सरकार की प्रतिदिन भर्त्सना करने से ही यह समस्या हल नहीं होती और न आप और हम अपने उत्तरदायित्व से मुक्त ही हो सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि हंगर मार्च नर कंकालों का प्रहसन करना है।

इससे भूखे और नंगों की समस्या का हल नहीं हो सकता है। इसलिये ऐसे राष्ट्रीय संकट का मुकाबला हम राष्ट्रीय ढंग से ही करेंगे अन्त में मैं पुनः श्री राज्यपाल को धन्यवाद देती हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री मोतीलाल अवस्थी से) आपको अब ७ मिनट बाकी रह गये।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—मेरी प्रार्थना यह है कि सदस्यों के समय में ५ मिनट के बाद ३ मिनट की कमी बढ़ती जाती है और मंत्रियों के समय में ५ मिनट बढ़ते जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आपने ५ मिनट मांगे थे, मैंने आपको ७ मिनट दे दिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह तो आपने प्राइवेट चीज प्रकट कर दी।

मैं श्रीमन् का आभारी हूं जो आपने समय दिया। इस समय में विशेष कर कुछ अपनी ही रुचि की बात, शिक्षा या ग्राम सम्बन्धी बात कह सकूंगा। प्रथम तो शिक्षा की बात कहूं तो उचित होगा। मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में शिक्षा के सम्बन्ध में दो-एक सतर अवश्य मिलीं केवल कुछ थोड़ी पवित्र भावना प्रदर्शित हुई दिखाई पड़ी लेकिन कोई ठोस कदम दिखाई नहीं पड़ा। इसके अतिरिक्त इस सरकार के सम्बन्ध में अगर सोचूं तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है कि शिक्षा विभाग एक मुर्गी बन गयी है जिसने डेढ़ साल में दो अंडे दिये हैं। लेकिन उनको अभी पैर में ही दबाये है वह अंडे पनप नहीं पाये और शायद वह दबे ही बने रहें और बेकार हो जायं। शिक्षा विभाग ने डेढ़ साल में दो विधेयक बनाये हैं। एक एजूकेशन कोर बिल और दूसरा इंटरमीडियेट एजूकेशन अमेंडमेंट बिल और दोनों ही सेलेक्ट कमेटी में पड़े हुए हैं और जब कभी किसी अधिवेशन में रखे जाते हैं तो अंतिम दिन रखे जाते हैं जिससे दूसरे अधिवेशन के लिये टल जायं। अध्यापकों के सम्बन्ध की बात न सोच सकें तो विद्यार्थियों की बात अवश्य सोचिये। विद्यार्थी आज तड़पड़ा रहे हैं कि उन्हें भी संसार में जीवित रहने का मौका मिले। मेरा ही एक विद्यार्थी मेरे सामने अपना परीक्षा फल अखबार में न पाकर उसने आत्मघात कर लिया और मैंने उसके माता-पिता को तड़पते हुए देखा। किसी कारणवश कुछ ऐसे मादक द्रव्य खा लिये जिनसे उसको नहीं बचाया जा सका। यह दृश्य मैंने अपनी आंखों देखा है। यह केवल एक घटना नहीं है। मैं जानता हूं ऐसी सैकड़ों घटनायें इस प्रदेश में हो रही हैं। शिक्षा प्रणाली ऐसी दूषित है कि यह विद्यार्थियों के लिये सहायक नहीं है। मैं लखनऊ शहर के बारे में बताना चाहता हूं। कुछ विद्यार्थी आमरण अनशन कर रहे हैं। इसलिये कर रहे हैं कि वह शिक्षा का अध्ययन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते। क्या अपराध है उनका? आपकी प्रणाली कहती है हम हर प्रकार से सम्पन्न ही को शिक्षा दे सकेंगे। आप कहते हैं कि अगर २ नम्बर कम हो जायेंगे तो आगे शिक्षा नहीं दे सकेंगे। यह इन विश्वविद्यालयों के कारनामे हैं जो लाखों रुपये पाने के लिये प्रति दिन केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार से चिल्लाया करते हैं। कहते हैं कि अगर तुम्हारे २१० मार्क्स होंगे तभी विद्यालय में लेंगे। इस देश में जहां कि दोनों पक्ष के लोग मानते हैं कि गरीबी है, अभावग्रस्तता है उस देश के विद्यार्थी से कैसे आशा की जा सकती है कि वह भली प्रकार से अपने लिये भरणपोषण कर सकें और पुस्तक आदि से सुसज्जित हो सकें और साधन सम्पन्न हो सकें। यदि वह साधन सम्पन्न नहीं होंगे तो फिर कैसे कम्पेटीशन आदि में बैठ कर वह देश की सेवाओं के योग्य भविष्य में बन सकते हैं। जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, वस्त्र नहीं हैं, पुस्तकों का अभाव है उनके लिये आप बतायें कि सिवा आत्महत्या के और क्या रास्ता है, वह अनशन करके अपना विरोध प्रकट करते हैं, वह किस तरह से अपने हृदय के कष्ट को आपके सामने रखें, वह प्रार्थना करते हैं, आपसे मिलते हैं आप उनको नहीं सुनते। क्या वह आमरण अनशन भी नहीं कर सकते? क्या रास्ता आप उनके लिये बताते हैं?

इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग जो है वह अशिक्षा का विभाग बन गया है और जो हमारा स्वशासन विभाग है वह कुशासन विभाग है। यह विभाग बिलकुल निडर और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]
निकम्मा बन गया है। उसको किसी की कोई चिन्ता नहीं है। मैं आपके सामने थोड़ी सी शिक्षा विभाग की बात कह कर फिर स्वायत्त शासन की बात कहूंगा। वहां पर भी यही है कि कानूनों को बनाओ और सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दो। इस तरह से साल २ साल से कानून ताक में रखे हैं, लेकिन वह पारित नहीं होते।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में कोई सुधार की बात नहीं की गयी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका वह जिला परिषद् बिल कब आयेगा? इस बार के प्रोग्राम में वह रखा गया है लेकिन मुझे सन्देह है कि वह इस सेशन में सदन के सन्मुख आ सकेगा। मैं जानना चाहता हूं कि आप के सामने क्या जिला परिषदों की तसवीर है और आप क्या उनके बारे में सोच चुके हैं? हम देखना चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आप क्या योजना बना रहे हैं। वह इस सम्बोधन में कहीं भी प्रकट नहीं हुयी। हम जानना चाहते हैं कि जब ग्रामों के आधार पर देश का संगठन करना चाहते हैं तो हम उनके हित में सबसे पहले क्यों नहीं सोचते? आपने अनेक बातें सोचीं, लेकिन अभावग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों के विषय में आप सोये हुए हैं। शहरों में आप फेयर प्राइस शाप्स खोलते हैं लेकिन आपने ग्रामों में कितना गल्ला पहुंचाया, वहां पर आज भी लोग भूखों मरते हैं और अन्न संकट लोगों के सामने खड़ा है। उनको साधन सम्पन्न बनाने की सबसे पहले आवश्यकता है। आप के पास तमाम टेढ़ी मेढ़ी योजनायें हैं। आप वृहत्तर जोतें भी बनाते हैं, लेकिन कुछ नहीं। मुझे अपने जिले का ज्ञान है, लोग सिंचाई विभाग और माल विभाग के पास जाते हैं तो यही जवाब मिलता है कि आपके जिले के लिये कोई नवीन योजना नहीं है। यह जिला तो स्वयं सम्पन्न है। अगर इस तरह के जवाब मिलते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र किस तरह से उन्नति कर सकते हैं। आप की योजनायें इस तरह की बनती हैं कि वह गांव के लोगों के पास भी नहीं पहुंचती, आप हर चीज नागरिक क्षेत्रों में ही चलाना चाहते हैं और बराबर ग्राम्य क्षेत्रों की अवहेलना करते जाते हैं। आपने उन लोगों में थोड़ी सी लालसा पैदा की थी कि हम ग्राम्य जीवन में एक सजीवता लायेंगे, लेकिन मैं नहीं सोच पाता हूं कि आपने उनके लिये क्या किया है और आपका सारा प्रयत्न उस दिशा में असफल हो रहा है। इसमें अपराध आपका ही है, आप ने उनके लिये कोई अधिकार नहीं दिये हैं, आप कोई न कोई ऐसी नयी बात लाकर रख देते हैं कि यह दिक्कत है वह दिक्कत है। मैं आपके सामने उदाहरण रखूं कि बिहार और आसाम में जिला बोर्डों को तोड़ कर पंचायतों के सिस्टम पर लाया गया है।

समय बहुत थोड़ा सा है इसलिए मैं सरकार के सभी विभागों के सम्बन्ध में आपकी आज्ञा से कुछ थोड़ा-थोड़ा कहना चाहता हूं। इन सब विभागों में से जो आपका गृह विभाग है वह अराजकता का विभाग बन गया है। पी० डब्ल्यू० डी० विभाग लूट का विभाग हो रहा है। हरिजन कल्याण विभाग अब स्वकल्याण की बात सोचने लगा है। स्वायत्त शासन विभाग प्रशासन का कुशासन करने वाला बन रहा है। वित्त मंत्री की बिक्री-कर, वृहत्त जोत-कर, कृषि-कर, अनेकों कर लगाने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। सिंचाई मंत्री किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो गये हैं। स्वास्थ्य मंत्री स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रहे हैं। परिवहन मंत्री की मनमानी मैंने देखी है और श्रम मंत्री की श्रमिकों के प्रति उदासीनता एवं निकम्मापन जाहिर होता है।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रुक्नुद्दीन, आप भी १० मिनट लेंगे।

*श्री रुकुनुद्दीन खां (जिला प्रतापगढ़)—अध्यक्ष महोदय, तकरीरें बहुत हो चुकी, दोनों तरफ की बातें सुनने में आयीं। मुझे तो हैरत यह है कि गवर्नर महोदय के ऐड्रेस के मुताल्लिक जो मौका गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है वह ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ उसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जो एतराजात किये गये हैं उनको अगर गौर से देखा जाय तो मालूम यह होगा कि वह एक विभाग की पैदावार है। एक मास्टर माइंड है जो वर्क कर रहा है। जितने संशोधन हैं सब एक ही बात पर चले जा रहे हैं। जो हम बहुत अर्से से सुनते चले आये हैं, चाहे वह स्लोगन के रंग में हो या किसी प्रोपैगेंडे के रंग में हो। मैं इस वक्त इस बात को महसूस कर रहा हूं कि इस वक्त जो एतराजात किये गये हैं वह सब किसी खास प्रोपेगेंडे के मातहत हैं। यह बातें ऐसी हैं जो पहले भी कही गयीं, आज से ४ महीने पहले कही गयीं, १२ महीने पहले कही गयीं, वही आज भी दोहराई जाती हैं। प्रोपेगेंडा खास तौर से इस बात पर किया जा रहा है कि देश में भुखमरी हो रही है, देश में डकैतियां पड़ रही हैं, पुलिस के जरिये से खराबी हो रही है, डेवलपमेंट के काम जितने हैं उनसे जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह बेकार खर्च किया जा रहा है। मुझको हैरत है, हुजूरवाला, कि इसमें जो चीज और जोड़ी जा रही है वह यह कि हमारे चन्द भाइयों ने इस बात पर भी एतराज फरमाया है कि गवर्नर महोदय ने अपने ऐड्रेस में इस बात का जिक्र क्यों नहीं फरमाया कि डाक्टर लोहिया साहब की गिरफ्तारी से हमको अफसोस है और खयाल यह है कि उन्हें इसका जिक्र जरूर फरमाना चाहिए था, क्योंकि इससे उनकी अश्कशोई हो जाती।

श्री मोतीलाल अवस्थी—जरा सोच कर जनाब कहें।

*श्री रुकुनुद्दीन खां—मैंने वह अल्फाज याद किये हैं। मुझे वह अल्फाज याद हैं जो मेरे भाई ने उधर से कहे हैं कि "हमारे आंसू तो पुछ जाते, अगर उनका जिक्र हो जाता।" मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि इस तरह की गरज का कोई मौका गवर्नर महोदय के ऐड्रेस में दाखिल करने का नहीं था। गवर्नर महोदय ने अपने भाषण में निहायत खुसूसियत के साथ यह कहा है कि जो ला ऐंड आर्डर सिचुएशन है वह संतोषजनक है, यानी वह इससे परेशान नहीं हैं। आन्दोलन सोशलिस्ट्स की तरफ से अगर किया गया था, कानून-शिकनी की गयी तो इससे कोई परेशानी गवर्नमेंट को नहीं है। अब अगर इसके मानी यह हैं कि इजहार अफसोस उधर से होता तो मुझे तो हैरत ही होती है। बात यह है कि ला ऐंड आर्डर को कायम रखना हर मोहज्जिब सोसाइटी के लिए निहायत जरूरी है। कोई गवर्नमेंट इसको बरदाश्त नहीं कर सकती कि ला ऐन्ड आर्डर सिचुएशन को महज हुब्बुलवतनी के नाम पर उछाल कर कानून-शिकनी की जाय। कानून शिकनी का जमाना चला गया। आज तामीरात का जमाना है। यह जहाने नौ बन रहा है, एक नयी दुनिया कायम हो रही है। नयी हुकूमत कायम हो रही है और कायम इस वास्ते हो रही है कि मुल्क का फायदा इसमें हो। मैं तो यह अर्ज करूंगा अपने उन भाइयों से जो हस्ब मुखालिफ में बैठे हैं कि क्या आपने कभी भी इस बात के समझाने की तकलीफ फरमायी कि गवर्नर महोदय ने अपने ऐड्रेस में खास तौर से यह अपील की है कि आप हमारे साथ सहयोग करें, हम आपकी मदद और सहायता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की पालिसी में अगर कोई खामियां हैं तो उनको आप दूर करने की कोशिश करें। आप जरा खयाल तो फरमायें कि मुसीबत तो देश के ऊपर आ रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल कुछ बेचैनी जरूर फैली है मगर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बेचैनी कुछ फैलायी भी जा रही है। ऐसी चीज नहीं है कि हर जगह के ऊपर भुखमरी हो रही है, लाखों आदमी मर गये। अरे साहब, गवर्नमेंट ने इसका ऐलान फरमा दिया है और सब जगह आर्डर भेज दिये हैं कि कभी ऐसा मौका न हो कि एक भी आदमी भूख से मर जाय। गवनमेंट का इसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रुक्नुद्दीन खां]

क्या कसूर कि अगर कोई बूढ़ा आदमी नाले में पड़ा हुआ किसी वजह से मर जाय और आप उसको कह दें कि भुखमरी की मौत मरा। मैं बिला खौफ तरदीद के यह कह सकता हूं कि भुखमरी की वारदातें इतनी हर्गिज नहीं हुई हैं जितनी बतलायी जा रही हैं। (व्यवधान) वहां की बात मैं नहीं कह सकता. मैं तो अपने यहां की बात कहता हूं मगर सभी का यह यकीन है कि गवर्नमेंट ने इस बात का इत्मीनान कर लिया है कि इस तरह के मौके न आने पायें।

रहा दुकानों के मुताल्लिक। यह जाहिर है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसका इन्तजाम नहीं हो सकता कि तमाम रियाया को गल्ला पहुंचाया जा सके। यह किसी कमी को पूरा करने के लिये अगर किया गया है तो महज इस वास्ते है कि रियाया को कुछ फायदा हो जाय। रहा यह कि चोरबाजारी शुरू हो रही है वह किस तरीके से खत्म हो। तो यों तो ऐलान इस बात का भी किया गया कि चोरबाजारी खत्म हो जानी चाहिये। चोरबाजारी रही कब नहीं है। मगर यह तो फरमाइये कि क्या गवनमेंट ने चोरबाजारी को खत्म करने के इन्तजामात नहीं किये हैं? रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, तमाम दुनियां भर के स्लोगन्स तो उठायें जायं और उसके बाद यह भी कहा जाय कि गवर्नमेंट ने पुलिस के एक डिप्टी सुपिरटेंडेंट को कम्प्लेट अफसर बना दिया है। क्यों साहब, कम्प्लेन्ट अफसर कहां का आदमी होगा? वही तो होगा कि जिसको तहकीकात के तमाम कायदे मालूम हों, जिसे इसका तजुरबा हो। अब यह खयाल कि वह पुलिस अफसर है लिहाजा वह पुलिस का साथ देगा यह खयाल खाम है, वाकयात इस बात को बताते हैं कि सैकड़ों इन्सपेक्टर, सैकड़ों अधिकारी, सैकड़ों लेखपाल आज जेलों की गर्म हवा खा रहे हैं। यह किसकी बदौलत है? उसी कम्प्लेण्ट अफसर की बदौलत है और इस गवर्नमेंट की बदौलत है जिसने इस बात का एलान कर दिया है।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—कितने लेखपाल जेलों में पड़े हुए हैं?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि उनका प्रथम भाषण होने के कारण तो और भी शान्ति रखनी चाहिये। यह सदन का तरीका है। उनको तो बोलने देना चाहिये।

श्री रुक्नुद्दीन खां—मुझे एक बात पर और भी हैरत हुई कि हमारे चन्द भाइयों ने यह भी फरमाया कि अगर कोई इन्तजाम नहीं किया जायगा तो वही सूरत होने वाली है जो ईराक, लेबनान और इजिप्ट में हुई। मुझे यह सुन कर बेहद अफसोस है। मैं समझता हूं कि जिन भाइयों ने यह रमाया है उन्हें इस बात का खयाल नहीं है कि यह भारत है जहां पर कोई कम्युनिस्ट असर नहीं है। यहां कोई आदमी ऐसा नहीं है जो यहां के इन्तजाम का तहबाला कर दे। भारत के सपूत जब तक यहां मौजूद हैं वे हर्गिज इस बात को गवारा नहीं कर सकते। जब तक उनके जिस्म में एक कतरा खून भी बाकी है वे किसी किस्म की बदअमनी को पसन्द नहीं करेंगे। वह भी किसी किस्म की बदअमनी पसन्द करेंगे, यह कभी नहीं हो सकता है। हां, अब मेरी इस्तदुआ यह है कि आप हमारे हाथ बटाइये, गवर्नमेंट के हाथ बटाइये और उस मुसीबत से जो आ रही है या आने वाली है उससे बचाइये और उसको उछालिये मत। मुझे इत्मीनान है कि गवर्नमेंट आजाद दिल रखता है और मैं आप से भी इस्तदुआ करूंगा कि आप भी दिले आजाद रखिये। मिसरा यह है कि:—

'पहलू में दिले आगाह जो हो, कुछ गम न करो नाशाद सही।
बेदार तो है मजरूह तो है, नगमा न सही फरियाद सही।।
हरचन्द बगूला मुजतर है, इक जोश तो उसके अन्दर है।
इक वज्द तो है, इक रश्क तो है, बेचैन सही, बरबाद सही।।'

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर जो बहस हो रही थी उसका आज अन्तिम दिन है और थोड़ी देर में बहस समाप्त होने वाली है। बहस ने जो रंग रूप पकड़ा उस पर आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन कुछ थोड़ा सा दुख जरूर हुआ। अधिकांश सदस्यों ने गवर्नमेंट की शिकायत की। इस शिकायत में हमें कोई शिकायत नहीं हो सकती है। कोई भी आदमी हो, इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि उससे कभी कोई गलती नहीं होती। यह भी सही है और मनुष्य की कमजोरी है कि अपनी गलती अपने को नहीं दिखाई पड़ती। हमको उन लोगों का अहसानमन्द होना चाहिये जो कि हमारी गलतियां हमको दिखा दें। पुराने लोगों की यह एक सलाह है कि:—

"निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय।"

आज हमारे मित्रों ने हमारी भूलों को हमारे सामने रखा है। हम उनको धन्यवाद देते हैं।

हमारे अपराध और हमारी गलतियों की कहानी इतनी लम्बी है कि १४–१५ मिनट में, २०–२५ मिनट में, भला कोई उसको क्या समाप्त कर लेता। इसलिये जो लोग बोले उनमें से अधिकांश को इस बात के लिये समय ही नहीं मिला कि वह हमको गलतियों के सुधार का रास्ता बतला सकते। फिर भी जिन लोगों ने सुझाव दिये हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। हो सकता है कि हर सुझाव पर हम किसी वजह से अमल न कर सकें, फिर भी हम कृतज्ञ हैं।

जैसा मैंने कहा कि शिकायतों से हमें कोई शिकायत नहीं। चाहे किसी मौके पर हमें ऐसा लगता हो कि शिकायत कुछ अनफेयर सी है, कुछ अन्याय है। जब कभी ऐसा खयाल होता है तो फारसी का एक मिसरा याद आ जाता है कि "तीरे दोस्त ब पहलूये दोस्त मी आयद" तीर खा लिया लेकिन हमें संतोष हुआ कि तीर चलाने वाला हमारा दोस्त है और वह मजबूर है फूल न सही, तीर ही सही, जो उसके पास था, उसने दिया। जैसा मैंने पहले कहा है कि जो रूप बहस ने लिया उससे आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा अफसोस हुआ और इसलिये कि हमने एक प्रयोग किया था और हमे आशा थी कि माननीब सदस्यों की सहायता से हमें सफलता मिलेगी, लेकिन वह ऐक्सपेरीमेंट शायद कामयाब नहीं हुआ। दस्तूर यह था कि पहले बजट के कुछ ही दिन पहले राज्यपाल का सम्बोधन हुआ करता था। उसमें भी जो कुछ पहले गवर्नमेंट का काम होता था उसका जिक्र होता था और कुछ थोड़ी सी चर्चा नई बातों की भी होती थी। महीने, डेढ़ महीने के अन्दर बजट का वक्त आता था और वित्त मंत्री का लम्बा भाषण होता था। उसमें भी करीब-करीब वही होता था जो कि राज्यपाल के सम्बोधन में होता था। तो हमने देखा कि यह तरीका तो अच्छा नहीं है। इसलिये हमने नया तरीका यह रखा कि एक बार तो बजट पेश होगा उसके करीब-करीब छः महीने के बाद राज्यपाल का सम्बोधन होगा, उसमें पुरानी बातें होंगी जरूर ही और उसके साथ नये सत्र में जो काम होने वाले हैं उनकी चर्चा होगा। माननीय सदस्यों को नयी बातों के कहने का मौका होगा, हमको कुछ नयी रोशनी पाने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारा यह प्रयोग असफल रहा। एक बात फूड की तो छोड़ दी जाय, पिछले बजट सेशन की स्पीचेज को उठा कर देखिये, उससे पहले साल के बजट की स्पीचेज को देखिए और इस साल के राज्यपाल के सम्बोधन पर बातें देख लें, करीब-करीब सारी बातें वही हैं। नयी बात शायद ही देखने को मिलेगी। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने राज्यपाल के सम्बोधन को सुनने या पढ़ने का कष्ट नहीं किया, नहीं तो कई चीजों पर माननीय सदस्य हमको राय दे सकते थे, हमको कुछ रोशनी दे सकते थे। उदाहरण के लिये हमारे यहां कुछ माननीय सदस्य हैं, जिनको निश्चय ही हिन्दू धर्म से बड़ा प्रेम है। होना सब को ही चाहिये, कुछ लोगों को खास तौर से है। राज्यपाल के सम्बोधन में इसका जिक्र था। गोरक्षा के सम्बन्ध में एक बिल लाने वाले हैं। कुछ तो खयाल होता कि आखिर क्या करने वाले हैं। इसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

जिक्र है मंदिरों की सम्पत्ति के नियन्त्रण का। कोई तो पूछता कि मंदिरों के नियंत्रण के बारे में आपका क्या विचार है, क्यों कि लाखों करोड़ों आदमियों पर इसका असर होगा। किसी ने नहीं पूछा। देखा ही नहीं किसी ने, किसी का भी ध्यान गया होता कि एक चीज होने वाली है।

नाम बड़ा छोटा है--वेट्स ऐंड मेजर्स का कानून, उसका जिक्र है इसमें। इस प्रदेश के लोगों पर उसका असर पड़ने वाला है। इसमें किसी ने देखा ही नहीं। वह कानून क्या है? क्या होने वाला है, किस तरह की चीजें होंगी किसी ने ध्यान नहीं दिया।

इसमें एक चीज का जिक्र है। हमारे जो गल्ले के व्यापारी हैं, सेल्स टैक्स के मामले में हम उनको कुछ रियायत देने की बात सोच रहे हैं। कुछ न होता तो इसकी तरफ ध्यान जाता क्योंकि जो गल्ले के व्यापारी थे उनकी सुविधा असुविधा जो कुछ समझें उसका असर गल्ले के दामों पर भी होगा। किसी ने देखा ही नहीं।

लेबर के सम्बन्ध में कुछ कानून बनाने वाले हैं। एक दो सदस्यों ने लेबर के साथ बड़ी हमदर्दी दिखलायी। जो उनके भाषण हैं उनसे उस हमदर्दी का पूरी तरह से परिचय मिलता है, चाहे लेबर की परिस्थिति का ज्ञान कुछ हद तक न होता हो। उनको भी पूछना चाहिये था हम से। अब तक तो बार-बार कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट पूंजीपति प्रिय है। अब तक तो आपने लेबर को तबाह किया, अब आप कौन सा नया कानून बनाने वाले हैं, यही एक साहब हमसे पूछते। इसी बात की मुझको शिकायत और अफसोस है।

चूंकि लेबर का जिक्र आ गया है इसलिये एक बात कह देना चाहता हूं। यहां कहा भी गया कि जो स्थिति है, खास तौर से कानपुर में, उसके सम्बन्ध में कुछ लोग किसी किस्म की कोई कार्यवाही करने वाले हैं। खैर, कार्यवाही करेंगे तो देखा जायगा, लेकिन एक चीज का जिक्र कर देना चाहता हूं। जो परिस्थिति है उसको समझ लिया जाय। यह सही है कि कानपुर में कुछ मिलें बन्द हैं। कानपुर में काफी संख्या में मजदूर बेकार हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को भी इसकी फिक्र है कि इतने आदमी बेकार हैं। इतने आदमियों के खिलाने पिलाने का सवाल है। हमारा अगर रोजगार चलता रहे, कारखाने चलते रहें तो सेल्स टैक्स के चार पैसे की हमारी आमदनी हो। कई दृष्टियों से हम को फिक्र है। लेकिन फिक्र करने से, किसी के आन्दोलन करने से हरगिज वह मिलें चलने वाली नहीं हैं। मसलन, एक मिल के लिये ६० लाख रुपया चाहिये कम से कम, तब वह मिल चल सकती है। यू० पी० गवर्नमेंट उसको नहीं दे सकती। केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है। कोई हमारे हुकुम से यह मिल बन्द है और हम इसको चला दें यह भी हमसे नहीं हो सकता है। एक बात जरूर विचार करने की है। जो लोग मजदूरों की स्थिति को जानते हैं उनको एक बात जरूर मालूम होगी कि लेबर और इंडस्ट्री के मामले में कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं कि जो मिलमालिक होता है उसका पक्ष मजबूत हो जाता है और कभी-कभी ऐसा मौका आता है कि जब जो मजदूर होता है उसका पक्ष मजबूत हो जाता है। किसी मौके पर झगड़ा होता है तो मिल मालिक के जीतने की ज्यादा सम्भावना होती है और कभी मजदूर के जीतने की सम्भावना होती है। देश के अन्दर काफी बेकारी और महंगाई है। सारे देश में ऐसा हो रहा है। अनेक कारणों से कानपुर में मिलों में बहुत सा माल पड़ा हुआ है। आमतौर पर मिल का दस्तूर यह है कि एक दो हफ्ते से ज्यादा कपड़ा हरगिज नहीं इकट्ठा होता। वह एक नार्मल चीज समझी जाती है, लेकिन आज ४ और ६ महीने से वहां कपड़ा पड़ा हुआ है, वह बिक नहीं रहा है। अब तो बिकने का मौसम भी दशहरे से पहले नहीं आयेगा। तब जहां पर माल ४ महीने से पड़ा हुआ है वहां ६, ७ महीने हो जायेंगे और जहां पर ६ महीने से पड़ा है वहां पर ८, ९ महीने हो जायेंगे लेकिन फिर भी मिल चल रहे हैं। अगर किसी किस्म का उपद्रव किया जाय तो मिल मालिक तो बहाने के इन्तजार में बैठा हुआ है। कोई भी उनको बहाना या मौका मिल जाय तो वे मिल बन्द करदें। उनका खामख्वाह रुपया खर्च हो रहा है। मिल में रुपया लग रहा है और माल बिक नहीं रहा

है। इस वक्त कोई उपद्रव करना मजदूरों के साथ दुश्मनी करना है। अगर किसी के कुछ कहने पर मजदूर इस समय कुछ गलती कर बैठा तो वह पछतायेगा और जो उनको उकसायेगा वह मजदूरों का घोर शत्रु होगा। इस समय मजदूरों को भड़का कर किसी आन्दोलन में ले आना, इससे बढ़कर कोई और बुरा मौका नहीं हो सकता है। इस वक्त मिल मालिकों ने अगर मिल बन्द कर दिया तो उसको तो तकलीफ नहीं होगी, उसके पास काफी है महीनों खाते रह सकता है, लेकिन अगर महंगाई के जमाने में यह मिल बन्द हो गये तो मजदूर ४ दिन में ही तबाह हो जायगा। इसको समझना चाहिये। मैं कहूंगा कि हमदर्दी की बात सही है, लेकिन इन सब बातों को समझा जाय। इसलिये मैं ने कहा कि इस तरह की बातें उस सम्बोधन में थीं जिनका एक बार भी जिक्र नहीं किया गया, लेकिन राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में उनका जिक्र किया है।

बहरहाल, जो और बातें हैं खाद्य समस्या के सम्बन्ध में, उनके विषय में यहां पर जिन लोगों ने दिलचस्पी ली उनका जिक्र खासतौर पर हमारे खाद्य मन्त्री जी ने कर दिया है। कुछ बातों का जिक्र हमारे माल मन्त्री जी ने कर दिया है। उन बातों को मैं दोहराने की कोशिश नहीं करता। कुछ शिकायतों की बाबत १, २ बात कहता हूं। कुछ शिकायतें तो ऐसी हैं कि जिनका जवाब देना हमारे बस के बाहर की बात है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सन् १९४७ से, देश के स्वतंत्र होने के बाद से, जिस वक्त से कांग्रेस गवर्नमेंट आई, आज तक कोई रत्ती भर प्रगति नहीं हुई है और जब तक यह कांग्रेस गवर्नमेंट यहां रहेगी तब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती है। ऐसे मित्रों को जवाब देना मेरी शक्ति के बाहर की बात है। उनके लिये इतना ही कह सकता हूं कि उनका स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है, यह अफसोस की बात है कि हमारा काम उनके स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंच सकता और शायद इस जिन्दगी में पहुंचने वाला भी नहीं है। शायद जो हम अधिक से अधिक करते हैं उनको वह शून्य ही मालूम पड़ता है तो हम कभी इसमें सफल नहीं हो सकते हैं। उनको हम जवाब देने की कोशिश नहीं करते।

एक दो शिकायत ऐसी हैं, मेरा निवेदन है, कि अगर उनका चर्चा यहां न होता तो अच्छा था। मस्लन् हिन्दी उर्दू का सवाल इस सदन में उठाना और उन बातों का यहां पर जिक्र करना सिवाय एक बेलुत्फी पैदा करने के और कोई नतीजा नहीं हो सकता है। और बातें भी कही गईं हिन्दी उर्दू का चर्चा न करके जिससे गलतफहमी फैल सकती है और मनमुटाव फैल सकता है। एक चीज की मिसाल दे सकता हूं। कल जब एक माननीय सदस्य उस तरफ से भाषण दे रहे थे उस समय माननीय त्रिलोकीसिंह किसी से बात कर रहे थे, नहीं तो मेरा खयाल है कि शायद वह टोकने की कोशिश करते। उन्होंने जिक्र किया हनुमान जी की पूंछ का और गणेश जी की सूंड का। यह एक ऐसी बात है जिससे इस प्रदेश के लोगों में ऐसे आदमी हैं जिनको तकलीफ हो सकती है इस प्रकार की बातों का जिक्र करने से। अगर लड़कों की किताबों में से इन चीजों को निकाल दिया जाय तो जरा सोचने की बात है कि हिन्दी साहित्य के ग्रन्थों में तुलसीदास की रामायण जो दुनिया के महा काव्यों में बड़ी ऊंची है, उसमें सारी जगह हनुमान जी की पूंछ का और गणेश जी की सूंड का जिक्र है। जहां जिक्र है गणेश जी का वहां उनका "गज बदन" करके जिक्र है, हर जगह जिक्र है, तो अगर सारे साहित्य से उनको निकाल दिया जाय तो क्या होगा? एक सज्जन ने बताया कि "रघुपति राघव राजा राम" तो मुसलमानों को नाराज करने की बात है। मेरा ऐसा खयाल था कि पी० एस० पी० के लोग तो जरूर महात्मा गांधी के फालोवर होंगे। किसी के मन में संदेह पैदा करना आज के टेढ़े समय में, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। इस मौके पर ऐसी बातों का जिक्र नहीं करना चाहिये और ज्यादा विस्तार से मैं ऐसी बातों में जाना इस समय नहीं चाहता।

खाद्य के सम्बन्ध में सभी लोग कहते हैं कि उसकी बात राजनीति के ऊपर रखनी चाहिये। मैं भी कहता हूं, लेकिन एक बात मैं और कहता हूं और इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। एक ऐतिहासिक घटना है। हमारे माननीय सदस्यों को याद होगा कि जिस समय लार्ड हार्डिंग यहां के वाइसराय थे तो उस समय फूजी में जो कमिश्नर

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

था उसके कार्य और वहां के भारतियों की हालत की जांच करने के लिये यहां से रेवरेंड ऐंड्रूज गये थे। उस समय उन्होंने कहा था कि जो अपनी रिपोर्ट देना तो वह बिना एडजेक्टिव्ज के होनी चाहिये। जो घटना हो, जो वस्तु-स्थिति हो उसका ज्यों का त्यों वर्णन करना और उन्होंने जो रिपोर्ट लिखी उसमें एडजेक्टिव की जरूरत ही नहीं थी। उसके लिये उनको विशेषण की आवश्यकता ही नहीं हुई। तो मेरा खयाल यह है कि हममें से हर आदमी को इस बात का खयाल रखना चाहिये कि इस विषय में अगर हम विशेषणों से काम न लें तो ज्यादा अच्छा हो। हम लोग सदन में जो बैठे हैं, जिम्मेदार आदमी हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण बात कहने वाले सदन के बाहर बहुत से आदमी हैं। ऐसे लोग जो आपको—आप से मेरा मतलब उधर के लोगों से है—और हमको भी बहकाते हैं, उसमें संभव है हमारे सरकारी अफसर भी हों, बहुत काफी हैं। हम हर जगह मौजूद नहीं रह सकते। बहुत सी बातों पर हम दूसरों के कहने से विश्वास करते हैं, लेकिन हमको संतुलित भाषा से काम लेना चाहिये। यदि हम संतुलित भाषा से काम लेंगे तो एक संतुलित चित्र हमारे सामने आयेगा और जब संतुलित चित्र हमारे सामने रहेगा तो हम ठीक इलाज भी कर सकते हैं, अन्यथा मर्ज का इलाज करना असंभव होगा।

सरकारी अफसरों की बाबत नहीं कहता। आपके सामने बार-बार उनका जिक्र आता रहा है कि किस तरह से उनकी रिपोर्ट गलत होती हैं। गलत होती होंगी। इतना बड़ा हमारा प्रदेश है, इतने अफसर हैं। सब के सब दूध के धोये हों ऐसा मैं नहीं कह सकता। सम्भव है किसी वजह से गलतियां होती हों, मुझसे भी गलती होती है, लेकिन मैं तो यह समझता हूं कि हम गलतियां करने के लिये ही नहीं बने हैं। अभी जो चार पांच सज्जन पी० एस० पी० के पूर्वी जिलों में गये थे और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसकी सब बातों से मैं सहमत होऊं या नहीं, लेकिन मुझे वह अच्छी लगी। एक संतुलित रिपोर्ट जैसी हो सकती है, उसका वह एक नमूना है। अभी उन चार, पांच लोगों में से दो, तीन सज्जन मुझ से मिलने आये। माननीय त्रिलोकी सिंह जी भी थे और मैंने उनको इसके लिये बधाई भी दी। वह हमारे पुराने मित्र हैं, कुछ मजाक में समझ लीजिये या गम्भीरता में, मैंने उन्हें कुछ बातें प्वाइंट आउट भी कीं। मिसाल के लिये उस रिपोर्ट में लिखा है कि लड़के जो शिक्षा संस्थाओं में पढ़ने के लिये भर्ती होते हैं, कुछ दिनों के बाद छोड़ कर चले जाते हैं। मैंने कहा कि जिस समय आप लोग गये थे उस समय हाई स्कूल और इंटरमीडियेट के कालेजेज बन्द थे। डिग्री कालेजेज बन्द थे। आप प्राइमरी स्कूलों के अन्दर जरूर गये होंगे। मैंने उनके सामने फीगर्स रखीं इन्रोलमेंट की, जुलाई से मार्च तक की, उन सब जिलों की और साथ ही मैंने इलाहाबाद और लखनऊ की फीगर्स भी उनके सामने रख दीं। इलाहाबाद और लखनऊ के जिले भुखमरी के जिले नहीं हैं। कोई नहीं कह सकता कि यह भुखमरी के जिले हैं। शहरों में कालेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल सभी हैं। मैंने उनको दिखलाया कि इसमें किस मामले में लड़कों का भर्ती होकर छोड़ देना इलाहाबाद और लखनऊ से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि दो प्रिन्सिपल उनको मिले थे। अब मैं इसका क्या जवाब दूं? उनको यहां का हाल मालूम ही नहीं है। लेकिन उन दोनों प्रिन्सिपलों को जिम्मेदारी से काम लेना चाहिये था। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि हो सकता है कि वे गलत खबर देने वाले लोग हों। गलत खबर देने वाले लोग भी होते हैं। हमको तो अपने-सामने ठीक-ठीक वस्तुस्थिति, मिनिमम, जो बग़ैर किसी विशेषण के हो, उसे अपने सामने रखना है, भले ही वह खराब हो। परन्तु इसमें विशेषण लाने की जरूरत नहीं है। एक मिसाल मैं देता हूं। अभी हाल में केन्द्र के खाद्य मंत्री श्री अजित प्रसाद जी, माननीय त्रिलोकी सिंह जी और मैं था। उन्होंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी। उन्होंने कहा कि जिस समय मिस मेयो ने मदर इंडिया किताब लिखी, उस समय फरदन फरदन देखा जाय तो देश की बहुत सी बातें सही हैं। हिन्दुस्तान में जरूर ८ वर्ष की लड़कियों की शादी हो जाती है, लेकिन महात्मा जी ने उसे क्यों ग़लत

कहा? जब इस किस्म की बातें सामने आईं तो समझना चाहिये कि और भी बहुत सी बातें बुरी हो सकती हैं। इतना बड़ा देश और प्रदेश है जहां करोड़ों आदमी रहते हैं। कोई कहीं बहुत भयानक चीज हो सकती है, लेकिन उससे यह अर्थ लगा लेना या यह तस्वीर मान लेना उचित नहीं होगा कि सब जगह ऐसी ही बुरी बात है।

एक बात के लिये और मैं उस रिपोर्ट की तारीफ करता हूं। यहां किसी ने कहा कि ३०० आदमी भूख से मर गये, किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ कहा। उनके लिये मैं क्या और कैसे कहूं? सही होगा। हम बार-बार यही कहते आये हैं कि हम भरसक किसी को भूख से मरने नहीं देंगे, मैंने 'भरसक' शब्द का प्रयोग किया है। कहा जाता है कि सहस्त्रबाहु राजा के १ हजार हाथ थे। अगर हम सहस्त्रबाहु भी होते तो भी यह जिम्मा नहीं ले सकते थे कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरेगा। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जहां तक मनुष्य के लिये सम्भव है, हम भरसक कोशिश करेंगे कि किसी को भी भूख से नहीं मरने देंगे। हम यह नहीं कहते कि सबको भर पेट खाना देंगे या अच्छा अन्न देंगे, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं। हो सकता है कि कोई भूख से मर गया हो। मैंने उन दोनों सज्जनों से कहा कि उन्होंने इसके बारे में क्यों नहीं लिखा? उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद नहीं देखा। उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे कहा था। कुछ लोग उनके पास जरूर आये होंगे यह कहने के लिये कि हमने लोगों को भूख से मरते देखा है। जैसे उन्होंने और बातों का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया है वैसे ही इस बात का भी जरूर जिक्र करते। कोई वजह नहीं थी कि और बातों का जिक्र उन्होंने किया और इसका नहीं करते। उनकी रिपोर्ट में इस बात की चर्चा कहीं नहीं है। वे आदरणीय और जिम्मेदार लोग हैं। इससे मैं समझता हूं कि उनके सामने इतनी शिकायतें नहीं आईं और अगर आईं तो उन्होंने उन्हें इतनी प्रमाणित नहीं समझा कि उन बातों को अपनी रिपोर्ट में लिखते और अपनी मर्यादा को गिराते। मैं मानता हूं कि परिस्थिति खराब है। इससे अगर कोई इन्कार करता है तो वह वैसी ही बात कहता है जैसा कि कोई इस समय दिन को रात कहे। उन्होंने जो कारण बतलाये हैं उन पर हम और आप फुरसत से जांच करेंगे और एक्सपर्ट्स भी देखेंगे कि सारे प्रदेश में अन्न की कमी क्यों बढ़ गई। हमारे और आपके सामने जो मुख्य प्रश्न है वह यह है कि अब जो परिस्थिति है उसका मुकाबला कैसे किया जाय। मुकाबला करने की बात दो तीन तरह की होती है। एक तात्कालिक और एक लांग टर्म। तात्कालिक रिलीफ के लिये तो गल्ले की दूकानें खोली जा रही हैं। जो पहले थीं, उनसे और भी अधिक बढ़ाई जा रही हैं। आवश्यकता होगी तो और भी अधिक बढ़ाई जायंगी। गल्ले की जो भी मात्रा हमारे पास है उसमें से भरसक जितना हो सकेगा, हम देंगे।

एक मित्र ने कहा कि अपाहिज लोगों को फ्री मिला करता था, उसका प्रबन्ध है या नहीं। अली जहीर साहब ने कहा कि उसको हम देखेंगे। वे उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो काम लायक नहीं हैं, जो अपाहिज हैं, काम नहीं कर सकते हैं, उनका प्रबन्ध होना ही चाहिये। अगर वहां उनके लिये कुछ नहीं रखा गया है तो अब रख दिया जायगा। चरण सिंह जी कहते हैं कि चार जिलों में ऐसा है, जहां नहीं होगा वहां भी ऐसा कर दिया जायगा।

अभी मैं विचित्र नारायण जी से बातें कर रहा था। फसल धोखा दे जाय तो कह नहीं सकता, लेकिन ऐसी आशा है कि दो महीने बाद कुछ न कुछ खाने को अवश्य हो जायगा, २ महीने संकट के हैं। बरसात के लिये कोई खास चीज लोगों के पास नहीं है। ऐसे वक्त में लोग सूत काता करते थे, उससे लोगों को पैसा मिला करता था, वह बन्द है। उस बारे में भी हम देख रहे हैं कि उतने दिन के लिये उनकी जीविका का साधन हो जाना चाहिये। यूं मैं समझता हूं कि जल्दी ही उस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हो जायगी।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

अब यह चीजें तो ऐसी हैं जो हम समझते हैं कि तात्कालिक बातें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और भी काम करने हैं। एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर हमारा ध्यान दिलाया गया और जिसकी ओर हम स्वयं भी गौर कर रहे हैं। वह यह है कि हमारे बड़े-बड़े आयोजन तो हैं ही, उनको बन्द नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके अतिरिक्त कई चीजें ऐसी हैं जिनको भी लिया जा सकता है—जिस प्रकार से मेसनरी वेल्स हैं। नहर और ट्यूबवेल्स के बनाने में पैसा भी लगता है बहुत ज्यादा और उनके मैन्टिनेन्स पर भी बहुत ज्यादा खर्च होता है और बाद में आबपाशी का रुपया भी वसूल किया जाता है। ट्यूबवेल्स के लिये गूल बनाने के लिये जमीन लेनी पड़ती है जिसके देने में लोगों को ऐतराज होता है। लेकिन मेसनरी वेल्स में कोई झगड़ा ही नहीं है। कल ही हम लोगों ने यह तय किया है और बहुत जल्द हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि इसके लिये एक अच्छी खासी रकम रखी जाय जो कम से कम सवा करोड़ रुपया होगी। अगर और भी ज्यादा रुपया हमको मिल सका तो ज्यादा देंगे और यह देखेंगे कि अधिक से अधिक मेसनरी वेल्स बनें। अगर अभी यह स्कीम तैयार हो गयी तो बरसात के बाद कुएं खोदने का काम शुरू हो जायगा। ज्यों-ज्यों रुपया हमें मिलता जायगा या बड़े कामों से रुपया हम निकाल सकेंगे, रुपया निकालेंगे ताकि यह चीज हो जाय। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि यह बहुत ही उपयोगी चीज होगी और इससे बहुत लोगों को फायदा हो सकेगा।

श्री बंशीधर शुक्ल—वन विभाग के सम्बन्ध में नीति बता दीजिये कि सरकार की क्या नीति है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—एक सवाल कल यह पूछा गया था कि पूर्वी जिलों में सूत बनाया जाय। हमारी सरकार का अन्दाजा यह है कि उसके लिये हमें ६८ लाख रुपया चाहिये। शेयर के रूप में साढ़े बाईस लाख रुपया मिला है, १० लाख रुपया गवर्नमेंट का है, कुछ और रुपया जमा करना है। इसके अलावा अभी गवर्नमेंट आफ इंडिया ने लाइसेंस नहीं दिया है, उनसे लाइसेंस लेना है। मेरा पहले शुरू में खयाल था कि मऊ में काम शुरू हो, लेकिन बाद में निश्चय हुआ कि एक एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी जो इस बात पर गौर करेगी कि यू० पी० में वह मिल कहाँ होगी। तो कहीं न कहीं यू० पी० में ही, चाहे जिस जगह हो, अगर लाइसेंस गवर्नमेंट आफ इंडिया ने दिया, लेकिन इस वक्त हम नहीं कह सकते हैं कि वह मिल मऊ में जरूर बनेगी। जब एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी तो वह गौर करेगी कि मिल किस जगह हो।

इसके अलावा यहां इंडस्ट्री का भी जिक्र किया गया। एक सज्जन ने तो यहां तक कह दिया कि रिहन्द डाम की बिजली पूर्वी जिलों को नहीं मिलेगी। मैं नहीं जानता कि उनकी इस इत्तिला के साधन क्या हैं। जहां तक मैं जानता हूं जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि रिहन्द डाम की बिजली पूर्वी जिलों को पहुंच सकेगी और इस तरह से पूर्वी जिलों के औद्योगीकरण में सहायता मिलेगी। आजकल के जमाने में कोई भी रोजगार हो, पुराने तरीके से नहीं पनप सकता है। किसी भी रोजगार को चलाने के लिये हमको देखना पड़ेगा कि अपने देश की मिलें और विदेशी मिलें, दोनों के मुकाबले में वह ठहर सके। इसलिये आज रोजगार के लिये बिजली बहुत आवश्यक है। ऐसे दो तीन वर्ष की देर है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि रिहन्द डाम से हम पूर्वी जिलों को बिजली पहुंचा सकेंगे और इससे पूर्वी जिलों के औद्योगीकरण में आसानी होगी। तब तक तो आपके सामने बराबर सवालों के जवाब होते ही रहते हैं।

अन्त में खत्म करने के पहले मैं एक बात का जिक्र कर देना चाहता हूं। एक मौके पर इसी सदन में गलत या सही मैंने पोलिटिकल ट्रूस का जिक्र कर दिया और फिर राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में उन्ही शब्दों को दोहरा दिया और उनकी बाबत यहां काफी विवाद हुआ। मैं अब भी उसी जगह कायम हूं जहां पर पहले था। उस वक्त जब कि मैंने पोलिटिकल ट्रूस का जिक्र किया था तो उससे मेरा इरादा कतई यह नहीं था कि दूसरी पोलिटिकल पार्टियां अपने-अपने दफ्तर बन्द कर दें। जिस पार्टी से मेरा सम्बन्ध है, यानी कांग्रेस से, अगर मैं, कांग्रेस में ही इस बात को कहूं तो मेरी बात को कोई नहीं मानेगा और मैं कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाऊंगा। मेरी बात को कोई नहीं सुनेगा। फिर मैं ऐसी आशा करूं कि दूसरी पोलिटिकल पार्टियां अपने-अपने दफ्तर बन्द कर दें, यह कैसे हो सकता है। किसी पार्टी का दफ्तर बन्द करने के लिये मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि कुछ बातें ऐसी हैं कोआपरेशन से, एक दूसरे के साथ मिल कर काम करना सम्भव हो सकता है और यह जो फूड की समस्या है, इसी किस्म की है जिसमें एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करने की आवश्यकता है। अगर उत्तर प्रदेश रहता है या देश रहता है, अगर यह सुखी और सम्पन्न रहता है तो हर पोलिटिकल पार्टी को काम करने का मौका है। अगर यह देश या प्रदेश दरिद्र हो जायगा, तबाह हो जायगा तो कोई भी पोलिटिकल पार्टी कहां काम करेगी? इसलिये अगर कोई ऐसा काम है जो सबके लाभ के लिये है तो इस किस्म के कामों को करने के लिये हम और आप एक साथ बैठकर तय कर सकते हैं कि फलां काम हमको मिल कर करना है। चाहे पोलिटिकल लड़ाई जो लड़नी हो उसे हम भले ही लड़ते रहें, लेकिन ऐसे कामों में सबका सहयोग आवश्यक है। इस तरह से हर दल के सदस्य को अपने काम करने में बड़ी आसानी हो सकती है। एक क्षण के लिये भी मेरा ऐसा विचार नहीं था और न आज है कि सब पोलिटिकल पार्टीज खत्म हो जायं। जो राजनीतिक चीजें हैं, उनमें तो हम आपस में लड़ लें, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जो बात सर्वसाधारण के मतलब की है उसमें सभी का सहयोग नहीं हो सकता।

श्री अवस्थी जी ने शिक्षा का जिक्र किया और उसके साथ ही उन्होंने एक और चीज का जिक्र कर दिया। वैसे मैं उसके ब्योरे में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि जिला परिषद् वाला कानून आप लाना चाहते हैं या नहीं? मालूम होता है कि इसमें भी उनको सन्देह है। अगर इस तरह से हम एक दूसरे का विश्वास न करें तो कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं हो सकता है। ऐसा मालूम होता है कि राज्यपाल महोदय की कलम पकड़ कर जिला परिषद् का नाम लिखवा दिया गया है। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जहां तक जिला परिषद् बिल का ताल्लुक है, वह इसी सत्र में आपके सामने आवेगा। अब यह आपके ऊपर है कि इसको दो घंटे में पास कर दें, दो दिन में पास कर दें, दो महीने में पास कर दें या दो वर्ष में पास करें। लेकिन हम आपके सामने जरूर ला देना चाहते हैं। जहां तक शिक्षा का जिक्र उन्होंने किया, मैं भी अध्यापक हूं, मेरा भी जीवन शिक्षण के काम में बीता है, मेरे लिये भी शिक्षण प्रोफेशन महज नहीं रहा, वोकेशन रहा। मेरे भी विद्यार्थी देश के कोने-कोने में अनेक क्षेत्रों में विद्यमान हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं शिक्षक रहा हूं और वर्षों तक शिक्षक रहा हूं। स्कूल और कालेज दोनों में शिक्षक मैं रहा हूं। शिक्षा की समस्याओं पर मैं बराबर विचार करता रहता हूं। एक बात कह सकता हूं कि इतनी आसानी से शिक्षा की बाबत राय मैं नहीं दे सकता जैसी कि बाज वक्त वे लोग दे दिया करते हैं जो कम सोचते हैं। यह कहना तो बहुत सहज है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को खत्म करदो, इस तरह बैकुअम क्रियेट कर देना तो सहज है, लेकिन क्रियात्मक तरीके पर सोचना कि इसको हटा दो और इसकी जगह पर रखो क्या यह बड़ा कठिन सवाल है। शिक्षक लोगों की सभाओं में मैं जाता हूं, यूनीवर्सिटी टीचर्स की सभाओं में जाता हूं और कभी-कभी सेकेंडरी स्कूल्स

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

के टीचर्स भी मुझे बुला लिया करते हैं। उनके सामने मैं कहता हूं कि इस सवाल का उत्तर देने के सब से बड़े अधिकारी आप हैं। लड़कों को आप पढ़ाते हैं। जो विद्यार्थी आते हैं उनके जीवन को आप देखते हैं। अपनी जिन्दगी में अनेक अरमान व हौसले लेकर वे आते हैं। उनके मां बाप के मन में भी सैकड़ों अरमान होते हैं। उनको आप पढ़ाते लिखाते हैं। फेल होते हैं या जो कुछ होता है, अधिकांश लोगों की जिन्दगी तबाह होती है। मैं जानता हूं कि बहुत से लड़के ऐसे आते हैं जिनके मां बाप बड़ी तकलीफ उठा कर किसी तरह से उनके लिये कपड़े इत्यादि बनवा देते हैं और उनकी हैसियत नहीं होती साल भर में दूसरे कपड़े बनवा देने की, उनकी जो हालत है उस पर हम सोच नहीं सकते, लेकिन कोई नई चीज हम सोच नहीं पाते। आपको फुर्सत है, आपको सोचना चाहिये। आप अपनी आंखों के सामने लड़कों को बनते बिगड़ते देखते हैं, लेकिन अफसोस है कि कोई चीज सामने नहीं आती। मुमकिन है कि शिक्षा-पद्धति गलत है जैसा कि हम उसे समझते हैं। जो ऐब हैं वे सब ऐब निकल जायं और जो अच्छाइयां हम चाहते हैं वे सब उसमें आ जायं इस बात पर आपको सोचना चाहिये।

जहां तक लड़कों के साथ हमदर्दी की बात है मैं स्वयं अध्यापक होते हुए अवस्थी जी की बात को समझ सकता हूं और सच्चे हरफों में मुझे उनके साथ समवेदना है, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि अभी हम लोग इस समस्या का ठिकाने का हल नहीं निकाल सके। वे सोचें और कुछ करें और जो सोच सकेगा वह लड़कों और समाज का बहुत बड़ा उपकार कर सकेगा।

मुझे और कुछ निवेदन न कर के इतना ही निवेदन करना है कि जो प्रस्ताव आपके सामने रखा गया है उसे तो सदन अवश्य ही स्वीकार करेगा, लेकिन इस वक्त हमारे सामने जो सामूहिक कठिनाइयां हैं, हम सब लोग अपने सहयोग से उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे और प्रदेश की उन्नति के लिये जो साधन हैं उनको सब लोग एक साथ मिल कर मुहैया करने की चेष्टा करेंगे और प्रदेश को आगे बढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष--श्री वीरेन्द्र वर्मा, आप ५ मिनट के अन्दर समाप्त करें। मैं यह सूचना दे देना चाहता हूं कि आदरणीय सदन इस से सहमत होगा कि संशोधनों को राय के लिये मैं एक-एक कर के लूंगा, क्योंकि दो तरीके हो सकते हैं। एक तो मुख्य प्रस्ताव को मैं ले लूं, लेकिन राज्यपाल के संबोधन के बारे में यह एक आम तरीका हम लोगों ने स्वीकार किया है कि जो संशोधन हों उन पर राय ले ली जाय और जब संशोधन गिर जाते हैं तो फिर जो प्रस्ताव रह जाता है उसमें जहां तक हो विरोध न हो सके। अगर संशोधन पहले नहीं लेता हूं और मूल प्रस्ताव पर राय ले लेता हूं तो समझा जाता है कि संशोधन गिर गया। इस कारण यह संभावना हो सकती है कि जो लोग संशोधन के पक्ष में हों वे मूल प्रस्ताव का भी विरोध करें। इसलिये मैं पहले संशोधन लूंगा। इसलिये उसमें समय लगेगा। अतएव अगर ५ बजे के बाद भी इस पर राय लेने में समय लगे तो उस समय तक हम सदन को जारी रखेंगे। इसके अतिरिक्त दो एक सूचनाओं के लिये भी मुझे ५ मिनट का समय और लेना होगा। तो सदन उसके बाद भी बैठने के लिये तैयार होगा, इसमें कोई दो रायें नहीं होंगी।

(कोई आपत्ति नहीं की गई।)

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी से अपनी जानकारी के लिये एक बात पूछना चाहता हूं। उन्होंने अभी कहा कि दो महीने पोजीशन बड़ी क्रिटिकल और सीरियस चलेगी। तो ऐसी स्थिति में सरकारी वसूली या अन्यान्य जो गड़बड़ियां हो रही हैं उन पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई प्रकाश नहीं डाला। तो उन पर वे प्रकाश डालने की कृपा करें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उस मामले पर माननीय माल मंत्री जी प्रकाश डाल चुके हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर तीन दिन से इस माननीय सदन में बहस चल रही है। इस सदन के विरोधी दलों के नेताओं ने कुछ संशोधन मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में पेश किये हैं। कोई भी बड़े से बड़ा, विद्वान से विद्वान व्यक्ति अपनी जानकारी के साथ कुछ भी बातें कहे फिर भी उसमें कुछ न कुछ ऐसी बातें जोड़ी जा सकती हैं और जो हमारे माननीय विरोधी दलों के नेताओं ने कुछ सजेशन्स दिये हैं बहुत से अब भी सजेशन्स हो सकते हैं जो आज वह भी नहीं दे सके हैं। मुझे इस बात का खेद जरूर है, पिछले ५, ७ साल से जो देखने का अवसर मिला है और प्रजातान्त्रिक तरीके पर जो विरोधी दलों का एक रचनात्मक सहयोग होना चाहिये इस प्रदेश और देश की सरकारों को वह सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है और मुझे यह कहते हुए अत्यन्त दुख होता है कि इस प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री ने वेलफेयर ऐक्टीविटीज के लिये जो विरोधी दलों के नेताओं से सहयोग की अपील की थी उस सहयोग की अपील को भी एक तरीके से उन्होंने ठुकराने में अपनी शान समझी। खाद्य संकट के सिलसिले में अधिक समय इस माननीय सदन का लिया गया। मैं यह स्वीकार करता हूं कि खाद्य समस्या हम अपने प्रदेश की और देश की हल नहीं कर सके हैं। पिछले तीन सालों से विशेष कर दैवी आपदाओं के कारण इन समस्याओं को हल करने में और भी अधिक कठिनाई हुई। लेकिन यह कौन सा हल संकट में और अधिक संकट पैदा कर उस समस्या को सुलझाने का है, यह मेरी समझ में नहीं आया।

डेढ़ सौ, दो सौ साल तक हिन्दुस्तान गुलाम रहा। अंग्रेजों ने हमारा नैतिक स्तर गिरा कर हुकूमत की। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद आवश्यकता इस बात की थी कि हिन्दुस्तान की सभी विभिन्न पार्टियों के नेता देशवासियों के मोरेल को ऊंचा करें, संकट और मुसीबतों का मुकाबला करने के लिये उनमें साहस पैदा करें। लेकिन मैंने देखा, अपनी आंखों से और कानों से सुना कि इन पिछले १०-११ साल में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने जनता के विचारों एवं फीलिंग्स को ऐक्सप्लायट करने की अधिक कोशिश की, सहयोग देने की कम। आज पुनः माननीय मुख्य मंत्री जी ने विरोधी दलों के सभी सदस्यों से यह अपील की है कि ऐसे कार्य क्षेत्र मौजूद हैं जहां विभिन्न विचार रखते हुए भी वह सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मैं यह आशा रखता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की दुबारा इस अपील पर हमारे विरोधी दलों के सदस्य विचार करेंगे और वह भी एक क्रियात्मक ढंग से करेंगे। यह समझेंगे कि अगर इस प्रदेश के निवासियों का मारेल गिरता है तो उसमें किसका भला होगा? खाद्य संकट हल हो जाय, शान्ति-व्यवस्था में सुधार हो जाय, जितनी अड़चनें इस प्रकार की हैं दूर हो जायं, लेकिन अगर प्रदेशवासियों का मारेल नीचे गिरता है तो अपने देश को हम बनाने में कभी भी समर्थ नहीं हो पायेंगे। इसलिये मैं अपने विरोधी दल के सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि वह इस बात पर खास तौर से तवज्जह दें, सक्रिय और रचनात्मक सहयोग दें तथा जनता की कठिनाइयों को हल करने का प्रयास करते रहें, क्योंकि इस प्रदेश को बनाने की उनकी भी जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त जो सुझाव, जो संशोधन उस ओर से पेश किये गये हैं, माननीय मुख्य मंत्री, माननीय माल मंत्री और माननीय रसद मंत्री जी के उत्तर देने के बाद, उनके स्पष्टीकरण के बाद, उनकी मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता। ऐसी अवस्था में मैं प्रार्थना करता हूं कि वह अपने संशोधनों को वापस ले लें क्योंकि मैं उनको स्वीकार करने से माननीय मुख्य मंत्री जी की तरह मजबूर हूं। मैं भी आशा करता हूं कि मेरे मित्र इन संशोधनों को वापस ले लेंगे और मेरे धन्यवाद के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करेंगे।

श्री अध्यक्ष--श्री त्रिलोकीसिंह का संशोधन पहले लेता हूं। प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में यह शब्द बढ़ा दिये जायं :--

"किन्तु इस सदन को खेद है कि राज्यपाल के संबोधन में समुचित योजना, अन्न के उत्पादन तथा उससे संबंधित सिंचाई, सहकारी कृषि इत्यादि में वृद्धि, बढ़ती हुई बेरोजगारी,

[श्री अध्यक्ष]

मिटाने के उपाय, पर्याप्त मात्रा में अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने की व्यवस्था, शासन तथा न्याय का पृथक्कीकरण एवं शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के उन्मूलन के संबंध में उल्लेख नहीं है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--अब श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल का संशोधन है। प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ दी जायं :

"किन्तु सदन को खेद है कि राज्यपाल महोदय ने जनता को आर्थिक शोषण, मुनाफाखोरी, चोरबाजारी एवं रिश्वतखोरी से बचाने के संबंध में और जनता के जीवन की प्राथमिक तथा सबसे ज्यादा जरूरी समस्याओं में से खाने, कपड़े, मकानादि की, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की, गरीबी, बेकारी, महंगाई आदि की समस्याओं के समाधान के संबंध में कुछ नहीं कहा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--यह श्री देवनारायण भारतीय का संशोधन है। प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में यह शब्द बढ़ा दिये जांय :--

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखि पंक्तियां जोड़ दी जायं--

"किन्तु सदन को खेद है कि राज्यपाल महोदय ने निम्नांकित महत्वपूर्ण प्रश्नों का न तो जिक्र किया है और न उनके सुलझाव की ओर संकेत किया --

(१) बनारस, गोरखपुर, कमिश्नरी तथा बांदा, हमीरपुर आदि जिलों में अन्न संकट तथा उनसे उत्पन्न विषम परिस्थिति।

(२) अन्न संकट वाले क्षेत्रों में लगान, पंचायत तथा अन्य करों को कठोरतापूर्वक वसूल करना।

(३) लगातार बढ़ती महंगाई, चीनी के बढ़ते दामों को देख कर गन्ने का दाम न बढ़ाना।

(४) पंचवर्षीय योजना में अपव्यय तथा भ्रष्टाचार।

(५) पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिये प्रदेश के साधन तथा आवश्यकताओं की गणना का अभाव।

(६) पिछड़ी जाति के आयोग की रपट के आवश्यक अंग को कार्यान्वित न करना।

(७) मिल बन्दी तथा मजदूरों की छटनी से फैली विषम परिस्थिति।

(८) गरीबी से उत्पन्न भीषण बीमारियों तथा उसके फलस्वरूप पशु तथा जन-हानि।

(९) शिक्षा समस्याओं में हस्तक्षेप, कक्षा ७ व ८ की फीस माफ न करना, बी० एम० बी० एस० कालेज, लखनऊ के छात्रों की चल रही ५ माह से हड़ताल तथा सरकार की ओर से उनकी उचित मांगों पर ध्यान न दिया जाना।

(१०) पुलिस के जनतांत्रिक संगठन के संबंध में सरकारी नीति।"

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे का यह संशोधन है, प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ दी जायं :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों की या तो चर्चा नहीं की या उनके उचित हल का कोई उपाय बताने अथवा उस दिशा में कोई प्रगतिशील कदम उठाने की बात नहीं कही :--

(अ) प्रदेश की बढ़ती हुई बेरोजगारी तथा औद्योगीकरण की समस्या।

(ब) प्रदेश की, विशेषकर उत्तर पूर्वी अंचल की, सूखे अथवा बाढ़ से लगातार फसलों का खराब होना, प्रदेश में अन्नोत्पादन की निरन्तर घटती, उसकी वृद्धि के लिये ठोस कदम तथा यथोचित उपाय, पिछले सूखे से एकदम फसल नष्ट होने के कारण पैदा हुई भुखभरी व उससे बचने के उपाय।

(स) प्रदेश के निवासियों की क्रय-शक्ति का ह्रास तथा उसे दूर करने के उपाय।

(द) किसानों का लगान आधा किया जाना व नहर रेटों का घटाना।

(घ) आर्थिक तथा सामाजिक विषमता को हटाना, अल्प वेतन भोगियों व आय वालों के वेतन व आय बढ़ाने के उपाय।

(न) अधिक करों से जनता को बचाना तथा वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों को घटाना।

(प) जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण।

(फ) भ्रष्टाचार, घूसखोरी को दूर करना।

(ब) मिलों की तालाबंदी, छटनी व हड़तालों की रोक-थाम व मजदूरों की उन्नति तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना।

(भ) प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध, उनकी रोकथाम, पुलिस का सुधार, जनता के जान माल की सुरक्षा।

(म) गो सदनों का सुधार।

(य) राष्ट्रभाषा के प्रति सरकारी नीति।

(र) स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, यातायात, विद्युत, सिंचाई, सूचना, विस्थापितजनों, वन सम्बन्धी सरकारी विभागों के कार्यों में सुधार की आवश्यकता।

(ल) प्रदेश में बढ़ते हुए अग्निकाण्डों की रोक-थाम।

(व) वृद्धावस्था पेंशनों की वृद्धि व सुधार।

(श) गन्ने की समस्याओं का हल।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब श्री चन्द्रजीत यादव का संशोधन इस प्रकार है। प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित पंक्तियां जोड़ दी जायं :—

"(१) दिनों दिन बढ़ते भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु किसी सफल योजना का जिक्र नहीं किया।

(२) राज्य सरकार की खाद्यान्न नीति पर चर्चा नहीं की।

(३) जमीन बटवारा, हदबन्दी तथा भूमि सुधार को द्रुतगति से लागू किये जाने को प्रोत्साहन दिये जाने के संबंध में कुछ नहीं कहा।

(४) केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन क्रम में अन्तर को मिटाने हेतु कोई सुझाव नहीं दिया।

(५) कम तनख्वाह पाने वाले सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी कर्मचारियों तथा उच्च पदस्थ अफसरों की तनख्वाह के अन्तर को कम करने की चर्चा नहीं की।

(६) खेतिहर मजदूरों की वाजिब न्यूनतम मजदूरी दर सारे प्रदेश में सभी प्रकार के फार्मों एवं जोतों पर लागू किये जाने की व्यवस्था का जिक्र नहीं किया।

(७) बुनकर व्यवसाय की रक्षा हेतु, उसके श्रमिक विकास का कोई उपाय नहीं बताया।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं मूल प्रस्ताव को ले रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१८७,

विपक्ष में—९ ।)

अधिष्ठाता मंडल के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—अब मैं एक सूचना देना चाहता हूं । अधिष्ठाता मंडल के लिये निम्न सदस्यों को मैंने मनोनीत किया है । पहले जो १० सदस्य थे, करीब-करीब वही रहेंगे । केवल उनमें परिवर्तन यह है कि श्री सुल्तान आलम खां साहब के डिप्टी मिनिस्टर हो जाने की वजह से उनका जो स्थान रिक्त हुआ, उनकी जगह पर श्री हरिश्चन्द्र आष्ठाना जी को मैंने मनोनीत किया है । मण्डल के दस सदस्य इस प्रकार होंगे :—

सर्व श्री	सर्व श्री
१—बेचनराम गुप्त	२—नेकराम शर्मा
३—हरिश्चन्द्र अष्ठाना	४—मलखानसिंह
५—परमेश्वरीदीन वर्मा	६—गयाबख्शसिंह
७—गेंदासिंह	८—लक्ष्मीनारायण बंसल
९—वीरसेन	१०—श्रीमती चन्द्रावती

कार्य परामर्शदात्री समिति के लिये मनोनीत सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—जो कार्य परामर्शदात्री समिति है उसके लिये निम्न सदस्यों को मैंने मनोनीति किया है :—

सर्वश्री	सर्वश्री
१—मंगलाप्रसाद	२—शान्तिप्रपन्न शर्मा
३—शिवप्रसाद	४—मुजफ्फर हसन
५—उग्रसेन	६—नरेन्द्रसिंह विष्ट
७—गौरीशंकर राय	८—टम्बरेश्वरप्रसाद
९—मदन पांडेय	१०—कुमारी श्रद्धादेवी शास्त्री

(इसके बाद सदन ५ बजकर १० मिनट पर अगले दिन के ११ बज तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
२४ जुलाई, १९५८ ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २३८ पर)

No. 4400-T/XXX—275-T-54

FROM

SRI A. P. SINGH,
DEPUTY SECRETARY TO GOVERNMENT,
UTTAR PRADESH,

TO

THE TRANSPORT COMMISSIONER,
U. P., LUCKNOW.

Dated Lucknow, March 8, 1957.

Subject : **Ratio of departmental promotion and direct recruitment in the non-gazetted posts in the Roadways Organization.**

SIR,

Transport Dept.

WITH reference to your D. O. no. 4967-Rest/638-R/Est/56, dated October 23, 1956, on the above subject, I am directed to say that the Governor has been pleased to order that henceforth the recruitment and promotion to the various non-gazetted posts in the Roadways Organization shall be made in accordance with and in terms of the details given in the following Schedule :

Sl. no.	Designation of posts	Scale of pay	Percentage of posts to be filled in by departmental promotion	Percentage of posts to be filled in by direct recruitment
1	2	3	4	5
		Rs.		
1	Traffic Superintendent ..	200—15—350	75%.	25%
2	Senior Station Incharge	150—5—200	Cent per cent by promotion of J. S. Is.	Nil.
3	Junior Station Incharge	100—21/2—120—5—150.	50% by promotion of A. T. Is.	50%
4	General Clerks ..	80—6—110—E.B.—6—140	50% by promotion of Junior Clerks and Booking Clerks.	50%
5	Assistant Traffic Inspectors.	75—5—100	50% by promtion of Booking Clerks and Conductors, City Bus Service.	50%
6	Booking Clerks ..	60—4—80—E,B, —4—100.	75% by promotion of Assistant Booking Clerks, Conductors C. B. S. and Conductors on routes.	25%
7	Assistant Booking Clerks	40—2—60—E,B, 4—80.	100% by promotion of Conductors on routes.	Nil.
8	Junior Clerks ..	60—4—80—E,B. 4—100.	75% by promotion of Conductors and Assistant Booking Clerks.	25%
9	Accountants ..	100—5—125—E. B. —5—160 E. B.—10—200.	100% by promotion of General Clerks.	Nil.

1	2	3	4	5
		Rs.		
10	Assistant Cashier ..	75—2—100	100% by promotion of Booking Clerks subject to the condition that they are in a position to deposit security, otherwise outsiders may also be considered.	Nil.
11	Cashier ..	150—7½—190—200.	100% by promotion of Assistant Cashier subject to the condition that they are in a position to deposit the prescribed security, otherwise outsiders may be appointed.	Nil.
12	Assistant Store-keepers	75—5—120	Nil.	100% subject to the passing of trade test.
13	Store-keepers ..	120—8—200—E.B—10—300.	100% by promotion of Assistant Store-keepers subject to the condition that they are in a position to deposit the prescribed security, otherwise outsiders may be appointed	

2. I am also to say that direct recruitment to the posts of Conductors only should be made in future. The posts of Assistant Booking Clerks should invariably be filled by promotion from amongst the Conductors. The future entrant to the post of Conductors should have passed at least the High School Examination.

Yours faithfully,
A. P. SINGH,
Deputy Secretary.

No. 4400 (i) T XXX—of date

COPY forwarded for information to all the General Managers and Assistant General Managers, U. P. Government Roadways.

By order,
A. P. SINGH,
Deputy Secretary.

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४१ पर)

अफसर का नाम	कितने गांव का दौरा किया	कितनी बार दौरा किया
खण्ड विकास अधिकारी	४९	७
	२८	५
	२	४
	६	३
	२३	१
	१०८	२०
सहायक विकास अधिकारी (समाज शिक्षा)	६०	३
	४०	२
	८	१
	१०८	६
सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)	३	१०
	१५	३
	४०	२
	२०	१
	७८	१६
सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) ..	६	७
	३७	४
	५६	२
	९	१
	१०८	१४
सहायक विकास अधिकारी (कृषि) ..	२८	४
	२२	२
	५६	१
	१०६	७
	कुल ५०८	कुल ६३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ. २४२ पर)

सूची "क"

कलक्ट्री पुनस्संगठन योजना के अन्तर्गत उन पदों का विवरण जो २८-२-१९५८ तक समाप्त किये गये :—

पदों का नाम	पदों की संख्या
१—सहायक कार्यालय अधीक्षक	१
२—ज्येष्ठ सहायक	३
३—मुख्य पेशकार	१५
४—मुनसरिम नकल	५०
५—लिपिक मुहाफिजखाना	६१
६—जमींदारी उन्मूलन प्रतिकर कर्मचारी	१९
७—कोष कर्मचारी	४०
८—अहलमद	३५
९—पुस्तकाध्यक्ष	४
१०—अहलमद अपील	२
११—नकल नवीस	५
१२—अहलमद नीलाम	४
१३—पेशकार	२
१४—सहायक रेवेन्यू असिस्टेंट	१
१५—सहायक अहलमद आबकारी	१
१६—सहायक जनरल क्लर्क	३
१७—अहलमद असलाह	३
१८—सहायकवासिल वाकेनवीस	२
१९—एनडेक्सर	१
२०—स्टेटमेंट कम्पाइलर	१
२१—अमीन	१
२२—भूमि प्राप्ति लिपिक	१
२३—बस्ता बरदार	१
२४—सहायक जुडिशियल असिस्टेंट	१
२५—दफ्तरी	२
२६—चपरासी	८
२७—चेनमैन	२
योग	२६९

(बचत—रु० ३,६०,६००)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सूची 'ख'

सचिवालय पुनस्संगठन योजना के अन्तर्गत उन पदों का विवरण जो २८–२–१९५८ तक समाप्त किये गये :—

पदों का नाम	पदों की संख्या
१—सहायक अधीक्षक	१
२—प्रवर वर्ग सहायक	१५
३—संदर्भलिपिक	१
४—प्रवर वर्ग सहायक	१७
५—चपरासी	२
योग	३६

(बचत—रु० ८,३००)

सूची 'ग'

माल परिषद् पुनस्संगठन योजना के अन्तर्गत उन पदों का विवरण जो २८–२–१९५८ तक समाप्त किये गये :—

पदों का नाम	पदों की संख्या
१—उप भूमि व्यवस्था आयुक्त	३
२—आशुलिपिक	३
३—जमादार और चपरासी	९
योग	१५

(बचत—रु० ५०,८००)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ २४७ पर)

विधान सभा, उत्तर प्रदेश के १९५८ के प्रथम सत्र के प्रथम गुरुवार के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या ३० के उत्तर के साथ प्रस्तुत सूची

सघन विकास खण्ड, हसायन, जिला अलीगढ़ में उसके खुलने की तिथि जनवरी २६, १९५५ से जनवरी ३१, १९५८ तक हुये कार्यों पर किये गये व्यय का विवरण:—

क्रम-संख्या	मद		व्यय रु०
१	अधिकारियों का वेतन	८,४०५	१,१०,१३५
२	कर्मचारियों का वेतन	१,०१,७३०	
३	भत्ता	४३,५०७	१,००,३१९
४	प्रासंगिक व्यय (१) आवर्त्तक व्यय	३६,१३१	
	(२) अनावर्त्तक व्यय	२०,६८१	
५	अनुदान		
	(स्वास्थ्य एवं ग्रामीण स्वच्छता)		
	(१) कूप निर्माण		७,०००
	(२) खरन्जा		२३,४९७
	(३) औषधालय		८००
	(४) नेत्र रक्षा शिविर		५००
			३१,७९७
	(शिक्षा)		
	(१) पंचायत घर एवं स्कूल		९,८९७
	(२) स्कूल		४,८३०
	(३) पुस्तकालय		१,१००
	(४) समाज मिलन केन्द्र		४८०
	(५) व्यायामशाला		१५०
			१६,४५७
	यातायात		
	(१) पुल		१,३५०
	(२) पुलिया		२१,६४०
	(३) सड़क		१५,५१०
			३८,५००

(कृषि एवं पशु पालन)

(१) सामुदायिक उद्यान	. . . .	३७५
(२) कुक्कुट पालन केन्द्र	. . . .	१३०
		५०५
कुल अनुदान	. .	८७,२५९

ऋण (सिंचाई)

(१) सिंचाई कूप . .	. . . .	१४,१५०
(२) रहट . .	. . . .	४,४००
(३) बोरिंग . .	. . . .	८००
		१९,३५०

(भूमि सुधार)

(१) भूमि सुधार . .	. . . .	८००	
(२) कृषि एवं पशुपालन—			
(१) दुग्ध पशु . .	. . . .	१०,४५०	१३,९००
(२) कृषि यन्त्र . .	. . . .	३,४५०	
७ राजकीय सिंचाई कार्य	. . . .	१,५८,३५३	
८ कार्यालय भवन तथा अन्य भवन निर्माण कार्य	. .	५०,४७६	
९ अनुदान का रुपया जो जिला नियोजन समिति के व्यक्तिगत लेखे में रखा है और आवश्यकतानुसार व्यय किया जायेगा	. . . . .	८३,६४१	
योग	. .	६,२४,२३३	

नोट :—इस खण्ड में दो प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र चर्मकला तथा लोहारगीरी के खोले गये हैं जिन पर क्रमशः ११,३५२ तथा ९,१९३ रुपया पृथक-पृथक व्यय किया गया है जो कि कर्मचारियों के वेतन, भत्तों, तथा प्रासंगिक व्ययों में सम्मिलित है ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २४९ पर)

आजमगढ़ जिले में बिजली से चलने वाले तेल के मिलों की संख्या जो फैक्ट्रीज ऐक्ट के अधीन नहीं आता :—

क्रम-संख्या	जगह का नाम	मिलों की संख्या	मजदूरों की संख्या
१	निजामाबाद	४	२
२	पीपरी डीह	२	१
३	" "	२	१
४	महुहरआ	४	२
५	अवन्ती	४	२
६	पिकापुर	२	१
७	चुकखोट पो० आ० सरायमीर . .	२	१
८	संजरपुर	२	१
९	पालिया पो० आ० सरायमीर . .	२	१
१०	जगदीशपुर	२	१
११	हईकोशी पो० आ० सगरी . .	४	१
१२	अवन अदीब	४	१
१३	विलरिया	२	१
१४	बाजार चोसी	४	२
१५	मन्डिया	२	१
१६	मिलामपुर	२	१
१७	गोपालपुर	२	१
१८	महाराजगंज	४	१
१९	कन्धारपुर	२	१
२०	दोहरीघाट	२	१
२१	अमोल	८	२
२२	घोसी	२	१
२३	कोचागंज	४	१
२४	नदबासराई	२	१
२५	लखनावर	२	१
२६	रामपुर	४	१
२७	अहिलास	४	१
२८	अमोला	२	१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	जगह का नाम	मिलों की संख्या	मजदूरों की संख्या
२९	सिगाह	४	२
३०	दोबरी	८	२
३१	बोरहानपुर	१४	४
३२	अहिरोला	१०	४
३३	महूस	२	१
३४	खरीदीपुर	४	२
३५	पलाठी	२	१
३६	यहुवारा	२	१
३७	सिकरौर	२	१
३८	चितापुर	४	१
३९	बिलाहरी	२	१
४०	जगदीशपुर पो० आ० जहानागंज	४	१
४१	बड़हलगंज पो० आ० चिरकोट . .	४	१
४२	नानथीपुर	२	१
४३	करहा	४	१
४४	वाजीर पो० आ० मुहादाबाद . .	२	१
४५	नईबाजार	२	१
४६	अवलगंज	२	१
४७	कोपागंज	४	२
४८	अम्बारी	४	१
		१६४	६३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५६ पर)

तालिका

इस प्रदेश की चीनी मिलों का उत्पादन गत् पांच वर्षों में प्रतिवर्ष इस प्रकार है :—

वर्ष		मात्रा चीनी उत्पादन (लाख मनों में)
१९५३–५४	. .	१५२.१७६
१९५४–५५	. .	२४५.८५८
१९५५–५६	. .	२६९.३१५
१९५६–५७	. .	२९४.१७९
१९५७–५८	. .	२५६.४५

चीनी उत्पादन उद्योग में अधिक क्षमता उत्पन्न करने के लिये निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं:—

१—गन्ने की किस्म को उन्नत करने के लिये अन्वेषण ।

२—रिकवरी प्रतिशत बढ़ाने के लिये मिलों को गन्ना Maturity-wise देना ।

३—गन्ने की उपज तथा उसमें चीनी पदार्थ (Sugar content) की मात्रा बढ़ाने के लिये उपयुक्त खाद तथा सिंचाई व खेती बारी के ढंगों का अनुसंधान ।

४—चीनी का निर्यात एवं दक्षिण से प्रतियोगिता करने के लिये रेलवे फ्रेट (Railway freight) की बढ़ी हुई दरों में पर्याप्त रूप से कमी कराने का प्रयत्न ।

५—केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदेश की बहुत सी मिलों को उनकी सामर्थ्य (Capacity) बढ़ाने के लिये लाइसेंस दिया जाना ।

६—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बाजपुर (नैनीताल), बागपत (मेरठ), सरखाबा (सहारनपुर) मझोला (पीलीभीत), स्थानों पर सहकारी चीनी मिल तथा किच्छा (नैनीताल) में एक ज्वाइंट शुगर स्टाक फैक्टरी के संस्थापन का प्रयत्न ।

गत पांच वर्षों में चीनी और पेरे जाने वाले गन्ने का औसत अनुपात अर्थात रिकवरी का प्रतिशत इस प्रकार है:—

वर्ष				रिकवरी का प्रतिशत
१९५३–५४	. .	. .	. .	९.८८
१९५४–५५	. .	. .	. .	९.६६
१९५५–५६	. .	. .	. .	९.७२
१९५६–५७	. .	. .	. .	९.६९
१९५७–५८	. .	. .	. .	९.९२

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५७ पर)

प्रश्न संख्या ६१ के उत्तर का विवरण

वर्ष	अलाटमेन्ट	व्यय	टीका
१	२	३	४
	रु०	रु०	
१९५६–५७	२,३४,९१४.००	२,९१,०१४.०९	व्यय के अंक अलाटमेन्ट के अंक से अधिक है, क्योंकि १९५६–५७ में व्यय के दौरान में १९५५–५६ की बचत के कुछ अंश का उपयोग कर लिया गया है ।
१९५७–५८	३,९६,१४४.००	३,०७,६३१.८०	——

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५८ पर)

प्रश्न संख्या ६२ के उत्तर का विवरण
१९५६–५७ में किये गये कार्यों की सूची

क्रम-सं०	कार्यों का नाम	व्यय
१	प्रदर्शनी	१०,१४५.९
२	छपाई आदि	३७७.३७
३	लोक स० सेना शिविर	१,५००.००
४	प्रशिक्षण आदि	२४८.६९
५	श्रमदान सड़क	६,१४१.५६
६	सामुदायिक बन तथा बाग	३२,४८८.०८
७	पुलियों सड़क आदि	७५०.००
८	पेय सुविधा हेतु	२९,८११.००
९	स्कूल प० घर आदि	४७,२५०.४०
१०	गली नाली	७,१८५.९२
११	बीज गोदाम	१,९२०.००
१२	शिशु उद्यान	२,८६०.००
१३	यातायात सुविधा	३४,३५९.००
१४	जन-स्वास्थ्य	७,३४३.८३
१५	ग्राम पुनर्निर्माण	१२,९४२.५६
१६	पशु चिकित्सा पटि०	१,८५१.१७
१७	कृषि प्रदर्शन	१,८५१.६६
१८	प्रति दिवस की मजदूरी	१,५२३.८७
१९	भूमि संरक्षण	२६१.३३
२०	पैट्रोल आदि	२५,६२५.१७
२१	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	३,१९४.४८
२२	सहकारी संघों को अनुदान	५००.००
२३	मधुमक्खी पालन	४३४.००
२४	रेशम उद्योग	६२८.२०
२५	मुर्गी पालन	२००.००
२६	मिश्रित	१,८३२.९१
२७	गैर सरकारी शक्तियों पर व्यय	१७०.८१
२८	अवैतनिक कार्य-कर्त्ताओं को बोनस	१००.००
२९	जन-स्वास्थ्य सामग्री	१,८५७.९८
३०	सूचना केन्द्र सामग्री	५,५५६.१२
३१	सामुदायिक केन्द्रों तथा पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें आदि	३,६९९.७३
३२	विकास मेला	६,२०२.६२
३३	मन्दिर से अनुदान	५००.००
३४	प्रोजेक्ट तथा जैनरेटर पर व्यय	२,४६२.९७
३४(क)	प्रशिक्षण शिविरों हेतु	४,३५८.१७
३५	दृश्य दर्शन	१,९३५.८४
३६	सामुदायिक केन्द्रों के अनुदान	१,६५७.७५

विधान सभा

क्रम-संख्या	कार्यों का नाम	व्यय
३७	नवयुवक दल कृषि तथा शिक्षा प्रसार . .	२,१९९.४८
३८	कैमरा	३८३.८१
३९	प्रोजेक्टर	२.४९६.००
४०	पशुपालन	९९७.५८
४१	वार्षिक मरम्मत	२३,१९०.९४
	योग . .	२,९१,०१४.०९

१९५७–५८ में किये गये कार्यों की सूची

१	यातायात	१४,९११.००
२	गली नाली	६,१३८.००
३	पेय सुविधा	१४,३५२.००
४	स्कूल प० घर	२६,५६०.००
५	सामुदायिक वन आदि	१,००३.५६
६	सांस्कृतिक कार्य	९९.००
७	शिविर	७९६.००
८	कृषि यन्त्र	५४.००
९	प्रदर्शनी	७,४००.००
१०	छपाई आदि	१९३.२४
११	सामुदायिक पशुशाला	५००.००
१२	बीज गोदाम	१,४८०.००
१३	जन स्वास्थ्य	५,०७५.००
१४	ग्राम पुनर्निर्माण	७,३३५.००
१५	पशु चिकित्सा	१,७३५.००
१६	कृषि प्रदर्शन	३००.००
१७	प्रति दिवस की मजदूरी	१,८४०.००
१८	भूमि संरक्षण	४,८४०.००
१९	पैट्रोल आदि	१८,५००.००
२०	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	३,०५०.००
२१	रेशम उद्योग	८७०.००
२२	मुर्गी पालन	१,२००.००
२३	मिश्रित	५,०००.००
२४	जन-स्वास्थ्य सामग्री	१,४५०.००
२५	सूचना केन्द्र सामग्री	७०.००
२६	सामुदायिक केन्द्रों तथा पुस्तकालयों के लिये पुस्तकें आदि	३,३५०.००
२७	विकास मेला	४,२७५.००
२८	प्रशिक्षण शिविरों	९,८००.००
२९	प्रोजेक्ट तथा जैनरेटर पर व्यय	१,१२५.००
३०	नवयुवक दल कृषि तथा शिक्षा प्रसार . .	१,०००.००
३१	पशुपालन	७००.००
३२	वार्षिक मरम्मत	११,३००.००
३३	ऋण	१,५०,०००.००
३४	अनुदान	८,३३०.००
	योग . .	३,०७,६३१.८०

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २५८ पर)

प्रश्न संख्या ६३ के उत्तर का विवरण

जो कच्ची सड़कें पक्की बनाई जा चुकी हैं:—

क्रम-सं०	नाम सड़क	अनुदान जो व्यय किया गया
		रु०
१	लखना डिमौली	५,८९४.००
२	चकरनगर सहसो	४,२२३.००
३	बहेड़ा सड़क	१,७५४.६९
	योग . .	११,८७१.६९

जो कच्ची सड़कों को पक्का कराया जा रहा है तथा जिनमें कार्य अभी चालू है

क्रम-सं०	नाम सड़क	अनुदान जो व्यय किया गया
		रु०
१	सुनवसी फंडर	३,३५०.६२
२	शेरपुर फंडर	१,३९०.९४
३	व्यासपुर फंडर	२,३५०.००
४	गुलाबपुरा फंडर	३,०००.००
५	इकदिल फंडर	७३३.१४
६	भरथना रेलवे	२,८००.००
७	भरथना अमरसेंडा	९,८००.००
८	भरथना कैवा	४,२५०.००
९	महेवा अहेरीपुर	१०,०००.००
१०	अहेरीपुर निवाड़ी	११,१६२.८४
११	बहेड़ा फंडर	८००.००
१२	वांवरपुर अटसू	८,४००.००
१३	जुआ अटसू	८,८४२.००
१४	चांदपुर	१,११७.१९
१५	फर्वेदे खोयला	४,३००.००
१६	खोयला सरैया	६,४००.००
१७	सहार सहायुल	६,६००.००
१८	फफूंद भरापुर	. .
१९	भरापुर जग्रा	. .
२०	बेला मल्हौसी	३,०००.००
	योग . .	८८,२९६.७३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २७७ पर)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८

जिला परिषदों की स्थापना को सरल बनाने के उद्देश्य से जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासन कार्यों के अन्तरिम प्रशासन की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश के जिलों के आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन एवं स्वायत्त शासन संबंधी कार्यों के समन्वित प्रशासन के लिये परिषदों की स्थापना को सरल बनाने के निमित्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासन के अन्तरिम प्रशासन के लिये अन्तरिम जिला परिषदों की स्थापना की व्यवस्था करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश, १९५८, गवर्नर द्वारा २९ अप्रैल, १९५८ को प्रख्यापित किया गया था;

और यह इष्टकर है कि उक्त अध्यादेश, जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) के अधीन विधान मंडल के पुनःसमवेत होने से ६ सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा अनुस्थापित कर दिया जाय,

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८, कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह २९ अप्रैल, १९५८ से प्रवलित हुआ समझा जायगा ।

परिभाषा

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में—

यू० पी० एक्ट ३, १९०१

(क) "अन्तरिम जिला परिषद्" का अर्थ है धारा ४ के अधीन संघटित अन्तरिम जिला परिषद्;

(ख) "कलेक्टर" का अर्थ है यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, १९०१ की धारा १४ के अधीन नियुक्त कलेक्टर ;

(ग) "जिला नियोजन समिति" का अर्थ है समय-समय पर यथा संशोधित तथा अनुसूची में उद्धृत शासकीय स्मृति-पत्र संख्या १०१७८—पी० ३५—१५२—पी०—५५, दिनांक २२ अक्तूबर, १९५५ के अधीन संघटित जिला नियोजन समिति ;

(घ) "सरकारी सदस्य" का अर्थ है जिला-परिषद् के वे सदस्य जो राज्य-सरकार की सेवा में हैं ;

(ङ) "आदेश" का अर्थ है शासकीय गजट में प्रकाशित आदेश ;

(च) "राज्य सरकार" का अर्थ है उत्तर प्रदेश की सरकार; और ।

(छ) शब्द तथा अभिव्यक्ति "बोर्ड", "कमेटी", "जिला बोर्ड", "प्रेसीडेन्ट" और "ग्रामीण क्षेत्र" के वही अर्थ होंगे जो यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में शब्द तथा अभिव्यक्ति "बोर्ड" (Board), "कमेटी" (Committee), "डिस्ट्रिक्ट बोर्ड" (District Board), "प्रेसीडेन्ट" (President) और "रूरल एरिया" (Rural Area), को क्रमशः दिये गये हैं। यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२।

जिला बोर्डों का कृत्य - सम्पादन समाप्त करना।

३—यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में, किसी भी बात के होते हुये भी, पहली मई, १९५८ ई० से—

(क) उत्तर प्रदेश के समस्त जिला बोर्ड, जिनके अन्तर्गत भदोही का उप-जिला बोर्ड (Sub-District Board) भी है, तथा उपर्युक्त ऐक्ट के अधीन संघटित ऐसे बोर्डों की समस्त कमेटियां कृत्य-संपादन समाप्त कर देंगी तथा ऐसे प्रत्येक बोर्ड के सब सदस्य और प्रेसीडेन्ट तथा ऐसी प्रत्येक कमेटी के सब सदस्य अपना-अपना पद रिक्त कर देंगे और उनके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उन्होंने अपने-अपने पद रिक्त कर दिये हैं, तथा यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२।

(ख) खंड (क) द्वारा प्रभावित प्रत्येक बोर्ड के विषय में, कलेक्टर बोर्ड के मामलों का प्रशासन संभाल लेगा तथा जब तक इस अधिनियम के अधीन उसके जिले के लिए अन्तरिम जिला परिषद् संघटित न हो जाय तब तक वह यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अथवा अन्य किसी विधि के अधीन बोर्ड, प्रेसीडेन्ट तथा बोर्ड की कमेटियों के समस्त विषयों से, जिसके अन्तर्गत निधि और संपत्ति भी हैं, संबद्ध अधिकारों, कृत्यों तथा कर्त्तव्यों का प्रयोग, सम्पादन तथा पालन करेगा, जैसे कि कलेक्टर ही यथावसर बोर्ड, प्रेसीडेन्ट, अथवा कमेटी हो। यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२।

अन्तरिम जिला परिषदों का संघटन।

४—(१) आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन एवं जिले के स्वायत्त शासन के कार्यों के समन्वित प्रशासन के लिए जिला परिषदों की स्थापना को सरल बनाने तथा निर्विघ्न संक्रमण सुनिश्चित करने के विचार से राज्य सरकार शासकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में अन्तरिम जिला परिषद् संघटित करेगी जो . . . . (जिले का नाम) जिले की अन्तरिम जिला-परिषद् कहलायेगी और जो सतत् अनुक्रम तथा सामान्य मुद्रा वाली एक निगमित निकाय होगी तथा वह इसी नाम से वाद प्रस्तुत कर सकेगी तथा उसके विरुद्ध इसी नाम से वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा—

(२) जिले की अन्तरिम जिला परिषद् में निम्नलिखित होंगे:—

(क) जिले की जिला नियोजन समिति के सब सदस्य ;

(ख) पांच सदस्य, जो उन व्यक्तियों के निर्वाचक-गण द्वारा निर्वाचित हों, जो ३० अप्रैल सन् १९५८ ई० को

भूतपूर्व जिला बोर्ड के सदस्य तथा प्रेसीडेन्ट थे, अथवा जो राज्य सरकार द्वारा धारा ५ के अधीन नाम निर्दिष्ट हों; और

(ग) केवल वाराणसी जिले के विषय में, दो सदस्य जो व्यक्तियों के निर्वाचक-गण द्वारा निर्वाचित हों, जो ३० अप्रैल, सन् १९५८ ई० को भदोही के भूतपूर्व उप-जिला बोर्ड (Sub-District Board) के सदस्य तथा प्रेसीडेन्ट थे, अथवा जो राज्य सरकार द्वारा धारा ५ के अधीन नाम निर्दिष्ट हों ।

(३) कलेक्टर अन्तरिम जिला परिषद् का अध्यक्ष होगा और जब वह उपस्थित होगा तो जिला परिषद् की सब बैठकों में सभापतित्व करेगा ।

(४) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, अन्तरिम जिला परिषद् के सरकारी सदस्यों को उसकी बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को अन्तरिम जिला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करते समय निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।

अन्तरिम जिला परिषद् के लिये सदस्यों का निर्वाचन अथवा नाम-निर्देश ।

५—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद यथाशीघ्र, किन्तु १० मई, १९५८ के बाद नहीं, मिर्जापुर, रामपुर तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों के अतिरिक्त प्रत्येक जिले का निर्वाचक-गण धारा १५ के अधीन निर्मित नियमों में दी हुई रीति से एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार अपने पांच सदस्यों को अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य निर्वाचित करेगा ।

(२) जब कोई निर्वाचक-गण पूर्वगामी उपधारा में व्यवस्थित रीति से तथा अवधि के भीतर सदस्य अथवा अपेक्षित संख्या में सदस्य निर्वाचित करने में असमर्थ रहे तो राज्य सरकार पांच अथवा इससे कम उतने व्यक्ति जितने कि संबद्ध निर्वाचक-गण निर्वाचित करने में असमर्थ रहा हो, नाम-निर्दिष्ट कर सकती है और ऐसे व्यक्ति धारा ४ की उपधारा (२) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य होंगे ।

(३) मिर्जापुर, रामपुर और टेहरी-गढ़वाल जिलों में से प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार पांच व्यक्तियों को अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगी ।

(४) भदोही के निर्वाचक-गण द्वारा दो सदस्यों का निर्वाचन अथवा धारा ४ की उपधारा (२) के खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उनका नाम-निर्देश यथावश्यक परिवर्तनों के साथ उपधारा (१) तथा (२) में व्यवस्थित प्रतिबन्धों एवं रीति के अनुसार किया जायगा ।

अन्तरिम जिला परिषद् के संघटन के परिणाम ।

यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२

६—जिले के लिए अन्तरिम जिला परिषद् का संघटन करने वाली विज्ञप्ति के जारी होने पर तथा यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में किसी भी बात के होते हुए भी, ऐसी विज्ञप्ति के जारी होने के दिनांक से नीचे दिए हुए परिणाम उत्पन्न होंगे—

(१) जिला बोर्ड अथवा उसकी किसी भी कमेटी के समस्त विषयों से जिनके अन्तर्गत निधि और संपत्ति भी हैं, संबद्ध,

सब अधिकार, कृत्य और कर्तव्य, चाहे वे उपर्युक्त विधायन के अधीन हों अथवा अन्य किसी विधि के अधीन हों, अंतरिम जिला परिषद् में निहित होंगे और यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ तथा अन्य किसी विधि के प्रशासन के लिए अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा अथवा उसके प्राधिकार से प्रयुक्त, संपादित एवं पालित होंगे, जो (अन्तरिम जिला परिषद्) कि विधितः यथावसर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अथवा कमेटी समझी जायेगी । यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२ ।

(२) प्रेसीडेन्ट के समस्त अधिकार, कृत्य तथा कर्तव्य, चाहे वे उक्त विधायन के अधीन हों अथवा अन्य किसी विधि के अधीन, कलेक्टर में निहित होंगे और यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ अथवा अन्य किसी विधि के प्रशासन के लिये कलेक्टर, जिसे विधि की दृष्टि से प्रेसीडेंट समझा जायगा, द्वारा अथवा उसके प्राधिकार से प्रयुक्त, संपादित और पालित होंगे ।

(३) कलेक्टर धारा ३ के खंड (ख) के अधीन कृत्य-संपादन समाप्त कर देगा ।

(४) मिर्जापुर जिले के विषय में, यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट १९२२, की धारा १०१ के खंड (बी) के अधीन नियुक्त व्यक्ति कृत्य-संपादन समाप्त कर देंगे । यू० पी० ऐक्ट १२ १९२२ ।

(५) रामपुर तथा टेहरी-गढ़वाल जिलों के विषय में, अन्य धाराओं के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, इस धारा के अधीन परिणाम उसी प्रकार उत्पन्न होंगे मानो कि इन जिलों में इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय बोर्ड विद्यमान रहे हों ।

(६) जब तक किसी जिले में यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के उपबन्धों के अधीन शिक्षा अधीक्षक (Superintendent of Education) नियुक्त नहीं किया जाता, तब तक राज्य सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार ने अपने अधिकार सौंप दिये हों, नियुक्ति के अधीन उस समय जिले में विद्यालय-उपनिरीक्षक (Deputy Inspector of Schools) का पद धारण करने वाला व्यक्ति उक्त अधिनियम या उस समय प्रचलित किसी विधि के प्रशासन के प्रयोजनों के लिये शिक्षा अधीक्षक के अधिकारों, कृत्यों एवं कर्तव्यों का प्रयोग, संपादन तथा पालन करेगा ।

(७) जिले में नियत दिनांक के ठीक पूर्व के दिनांक को प्रचलित यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ से भिन्न किसी विधायन या उसके अधीन बने या जारी किये गये और उन जिले में उक्त दिनांक को प्रचलित किसी नियम, आज्ञा या विज्ञप्ति में जब तक कि भिन्न आशय प्रतीत न हो--

(क) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अधीन संघटित जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रति अभिदेशों को यह समझा जायगा कि वे उक्त जिले की अन्तरिम

जिला-परिषद् के प्रति हैं तथा ऐसे विधायन, नियम, आज्ञा या विज्ञप्ति उक्त अन्तरिम जिला परिषद् पर तदनुसार लागू होंगे;

(ख) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अधीन संघटित डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेन्ट या वाइस-प्रेसीडेन्ट के प्रति अभिदेशों को यह समझा जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के प्रति हैं;

(ग) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के अधीन संगठित जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्यों के प्रति अभिदेशों को यह समझा जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन उस जिले के लिये संघटित अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों के प्रति हैं ।

(८) राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे आनुषंगिक अथवा पारिणामिक उपबंध, जिनके अन्तर्गत उक्त अधिनियम के किसी उपबंध का निलम्बन भी है, बना सकती है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अथवा किसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक अथवा वांछनीय प्रतीत हों ।

(९) विशेषतः तथा खंड (६) की व्यापकता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, राज्य सरकार उसी अथवा बाद के किसी आदेश द्वारा व्यवस्था कर सकती है कि उपर्युक्त ऐक्ट उक्त अवधि पर्यन्त अथवा ऐसी बढ़ी हुई अवधि पर्यन्त जो समय-समय पर निर्दिष्ट की जाय उस जिला बोर्ड अथवा उप-जिला बोर्ड के क्षेत्र में जिसका प्रशासन अंतरिम जिला परिषद् ने सम्हाल लिया हो ऐसे अनुकूलनों, परिवर्तनों अथवा परिष्कारों सहित जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक अथवा इष्टकर हों, प्रभावी रहेगा ।

अंतरिम जिला परिषद् का उपाध्यक्ष ।

७—(१) वह व्यक्ति जो ३० अप्रैल, १९५८ को जिला बोर्ड का प्रेसीडेन्ट होने के नाते जिला नियोजन समिति का सदस्य था, अंतरिम जिला परिषद् का उपाध्यक्ष होगा और बना रहेगा ;

प्रतिबन्ध यह है यदि जिला नियोजन समिति में ऐसा कोई सदस्य न रहा हो तो अंतरिम जिला परिषद् अपने संघटन के पश्चात पहली बैठक में अपने सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लेगी ।

(२) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अंतरिम जिला परिषद् की बैठकों में सभापतित्व करेगा तथा अन्य ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जो कलेक्टर अथवा अंतरिम जिला परिषद् उसे सौंपे ।

(३) जब कभी उपाध्यक्ष-पद रिक्त हो तो अंतरिम जिला परिषद् अपने सदस्यों में से किसी एक को उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लेगी ।

अंतरिम जिला परिषद् की सदस्यता में आकस्मिक रिक्तियां।

८—किसी सदस्य की मृत्यु या उसके त्याग-पत्र पर अथवा अन्यथा होने वाली अंतरिम जिला परिषद् की सदस्यता की कोई भी आकस्मिक रिक्ति धारा १५ के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार भरी जायगी अथवा रिक्त रखी जायगी ।

अंतरिम जिला परिषद् की कार्यवाहियां ।

९—राज्य सरकार अंतरिम जिला परिषद् की बैठकों के संयोजन की रीति की तथा बैठकों में अनुसरणीय प्रक्रिया की व्यवस्था नियमों द्वारा करेगी ।

अंतरिम जिला परिषद् जिला नियोजन समिति के कृत्यों का सम्पादन करेगी।

१०—यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में किसी भी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अंतरिम जिला परिषद् को निदेश दे सकती है कि शासकीय गजट में विज्ञापित किये जाने वाले दिनांक से व जिला नियोजन समिति के कृत्य तथा अन्य ऐसे अतिरिक्त कृत्य, यदि कोई हों तो, जिन्हें निर्दिष्ट किया जाय संपादित करेगी और तत्पश्चात् जिला नियोजन-समिति उस रूप में कृत्य-संपादन समाप्त कर देगी । यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२

अंतरिम जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।

११—यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में किसी भी बात के होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (नियोजन) अथवा जिले के जिला नियोजन अधिकारी के रूप में नियुक्त अथवा पदयुक्त कोई भी अधिकारी अंतरिम जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और उक्त ऐक्ट के अधीन सेक्रेटरी के समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा और कृत्यों तथा कर्त्तव्यों का सम्पादन करेगा और उस समय बोर्ड के सेक्रेटरी के पद पर आसीन व्यक्ति उक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी की उसके कृत्यों के संपादन में सहायता करेगा और उसके सामान्य नियन्त्रण के अधीन होगा । यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२

अंतरिम जिला परिषद् पर नियंत्रण ।

१२—(१) जब कलेक्टर की राय हो कि अंतरिम जिला परिषद् का कोई भी कार्य अथवा संकल्प लोक-हित के विरुद्ध है तो वह राज्य सरकार के पास तत्सम्बन्धी कारण लिखते हुए अभिदेश भेज सकता है ।

(२) राज्य सरकार अभिदेश पर विचार करने के तथा अंतरिम जिला परिषद् को कलेक्टर की राय का उत्तर देने के लिए ऐसा अवसर देने के बाद जिसे वह उचित समझे, उस कार्य अथवा संकल्प को निरसित अथवा परिष्कृत कर सकती है तथा ऐसी आनुषंगिक अथवा पारिणामिक आज्ञायें भी दे सकती है जिन्हें वह उचित समझे ।

(३) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी भी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार स्वतः अथवा अन्यथा अंतरिम जिला परिषद् से इस बात का कारण बताने के लिए कह सकती है कि उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य अथवा पारित कोई भी संकल्प निरसित अथवा परिष्कृत क्यों न कर दिया जाय तथा अंतरिम जिला परिषद् के उत्तर पर, यदि कोई हो तो, विचार करने के बाद उस कार्य अथवा संकल्प को निरसित अथवा परिष्कृत कर सकती है तथा ऐसी आनुषंगिक अथवा पारिणामिक आज्ञायें दे सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(४) राज्य सरकार, जब भी वह आवश्यक समझे, लिखित आज्ञा द्वारा अन्तरिम जिला परिषद् को इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों तथा कर्त्तव्यों के सम्पादन के लिये ऐसे निदेश दे सकती है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

(५) जब उपधारा (१) के अधीन कोई अभिदेश किया गया हो तो राज्य सरकार अथवा कलेक्टर तथा उपधारा (३) के अधीन कार्य करते हुए राज्य सरकार, ऐसी अंतरिम आज्ञायें, जिनके अन्तर्गत किसी संकल्प के निष्पादन के रोकने की आज्ञा भी है, जिन्हें वह आवश्यक समझे, दे सकती है ।

(६) अंतरिम जिला परिषद्, कलेक्टर तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कर्त्तव्य होगा कि वे राज्य सरकार की उपधारा (२), (३), (४) और (५) के अधीन आज्ञाओं का पालन करें ।

वैधीकरण

१३—(१) इस अधिनियम में किसी भी बात के होते हुये भी, धारा ४ की उपधारा (१) के अधीन विज्ञप्ति प्रचारित होने पर अंतरिम जिला परिषद् विधिवत् संघटित हुई समझी जायगी तथा विधिवत् संघटित बनी रहेगी, यद्यपि—

(क) जिला नियोजन समिति की सदस्यता में कोई रिक्ति थी अथवा हो जाय ;

(ख) सम्बद्ध निर्वाचक-गण धारा ५ के अधीन सदस्य निर्वाचित करने में असमर्थ रहे हों अथवा राज्य सरकार उसी धारा के अधीन नाम निर्देश करने में असमर्थ रही हो ;

(ग) जिला नियोजन समिति के संघटन में कोई त्रुटि अथवा अनियमितता थी; अथवा

(घ) जिला बोर्ड के सदस्य तथा प्रेसीडेंट धारा ३ के अधीन पद रिक्त कर देते हैं ।

(२) अंतरिम जिला परिषद् द्वारा अपने अधिकारों के प्रयोग या कथित प्रयोग अथवा कर्त्तव्य-पालन के रूप में किये गये किसी कार्य अथवा दी गई किसी आज्ञा अथवा पारित किसी संकल्प की वैधता पर प्रक्रिया की किसी अनियमितता के आधार पर किसी न्यायालय में प्रश्न न उठाया जा सकेगा ।

यू० पी० ऐक्ट १२, १९२२ ।

अंतरिम जिला परिषद् के व्यय तथा आय जिला बोर्ड निधि से किये जायेंगे तथा उसमें आकलित होंगे ।

१४—यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में किसी भी बात के होते हुए भी—

(क) अंतरिम जिला परिषद् द्वारा अपनी बैठकों पर तथा इस अध्यादेश के अधीन अथवा उस समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन अपने कृत्यों पर किया गया व्यय जिला बोर्ड निधि पर भारित किया जायगा और उसी से किया जायगा ;

(ख) राज्य सरकार के किसी विपरीत निदेश के अथवा अन्तरिम जिला परिषद् को स्वीकृत अथवा उधार दी गयी निधि के व्यय की रीति के विषय में निदेशों के अधीन रहते हुए, जिले के नियोजन और विकास कार्य के सम्बन्ध में अन्तरिम जिला परिषद् को प्राप्त समस्त निधियां और संपत्ति जिला बोर्ड की निधि तथा संपत्ति का भाग होंगी ;

प्रतिबन्ध यह है कि वाराणसी जिले के सम्बन्ध में ऐसा व्यय तथा ऐसी निधियां और संपत्ति जिला बोर्ड वाराणसी तथा उप-जिला बोर्ड भदोही के बीच उस अनुपात में बांटी जायंगी जो धारा १५ के अधीन निर्मित नियमों में दिया जाय ।

राज्य सरकार द्वारा नियम बनाये जाना ।

१५—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन से नियम, जिनके अन्तर्गत अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा कार्य संचालन के लिये नियम भी हैं, बना सकती है ।

(२) जहां तक कि इस अधिनियम के अधीन बने नियम किसी विषय के संबंध में व्यवस्था नहीं करते या अपर्याप्त व्यवस्था करते

हैं वहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ के उपबन्ध तथा उसके अधीन बने नियम, विनियम और उपविधियां आवश्यक परिवर्तनों के साथ तथा उस आयात तक जहां तक कि वे इस अधिनियम या उसके अधीन बने नियमों के उपबन्धों से असंगत न हों, ऐसे विषय को विनियमित करती रहेंगी ।

(३) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अध्यादेश, १९५८ के अधीन बने समस्त नियम इस अधिनियम के अधीन बने नियम समझे जायेंगे ।

प्रतिनिधान

१६—यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ में किसी बात के होते हुए भी, अन्तरिम जिला परिषद् अपने किन्हीं अधिकारों एवं कृत्यों को अध्यक्ष या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो नियमों द्वारा नियत किया जाय, सौंप सकती है तथा अध्यक्ष अपने किन्हीं अधिकारों एवं कृत्यों को उपाध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को या किसी ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो नियमों द्वारा नियत किया जाय सौंप सकता है ।

निरसन अपवाद इत्यादि ।

१७—(१) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद्, १९५८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा यू० पी० जनरल कलाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों यह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित विधायन हो ।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट अध्यादेश की धारा ३, ४, ५, ८ तथा १० के अधीन किया गया समस्त कार्य इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य समझा जायगा तथा उक्त अध्यादेश के अधीन संघटित तथा उस समय पर कार्य करती हुई अन्तरिम जिला परिषद् उस अधिनियम के अधीन कार्य करती हुयी समझी जायगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश सरकार

नियोजन विभाग

संख्या १०१७८—पी/३५—१५२-पी-५५
लखनऊ, २२ अक्तूबर, १९५५ ई०

स्मृति-पत्र

विषय—जिला नियोजन समितियों का पुनर्निर्माण ।

जिला नियोजन समितियों और उनकी उप-समितियों का निर्माण स्मृति-पत्र संख्या १८५७—पी/३९—पी-५०, दिनांक १ अक्तूबर, १९५२ तथा बाद के आदेशों में हुआ था । समितियों के कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार ने इनको पुनः निर्मित करने का निश्चय किया है । अतः पिछले तीन साल के अनुभव के आधार पर इनको बनाने के लिए निम्नलिखित आदेश दिये जाते हैं :—

२—जिला नियोजन समितियां अब इस प्रकार निर्मित की जावें :—

(१) सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् जो कि जिले में रहते हों या

उस जिले के प्रतिनिधि हों (यह इस प्रकार किया जावे कि एक सदस्य एक ही जिले की कमेटी पर रहे)।

(२) एक हरिजन कार्यकर्ता, यदि सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में से कोई हरिजन सदस्य नहीं है। यह हरिजन सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किये जावेंगे।

(३) सामाजिक तथा रचनात्मक एक महिला कार्यकर्ता, यदि सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में से कोई महिला न हो। महिला सरकार द्वारा मनोनीत की जावेगी।

(४) पांच गैर-सरकारी सदस्य जिनको सरकार मनोनीत करे जिनमें एक औद्योगिक कार्यों में तथा गृह और कुटीर उद्योग कार्यों में रुचि रखता हो।

(५) जिलाधीश दो गैर-सरकारी सदस्यों को रख सकता है जिसमें एक जिला स्काउट एसोसियेशन का उच्च अधिकारी हो और दूसरा जो विकास-कार्य में रुचि रखता हो।

(६) जिले के हायर सेकेण्डरी स्कूलों का एक प्रतिनिधि जिसको समस्त स्कूलों के प्रिन्सिपल चुन कर भेजें।

(७) मंत्री, जिला सैनिक, नाविक एवं वायु सेना बोर्ड।

(८) अध्यक्ष, जिला बोर्ड।

(९) दो सदस्य जिनको जिला बोर्ड मनोनीत करके भेजे।

(१०) मैनेजिंग डाइरेक्टर, कोआपरेटिव बैंक।

(११) जिला कोआपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि अध्यक्ष जिलाधीश है।

(१२) समस्त चेयरमैन, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया।

(१३) गांव सभा के प्रतिनिधि--जिले के प्रत्येक राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड तथा छाया खंड से एक प्रधान का चुनाव उस खंड क्षेत्र के समस्त प्रधानों द्वारा करके जिला नियोजन समिति का सदस्य बनाया जाय। उन जिलों में जहां राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंडों की संख्या १० से अधिक नहीं है वहां प्रत्येक खंड से दो प्रधानों को लिया जाय।

(१४) एक प्रतिनिधि जिले के हर गन्ना मार्केटिंग सोसाइटी से।

(१५) संयोजक, भारत सेवक समाज।

(१६) राज्य नियोजन बोर्ड का गैर-सरकारी सदस्य जो जिले में रहते हों।

(१७) कृषि पंडित, यदि जिले में रहता हो।

(१८) राज्य कृषि बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य जो जिले में रहते हों।

(१९) सरकारी सदस्य--

जिलाधीश. . . . . .चेयरमैन।

जिला नियोजन अधिकारी. . . . . मंत्री ।

समस्त सब-डिवीजनल अफसर, जिला पूर्ति अधिकारी, जिला पशुपालन अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, जन- स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के जिले स्तर के अधिकारी, सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण और हाइडल डिवीजन तथा सब-डिवीजन जो कोई भी जिले में हों, उनके उच्च अधिकारी, सिविल सर्जन, एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, स्वायत्त शासन (इन्जीनियरिंग) विभाग, जिन जिलों में प्रशिक्षण एवं विस्तार केन्द्र स्थापित हैं उनके प्रिन्सिपल, मथुरा जिले में पशुपालन विश्वविद्यालय के प्रिन्सिपल, नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल और टेहरी-गढ़वाल में पर्वतीय सिंचाई योजना सम्बन्धी सहायक इन्जीनियर, कानपुर में कृषि महाविद्यालय के प्रिन्सिपल जिन जिलों में वन विभाग हैं वहां वन विभाग के जिले स्तर के अधिकारी और उद्योग विभाग के जिले स्तर के अधिकारी यदि जिले में हों, सुपरिन्टेन्डेन्ट-पुलिस, जिला कृषि अधिकारी, जिला सहकारी अधिकारी, जिला संगठनकर्ता, प्रान्तीय रक्षा दल, जिला सूचना अधिकारी और सहायक जिला पंचायत अधिकारी ।

कार्यकारिणी समितियां--

(१) जिलाधीश. . . . . चेयरमैन ।

जिला नियोजन अधिकारी. . . . . मंत्री ।

सरकारी सदस्य जो जिला नियोजन समिति पर खंड १९-क के अन्तर्गत मनोनीत किये गये हों ।

(२) अध्यक्ष, जिला बोर्ड ।

(३) खंड ४ में जो गैर-सरकारी सदस्य मनोनीत हों उनमें से तीन गैर-सरकारी सदस्य जो सरकार द्वारा मनोनीत किये जावें ।

(४) नगरपालिका बोर्ड का एक प्रतिनिधि ।

(५) सहकारिता का एक प्रतिनिधि ।

(६) तीन प्रतिनिधि-सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में से ।

(७) हरिजन कार्यकर्ता [यदि जिला नियोजन समिति पर एक से ज्यादा हरिजन सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् हों तो समस्त सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् (हरिजन व गैर-हरिजन) एक हरिजन को चुनेंगे ।]

(८) महिला कार्यकर्ता ।

(९) गांव सभा का एक प्रतिनिधि ।

प्रतिनिधि जो खंड ४, ५, ६ और ९ के अन्तर्गत मनोनीत हों वह जिला नियोजन समिति के अपने-अपने दलों द्वारा चुने जावेंगे ।

१--जिला नियोजन समितियों और उनकी कार्यकारिणी समितियों के सभाध्यक्ष सरकार द्वारा मनोनीत किये जावेंगे ।

४--जिलाधीशों से संलग्न सरकारी कर्मचारियों की समितियां जिनकी निर्माण-विधि उपरोक्त स्मृति-पत्र-के पैरा ४ में दी हुई है उसी प्रकार कार्य करती रहेंगी ।

५--जिला नियोजन समितियों का कार्यक्रम उक्त स्मृति-पत्र के पैरा ५ में दिये हुये आदेशों के अनुसार जारी रहेगा ।

६--जिलाधीश जिला नियोजन समितियों के निर्माण के लिए अपनी सिफारिशें सरकार को भेजें । यदि किसी जिले में सदस्य लोक सभा, सदस्य राज्य सभा, सदस्य विधान सभा और सदस्य विधान परिषद् में हरिजन या महिला सदस्य नहीं हैं तो जिलाधीश पैरा २ के खंड २ और ३ के अन्तर्गत २ नामों की सिफारिश करें । खंड ४ के अन्तर्गत अपनी सिफारिश भेजते समय ७ व्यक्तियों के नाम भेजें जिनमें द। औद्योगिक कार्यों में तथा गृह और कुटीर उद्योग कार्यों में रुचि रखने वाले व्यक्ति हों । यदि जिले के लिए आवश्यक हो तो श्रमिकों के प्रतिनिधि के नाम की भी सिफारिश की जावे ।

७--जिला नियोजन समितियों क जो उपसमितियां हैं उनको पुनर्निर्मित करने के सम्बन्ध में सचिवालय के सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किये जावेंगे ।

८--जिला नियोजन समितियों की बैठकें प्रतिमाह निश्चित तिथि पर हुआ करें । यह तिथि जिलाधीशों को जिला नियोजन समितियों की पहली बैठक में निश्चय कर लेनी चाहिये ।

९--जिला नियोजन समितियों का कार्यकाल १५ नवम्बर से तीन वर्ष तथा कार्यकारिणी समितियों तथा उप-समितियों का कार्यकाल एक वर्ष रहेगा ।

१०--इन नई समितियों के स्थापित हो जाने के बाद पिछली समितियां तथा उप-समितियां समाप्त हो जावेंगी ।

आदित्य नाथ झा,
नियोजन सचिव ।

उद्देश्य और कारण

अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने का उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश के जिलों के आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन एवं स्वायत्त शासन सम्बन्धी कार्यों के समन्वित प्रशासन के लिये जिला परिषदों की स्थापना को सरल बनाने के निमित्त ग्रामीण-क्षेत्र में स्वायत्त शासन के अन्तरिम प्रशासन के लिये अन्तरिम जिला परिषदों की स्थापना की व्यवस्था करने के उद्देश्य से गवर्नर द्वारा २९ अप्रैल, १९५८ को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अध्यादेश, १९५८ जो 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन विधान-मण्डल के पुनः समवेत होने से ६ सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा, विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा अनुस्थापित किया जाय ।

यह विधेयक तदनुसार पुरःस्थापित किया जा रहा है ।

विचित्रनारायण शर्मा,
स्वायत्त शासन मंत्री ।

नत्थी 'ट'

(देखिए पीछे पृष्ठ २७७ पर।)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९५८

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने का

विधेयक

ऐक्ट संख्या २१, १८६०। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ४, १९५८।

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० को उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ प्रयोजनों के लिये संशोधित करने के निमित्त गवर्नर द्वारा ३ जुलाई, १९५८ को सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५८ प्रख्यापित किया गया था ;

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश जो 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन विधान मण्डल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा, विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा अनुस्थापित कर दिया जाय ;

अतएव, भारतीय गणतन्त्र के नवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१--(क) यह अधिनियम सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, १९५८ कहलायेगा।

(ख) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(ग) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

ऐक्ट संख्या २१, १८६० की धारा १, ४ तथा १८ का संशोधन।

२--सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० (जिसे आगे 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा १, ४ तथा १८ में जहां कहीं भी शब्द "Registrar of Joint Stock Companies" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "Registrar" रख दिया जाय।

ऐक्ट संख्या २१, १८६० में धारा २१ का बढ़ाया जाना।

३--मूल अधिनियम की धारा २० के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा २१ के रूप में बढ़ा दिया जाय :--

21. In this Act the word "Registrar" means any person appointed in this behalf by the State Government by notification in the official *Gazette* to exercise the powers and perform the duties of a Registrar under this Act or the rules made thereunder.

निरसन उ० प्र० अध्यादेश संख्या ४, १९५८, यू० पी० ऐक्ट १, १९०४।

४--सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, १९५८ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है तथा जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ४, तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरसित कोई विधायन हो।

उद्देश्य और कारण

१९२१ से सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, १८६० राज्य के विषयों की सूची में है। राज्य-सरकाक इसके प्रशासन के लिये उत्तरदायी है तथा राज्य-विधान मण्डल इसे उत्तर प्रदेश में इसकी प्रवृत्ति र सम्बन्ध में संशोधित करने की क्षमता रखता है। इस ऐक्ट की धारा १, ४ और १८ में ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार द्वारा इसके उपबन्धों के विषय में कुछ कृत्यों के सम्पादन और कर्तव्यों के अनुपालन का उल्लेख है। राज्य सरकार को किसी अन्य व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त करने के लिये समर्थ बनाने के निमित्त इन धाराओं के संशोधन की आवश्यकता अब तक अनुभव नहीं हुई थी, क्योंकि ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार इस अधिनियम से सम्बद्ध कार्य करते रहे।

२—अब भारत सरकार के कहने पर राज्य सरकार ने ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों के रजिस्ट्रार को सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट तथा इंडियन पार्टनरशिप ऐक्ट से सम्बद्ध कार्य से मुक्त करने तथा इस कार्य को राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को सौंपने का निर्णय किया है। ऐसा करने में समर्थ होने के लिये यह आवश्यक है कि उक्त ऐक्ट की धारायें १, ४ तथा १८ का संशोधन किया जाय। अतएव, यह विधेयक उक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिये पुरःस्थापित किया जा रहा है।

मोहनलाल गौतम,
सहकारिता एवं कृषि मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—८० एल० ए०—१९५८—८३७।